खण्ड-363, अंक-1
गुरूवार, 10 भाद्रपद, शक संवत् 1905
(1 सितम्बर, 1983 ई0)

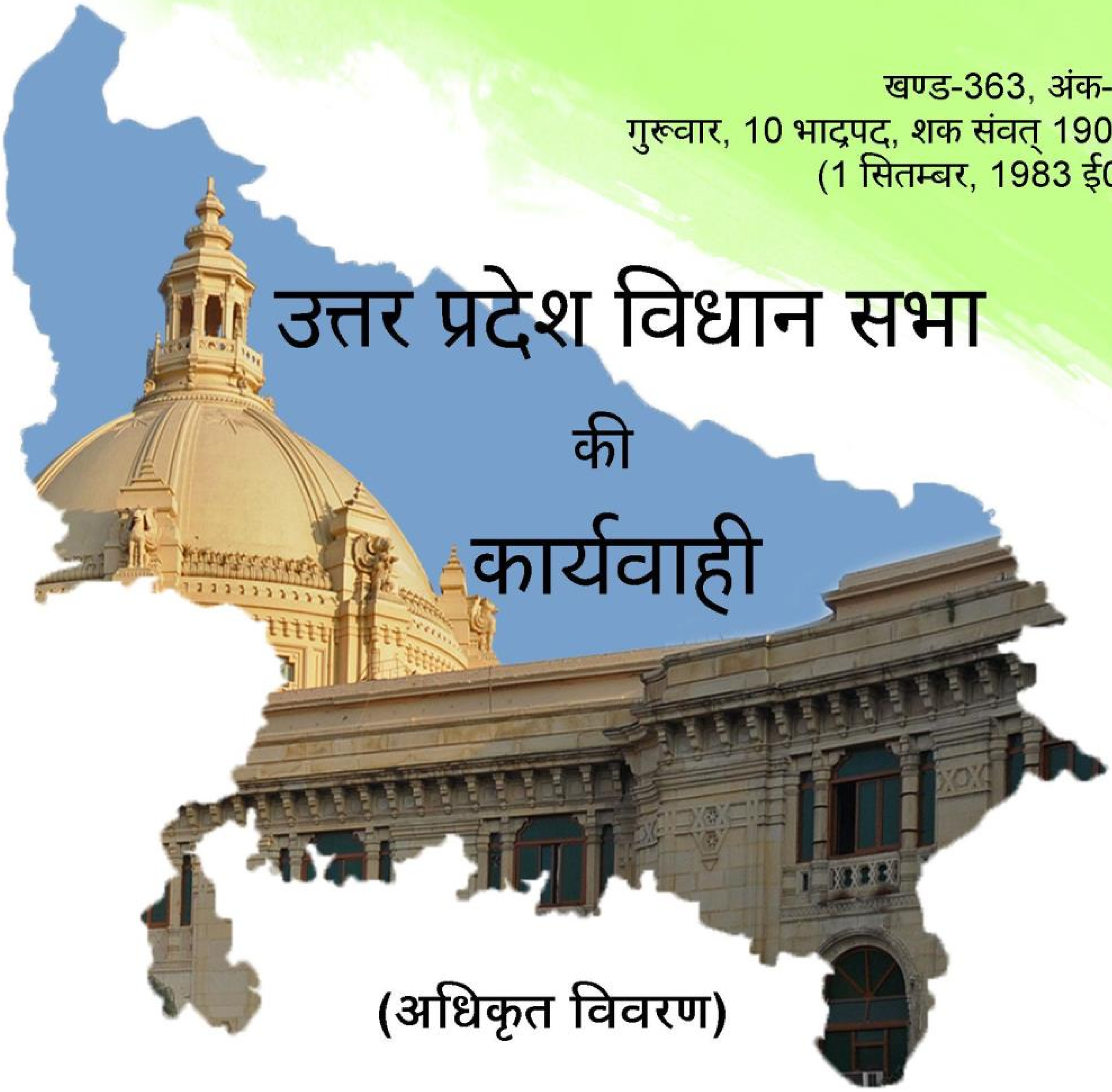

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 363 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रश्नोत्तर (जारी)	6–29
सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना	29
प्रश्नोत्तर	30–99
अतारांकित प्रश्न संख्या 23 व 24 के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	99–100
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	100–102
विधान सभा सदस्य, श्री दलगंजन सिंह के निधन पर शोकोद्गार	102–105
भूतपूर्व सदस्य श्री जंग बहादुर विष्ट, श्री शुगन चन्द्र, श्री जगत नरायण श्रीवास्तव, श्री इन्द्रलाल, श्री आदिराम सिंघल, श्री गोविन्द नारायण तिवारी, श्री घासीराम जाटव, श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवर एवं भूतपूर्व मंत्री श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय तथा लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हुकुम सिंह के निधन पर शोकोद्गार	105–113
नस्थियां	114–120

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार दिनांक 1 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–389

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर इमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार महम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री — बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपर
उपेन्द्र बहादर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैय्या) — खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादर मिश्र, श्री — हमीरपर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुर्शीद अहमद, श्री — बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव

गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री — नैनीताल
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 — बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदीलाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद आभा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री — मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री — फैजाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
झिलमिटराम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री — मथुरा
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीप उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री — देवरिया
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नाजिर अली, श्री — शाहजहांपर
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर

H U.P.L.A Vol. 363 1983 135241

प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रवीन कमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री — रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बुद्ध पाल सिंह, श्री "खुर्जेवाला" — बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा0 — देवरिया
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री — बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भीम सिंह, श्री — मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — गाजियाबाद
भूप सिंह केन, श्री — गाजियाबाद
भगनाथ चतर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मंगलदेव, श्री — गोंडा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा

मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद उमर, डा0 — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा

रघुबीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रतीराम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री — रायबरेली
रवीन्द्र, श्री — आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री — आजमगढ़
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 — जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री — मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
रामपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सहारनपुर
राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) — इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री — एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0 — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद

विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री — कानपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर — गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री — वाराणसी
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शम्भूनाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डा0 — पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नारायण तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
संजय सिंह, श्री — सुल्तानपुर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सन्त बक्श रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री — शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता, श्रीमती — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सुल्तानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री — जालौन
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूरजभान, पंडित — अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री — मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हर नरायन सिंह, श्री — रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री — बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री — उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
हरी सिंह, श्री — बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हरीशंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
हेमचन्द निमेष, श्री — मेरठ

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर, 1983

श्री फखरे आलम–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं, इनकी कोई बात नहीं लिखी जाएगी।

श्री फखरे आलम–

[* * *]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

परिवार कल्याण अधिकारी नगरमहापालिका, आगरा द्वारा डिप्लोमा भत्ता की मांग

*1–श्री रियासत हुसैन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवार कल्याण अधिकारी नगर महापालिका, आगरा ने अपने पत्र संख्या 0033/एक्स0/बी0 पी0 के0/78, दिनांक 20-3-79 में अतिरिक्त निदेशक परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, लखनऊ से डिप्लोमा भत्ता देने की स्वीकृति मांगी थी? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

जी हां। परिवार कल्याण अधिकारी नगर महापालिका, आगरा के कथित प्रस्ताव पर शासन की सहमति प्रदान कर दी गई है।

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत ज्यादा देरी हुई है, कि जो 20-3-79 की रेकमेण्डेशन है, उसे अब लागू होने पर इतनी देर होने के क्या वजूहात हैं? क्या उनको वह भत्ता वाकई में दे दिया गया है? यदि दे दिया गया है, तो कब से दे दिया गया है?

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, आगरा महापालिका के जो परिवार नियोजन अधिकारी थे, उन्होंने सन् 79 में विभाग को एक लेटर लिखा था। उसके बाद विभाग ने डा0 कमलेश सहगल से कुछ सूचनाएं मांगी थीं, जो उनसे विभाग को बहुत लेट मिली है। जब मिली तब भत्ता स्वीकार किया गया है। जब तक डाकूमेंट्स हमारे पास नहीं आते कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए देरी कुछ हुई है, इसमें।

नोटः–[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

वर्तमान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश (श्री जयन्ती प्रसाद दुबे) के विरुद्ध जांच तथा कृत कार्यवाही

*1—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के 6ठे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 43 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करेगी?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, यह प्रश्न जो इसमें आपके सामने है, वह विधान सभा में चौथी बार यहां पर प्रस्तुत किया गया है। पहली बार सन् 80 में, उसके बाद 81 में दो बार और उसके बाद फिर 82 में। पहली बार मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था वह यह था कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अभी मामला विचाराधीन है, कार्यवाही संपन्न होने में अभी समय लगेगा। अब 83 हो गया। 80 में विजीलेन्स द्वारा खुली जांच के आदेश दिए थे, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में क्या विजीलेंस डिपार्टमेंट द्वारा शासन को कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है या नहीं ? यदि हां, तो वह क्या है और यह पत्रावली किस-किस अधिकारी के पास कब से कब तक रही है? मंत्री जी इन हमारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, यह सही है कि यह 74 से मामला चला है, इसमें थोड़ा समय जरूर लगा है। सन् 74 में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, मुख्य मंत्री ने आदेश पारित किया फिर इसमें सन् 79 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आदेशित किया कि इस पर कार्यवाही की जाय।

एक सदस्य—

सुनायी नहीं दे रहा है।

श्री मसरूर जाफरी—

आपका हाजमा खराब है, पेट खराब है।

श्री राम सिंह खन्ना—

अब जो है सो है, उस हालत में आप सुनने की कोशिश करें। तो जैसा मैंने कहा, यह विजीलेंस में गया। उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया यह है कि पहले विभागीय छानबीन हो जाय । विभागीय छानबीन हो जाय तो उसके बाद सतर्कता विभाग को जायगा । इसमें सचिवों की एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के जरिये फैसला होगा कि सतर्कता विभाग को जाय या न जावे। तो इसमें काफी विलम्ब हुआ है यह मैं महसूस करता हूं। मैंने इसको देखा है। आपने प्रश्न किया और यह फाइल मेरे सामने आयी

[श्री राम सिंह खन्ना].

तो मैंने देखा, यद्यपि सचिवों ने ज्यादातर यह माना कि आरोप ठोस नहीं हैं फिर भी आदेशित किया गया है कि दो बिंदुओं पर जिन पर शंका है, उन पर छानबीन करके जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर दें। मैं समझता हूं कि 3 महीने के अंदर यह हो जाना चाहिये।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने खुद तस्लीम किया है कि सन् 74 से यह मामला लंबित है। 79 में आदेश हो गया विजीलेंस की खुली इन्क्वायरी का। उसके पहले विभागीय जांच करवा दी गयी। इसमें प्राइमाफेसी केस उस अधिकारी के विरुद्ध पाया गया और विजीलेंस की इन्क्वायरी का आदेश हुआ। मान्यवर, इसी विधान सभा के अन्दर माननीय नेता विरोधी दल ने 1981 में, गढ़वाल के माननीय विधायक ने और अन्य विधायकों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। वह उत्तर प्रदेश के चीफ टाउन प्लानर हैं। उसके रिटायरमेन्ट में 15 महीने रह गये हैं। उसके खिलाफ आरोप होने के बावजूद भी उसके सेवा काल को बढ़ाया गया और उसके विरुद्ध गंभीर आरोपों का ध्यान नहीं रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि जब वह महसूस करते हैं कि भ्रष्टता के आरोप हैं तो उसको कंपलसरी रिटायर करेंगे और तत्काल विजीलेंस की इन्क्वायरी करवायेंगे?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, मैं यहां पर कोई आश्वासन दूं यह उचित नहीं है लेकिन एक बात यह है कि इस संबंध में अलग-अलग संस्तुतियां हैं। एक चीफ मिनिस्टर ने ड्राप कर दिया। दूसरे ने चलाया, जब उन्होंने चलाया और सतर्कता को भेजा तो उन्होंने कहा कि विभागीय जांच हो। मैंने इसको स्वयं देखा है। यहां पर फिर से जांच होनी चाहिये तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। जहां तक हाउस में आश्वासन देने का प्रश्न है तो अगर मैं कह दूं कि एक दम यह काम कर दूंगा तो जिसे सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहते हैं उसको फायदा होगा। क्योंकि दबाव में दिया गया आश्वासन और अग्रिम कार्यवाही मानी जायेगी।

श्री बिहारी लाल–

ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि संबंधित अधिकारी कौन है, उसके विरुद्ध आरोप क्या हैं और जांच की निर्धारित प्रक्रिया क्या है तथा कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री राम सिंह खन्ना–

यह तो सवाल में ही बता दिया गया है टाउन प्लानर दुबे का मामला है और आरोप यह है कि इंडस्ट्रियल लेबर कालोनी बन गई उसके बाद रुपया दिलवाया, एक प्रविष्टि–गलत कर दिया। इस तरह के आरोप लगे हैं। चूंकि कई हाथों से यह मामला निकल चुका है और नाजुक बन गया है इसलिये बिना पूरी छानबीन के इस वक्त एक्शन लेना विधिक दृष्टि से मुश्किल है।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या माननीय मंत्री जी केस के प्राइमाफेसी सिद्ध हो जाने के बाद, उसकी सेवा निवृत्ति अवधि को देखते हुये और इतना लम्बा समय हो जाने के बाद तुरन्त उसको निलंबित करके जांच कराने का आश्वासन देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, छानबीन के बाद कोई आधार बनेगा तो देखेंगे।

(व्यवधान)

मैं किसी तरह से बचाने को तैयार नहीं हूं लेकिन गैर कानूनी काम करने का आश्वासन देने को भी तैयार नहीं हूं। जो विधिक प्रक्रिया है वह अपनायी गयी है। इस मामले को दो-दो मुख्य मंत्रियों ने सतर्कता विभाग को सौंपा, सचिवों की कमेटी अलग बना दी गई। जो विधिक कार्यवाही होगी वह की जायेगी, सचिवों की समिति उसको देख रही है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जब विभागीय जांच उसके खिलाफ आ गई और विजीलेंस को जांच दे दी गई तो फिर सचिवों की समिति बनाने की क्या आवश्यकता थी?

श्री राम सिंह खन्ना–

आवश्यकता नहीं पड़ी। यह प्रक्रिया है कि विभागीय जांच के बाद सचिवों की कमेटी के देखने के बाद विजीलेंस को भेजा जाता है। यदि वह समझते हैं कि विजीलेंस में भेजने योग्य है, तो जाता है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

विभागीय जांच जब उसके खिलाफ थी तो सचिवों की कमेटी की आवश्यकता नहीं थी। उसको बचाने के लिये यह किया गया है और सचिवों की समिति भी उससे मिल सकती है।

श्री राम सिंह खन्ना–

यह दूसरी बात है लेकिन जो प्रक्रिया है वह अपनाई गई है। अगर प्रक्रिया को न अपनाया जाता तो आप शक करते कि ऐसा क्यों नहीं किया। विधिक प्रक्रिया चाहे विलम्ब हो शासन को अपनाना ही है।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय जांच में वह दोषी पाया गया, विजीलेंस की जांच की प्रक्रिया कब तक चलेगी। क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस आदमी के सेवा निवृत्त होने से पूर्व जांच की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी?

श्री राम सिंह खन्ना–

आप सब की भावना को देखते हुये अति शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय आवास मंत्री प्रश्न की महत्ता को देखते हुये आप इस प्रश्न पर पुनः विचार कर लें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, 1979 से यह पत्रावली चल रही है, सचिवों की कमेटी को दे दिया। 10 साल में श्रीमन्, यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है। अब श्रीमन्, 15 महीने उनके रिटायरमेन्ट के रह गए हैं। मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है सतर्कता विभाग की जांच के बाद, मैं संबंधित पत्रावली का नाम भी बता सकता हूं तथा इसका नम्बर भी बता सकता हूं। मान्यवर, वह पत्रावली दबा दी गयी, गायब कर दी गयी। वह पत्रावली मंत्री जी के पास अभी तक नहीं आ पायी है?

(व्यवधान)

पत्रावली संख्या-69/एन/एन/72 है। यह पत्रावली श्रीमन्, आज की तारीख तक मा0 मंत्री जी के पास नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1979 के बाद से आज की तारीख तक यह पत्रावली किस-किस अधिकारी के पास कितने दिन तक रही यह बताने का कष्ट करें?

श्री राम सिंह खन्ना–

सन् 1980-81 में पत्रावली मेरे पास भेजी गयी है सन् 1983 में सवाल आया, तब मैंने आपकी भावना को देखते हुए, आप जितनी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, मैंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको पूरा करूंगा। इसकी पूरी छानबीन करके मैं 15–20 दिन के अन्दर फैसला कर दूंगा कि सतर्कता विभाग को भेजा जाए या नहीं।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*2–श्री राम गोविन्द, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मित्रसेन–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले गुरुवार के ता0 प्र0 सं0 5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ द्वारा 10-2-82 को शासन को भेजा गया था उस प्रस्ताव पर दिनांक 31-3-1983 तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की, तो क्यों?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी हां।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि0 लखनऊ द्वारा 10-2-82 को निबन्धक को भेजे गये प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 432/12सी-2-85/77 दिनांक 17-5-83 से सहकारी संस्थाओं के समस्त सभी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) की समस्याओं का समाधान हो जाता है।

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, भ्रष्टाचार के आरोप में वह दोषी पाए गए। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है इसमें सभी बातों की लीपा-पोती कर दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्ताव पास हुआ था उस प्रस्ताव में क्या-क्या है? उसमें क्या-क्या मांगें की गयी थीं?

श्री बच्चा पाठक–

जो प्रबन्ध निदेशक का प्रश्न है और जिसके सम्बन्ध में लिखा गया है जो इस सम्बन्ध में जी0 ओ0 1983 में हुआ है उससे यह सब बातें पूरी हो जाती हैं। यदि मा0 सदस्य पत्र को पढ़वाना चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूं अन्यथा वे स्वयं आकर उस पत्र को देख सकते हैं।

श्री मित्रसेन–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर, उनकी समस्या का समाधान हो गया है, परन्तु जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु संस्थागत सेवा मण्डल आदेश पारित कर चुका है। उनको स्थायी करने के आदेश पारित कर देंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में यह बताया है कि एक अधिसूचना जारी हुई है उसके तहत उनकी समस्याओं का निदान होगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सूचना में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायीकरण करने के क्या प्राविधान हैं। उन प्राविधानों के अन्तर्गत अब तक उनका स्थायीकरण किया गया या नहीं किया गया? यदि नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, 1983 का जो जी0 ओ0 है . . . . जो भर्ती करने के बारे में इन्होंने बताया इस प्रश्न के तहत यह है कि तृतीय श्रेणी के लोग किस तरह स्थायी किये जायं उसके लिये पहले से ही कार्य कर रहे अभ्यर्थियों के लिये पांच वर्ष की अधिकतम सेवा अवधि इस श्रेणी में निरन्तर करना आवश्यक होगी।

अशोका बाजार दुकानदार समिति, ताल कटोरा रोड, नोटीफाइड एरिया, चारबाग, लखनऊ की मांगों के सम्बन्ध में कार्यवाही

*3–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अशोका बाजार, दुकानदार समिति, ताल कटोरा रोड, नोटीफाइड एरिया, चारबाग, लखनऊ द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 23-2-83 एवं 13-3-83 की प्रतिलिपि जो प्रश्नकर्ता विधायक की संस्तुति के साथ भेजी गई थी, प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त समिति की मांगों के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां।

समिति की मांगों के सम्बन्ध में नोटीफाइड एरिया कमेटी चारबाग आलमबाग द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 114 पर।)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है और इसकी गम्भीरता को देखते हुए जो मा0 मंत्रीजी की तरफ से सूची संलग्न हुई है उस सूची पर दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहूंगी कि इसमें उन्होंने लिखा है कि आबंटन की विधिक प्रक्रिया अपना कर आबंटन निरस्त किया जाता है, गुणावगुण के आधार पर अधिकांश आबंटन किरायेदारों को दिये जाते हैं। मान्यवर, मैं इस मामले में यह कहना चाहूंगी कि यह जो कहा है कि गुणावगुण के आधार पर अधिकांश आबंटन कब्जेदारों को दिये जाने चाहिये तो यह गुणावगुण की परिभाषा क्या है ? असलियत इससे भिन्न है, इसलिये मैं इस बात पर जोर दे रही हूं।

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, विभाग द्वारा यह बताया गया है कि जिन दुकानदारों को वहां पर एलाट किया गया है, उनके ब्लड रिलेशन भाई-बहिन, मां, बीबी बच्चे हैं तो उनको शिकमी किरायेदार नहीं मानेंगे। इससे अन्यथा दूसरे लोग होते हैं तो उनको हटा देते हैं। अगर इसके विपरीत कोई दूसरी सूचना है, तो उसके बारे में आप बताएं, हम कार्यवाही करेंगे और उसे सुधार देंगे।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, दूसरा प्रश्न माननीय मंत्रीजी ने दबा दिया। मैं बताना चाहती हूं कि वह गुणावगुण के आधार पर नहीं हुआ है। अधिकारियों ने जिसको पसन्द किया, जो लोग अधिकारियों को खुश कर सके, पैसा दे करके, उनको दिया गया है, दूसरों को नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह जो संलग्न सूची है, उसका जो पांचवां पृष्ठ है उसमें है कि "किसी भी नागरिक अथवा दुकानदार की ओर से नोटीफाइड एरिया कमेटी, चारबाग से किसी भी दुकानदार के विरुद्ध लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।" मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि नोटीफाइड एरिया, चारबाग के जो अधीक्षक बैठते हैं, जिसकी सूचना सरकार को है और हर तरफ से इस बात की शिकायत है कि वह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गये थे, तो क्या उनको निलम्बित किया गया, क्या मंत्रीजी को समाचार का पता है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, मैं आश्वस्त करता हूं, इसके विपरीत जो काम हुआ है, आप बतावें। हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। रिश्वत लेने वाले अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके खिलाफ आरोप थे।

ग्राम सभाओं को टाउन एरिया घोषित करने की मांग

*4–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 81 की जनगणना के आधार पर जिन ग्राम सभाओं की आबादी 5 हजार या उससे अधिक है उनको टाउन एरिया घोषित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी नहीं।

किसी भी ग्राम सभा को केवल आबादी के आधार पर ही टाउन एरिया नहीं बनाया जाता है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से आधार हैं, जिसके आधार पर वह टाउन एरिया घोषित करते हैं। दूसरा, प्रदेश में ऐसी कितनी ग्राम-सभाएं हैं जो इन आधारों को पूरा करती हैं। तीसरा, जो इन इन आधारों को पूरा करती हैं, उनको टाउन एरिया कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, इसके आधार जो हैं, उसमें ग्राम सभा की जनसंख्या, उसकी वार्षिक आय तथा उसके नागरिकों का जीवन-यापन किस आधार पर होता है। वैसे जो मापदण्ड है वह इस प्रकार है :–

1–प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान जनसंख्या 10,000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

2–प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों का जीवन-यापन कृषि-व्यवसाय के अतिरिक्त होना चाहिए।

3–75 प्रतिशत व्यक्तियों का जीवन-यापन कृषि-व्यवसाय के अतिक्ति होना चाहिए।

4–प्रस्तावित क्षेत्र में सड़क यातायात अच्छा होना चाहिए।

5–प्रस्तावित क्षेत्र में व्यक्तियों में शहरी गुण विद्यमान होने चाहिए।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि प्रदेश में कितनी ऐसी ग्राम सभायें हैं, जो इन मानकों को पूरा करती हैं और उन्हें टाउन एरिया कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आप यह नहीं पूछ सकते हैं कि ग्राम सभाओं की संख्यायें कितनी हैं, अपितु यह पूछ सकते हैं कुल कितनी ग्राम सभायें हैं।

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, उस संबंध में मैंने कहा कि जो इन मापदण्डों के आधार पर आ जायेंगी, उन्हें टाउन एरिया घोषित कर दिया जायेगा और जो नहीं आ पायेंगी उन्हें नहीं किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन मानकों के आधार पर सन् 1981 से लेकर 1983 तक विभिन्न जनपदों के जिलाधीशों ने कुछ ग्राम सभाओं को टाउन एरिया घोषित किये जाने की संस्तुति की है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन ग्राम सभाओं को कब तक टाउन एरिया नियमानुसार घोषित कर दिया जायेगा अर्थात् उनको टाउन एरिया घोषित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, जैसे ही पत्रावली मेरे पास आ जायेगी, उसी वक्त उनको टाउन एरिया घोषित कर दिया जायेगा।

प्रदेश में हेल्थ गाइडों के चयन हेतु पात्रता का आधार

*5—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में इस समय हेल्थ गाइड्स के जो चयन हो रहे हैं उसमें पात्रता का आधार क्या रखा गया है ? क्या ग्राम प्रधानों की संस्तुति को प्राथमिकता दी जा रही है ?

श्री हरि सिंह—

प्रदेश में हेल्थ गाइडों के चयन हेतु पात्रता का आधार भारत सरकार द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार रखा गया है । पात्रता हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित हैं :—

1—हेल्थ गाइड उसी ग्राम का स्थाई निवासी हो ।

2—हेल्थ गाइड लगभग 30 वर्ष का होना चाहिये किन्तु यदि वह सामाजिक सेवायें पूर्व से ही कर रहा हो तथा समाज में उसकी उच्चस्तर की मान्यता हो तो उन मामलों में शिथलीकरण हो सकता है ।

3—हेल्थ गाइड इस सामाजिक कार्य को न तो आमदनी का जरिया समझेगा और न ही भविष्य में सरकारी सेवा में आने का कदम समझेगा ।

4—हेल्थ गाइड इस स्थिति में हो कि वह प्रतिदिन सामाजिक सेवा हेतु 2-3 घंटे का समय दे सके ।

5—(क) सामान्यतः हेल्थ गाइड महिला होनी चाहिये । महिला हेल्थ गाइड ऐसी आयु की होनी चाहिये कि वह स्वतंत्र रूप से समाज में कार्य कर सके और समुदाय को प्रभावित कर सके ।

(ख) महिला हेल्थ गाइड प्रखर बुद्धि की होनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषा को लिखना व पढ़ना जानती हो ।

6—जहां पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहां निम्न मानदण्डों के आधार पर पुरुष हेल्थ गाइड का चयन किया जा सकता है :—

(क) वह भूतपूर्व सर्विसमैन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा जो ग्राम का माना हुआ सामाजिक कार्यकर्ता हो ।

(ख) हेल्थ गाइड कक्षा 6 तक औपचारिक रूप से पढ़ा हो । अन्य अर्हतायें समान होने की दशा में इससे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जानी चाहिये ।

7—ऐसे अभ्यर्थी जिनकी समाज में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा हो एवं जन सेवा का प्रमाणित रिकार्ड हो उनके हेल्थ गाइड चुने जाने हेतु उक्त सभी प्रतिबंधों को शिथिल किया जा सकता है ।

हेल्थ गाइड का चयन मुख्यतः ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है । इन हेल्थ गाइडों के काम की देख-रेख के लिये ग्राम स्वास्थ्य समिति का परियोजना में प्राविधान है । फिलहाल इन समितियों के गठन होने तक हेल्थ गाइड के चयन की अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है ।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने हेल्थ गाइडों को नियुक्त किये जाने का लक्ष्य था और आज तक उसके अगेन्स्ट कितने हेल्थ गाइड नियुक्त किये गये हैं । दूसरा, जो नियुक्तियां की गयी हैं उनमें क्या ग्राम-पंचायतों से राय ली गयी है कि नहीं ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

श्रीमन्, प्राविधान यह है कि ग्राम प्रधान और जिस ग्राम में स्वास्थ्य समिति गठित है, उस स्वास्थ्य समिति की राय से ही हेल्थ गाइडों का चयन किया जाय।

श्री मोहन सिंह–

कहीं नहीं हुआ ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया कि प्रदेश में कितने हेल्थ गाइडों की नियुक्तियों का लक्ष्य है, और उसके अगेन्स्ट में कितने लोग रखे गये हैं ? तीसरे, जिन हेल्थ गाइडों का चयन हो चुका है, उसके बारे में क्या ग्राम प्रधानों से राय ली गयी ?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में 84 हजार गांव सभायें हैं, जिस गांव सभा की एक हजार आबादी है, वहां एक, और जिसकी आबादी एक हजार से अधिक है, वहां एक से अधिक (2) उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 9 करोड़ 85 लाख है (3) मैंने पहले ही श्रीमन्, आपसे अनुरोध किया कि हेल्थ गाइडों के चयन का अधिकार ग्राम प्रधान और गांव में स्वास्थ्य समितियों को है ।

श्री भीखा लाल–

माननीय मन्त्री जी ने जैसा कि उत्तर में बताया कि गांव सभा स्तर पर स्वास्थ्य समिति गठित होने तक यह चुनाव की प्रक्रिया रोक दी गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जितनी गांव सभाओं में समितियां गठित हुए बगैर चयन हुआ है, क्या वह रद्द कर दिये जायेंगे ?

श्री लोकपति–

रद्द कर दिये गये हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, इसी प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने पहले भी आश्वासन दिया था और इस संदर्भ में मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना को सही मानकर कि गोरखपुर जिले में महाराजगंज, पड़तल आदि में जितनी हेल्थ गाइडों की नियुक्ति हुई है, वे सब प्रक्रियाओं और मानकों के विपरीत हुई हैं और 2-2 हजार प्रत्येक अभ्यर्थी से लेकर के की गयी है, यह नियुक्तियां बिना स्वास्थ्य समितियों के चयन किये, बिना उनकी राय से की गयी हैं, क्या इसकी खुली जांच करायेंगे और ऐसे डाक्टरों को निलम्बित करने का आदेश देंगे ?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, हेल्थ गाइड राजकीय कर्मचारी नहीं हैं । माननीय सदन ने यह प्रश्न पिछले सत्र में किया था, उस समय उसकी खुली जांच हो गयी और जिन-जिन गांवों की चर्चा की गयी थी, वहां के सभापतियों का पत्र भी आ गया है कि उनकी इच्छानुसार हेल्थ गाइड का चयन हुआ है ।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष–

मैंने विशारद जी को बुला लिया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि हेल्थ गाइड सरकारी कर्मचारी पूर्णतः नहीं हैं। तो, क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट बतायेंगे कि उन हेल्थ गाइडों के चयन में कितने प्रतिशत महिलायें और कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रखे गये हैं?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत व्यापक सवाल है। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मित्रसेन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो नीम हकीम खतरे जान बताए गए हैं, क्या उनके लिए तीन महीने या कुछ दिन के ट्रेनिंग का भी प्राविधान है और क्या उन्हें प्रापर ट्रेनिंग दी जा रही है या नही ? दूसरे, गांव सभाओं की समितियों के द्वारा उनका चयन होता है यह माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है। अगर समितियां गठित हुए बगैर उनका चयन कर दिया गया है, तो क्या वे चयन के आदेश रद्द कर दिये गये हैं और क्या उन जगहों पर वे आदेश भेज दिये गये हैं और उनका पालन हो रहा है?

श्री लोकपति–

जो चयन हो गये हैं, उनकी दीक्षा जो है, उसके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उन पर की जाती है। 25 और 28 मई को एक आदेश शासन से हुआ है कि जहां पर स्वास्थ्य समितियां गठित नहीं हुई हैं और हेल्थ गाइड चयनित कर दिये गये हैं, उनको निरस्त कर दिया जाय, जब तक स्वास्थ्य समितियां गठित न हो जांय । मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं श्रीमन् कि हेल्थ गाइड राजकीय कर्मचारी नहीं हैं इसका सारा अधिकार ग्राम प्रधान को है, विभाग से इसका कोई ताल्लुक नहीं।

मृतक प्यारे के जन्म-मरण संबंधी प्रमाण पत्र से संबंधित स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का पत्र

*6–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को सम्बोधित स्वास्थ्य निदेशक, उ0 प्र0 का अर्ध शासकीय पत्र सं0 24फ/28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0 प्र0 दिनांक 16-1-81 जो कि मृतक प्यारे पुत्र माधव के प्रमाण पत्र से संबंधित था के आधार पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं की, तो क्यों?

श्री हरि सिंह–

विभागीय कृत कार्यवाही से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अर्धशासकीय पत्र संख्या 24फ/622 दिनांक 2-4-83 द्वारा माननीय विधायक को सूचित किया जा चुका है कि इस मामले पर अग्रिम कार्यवाही कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी है। इस मामले से संबंधित संकलन का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मसला सन् 1979 से चल रहा है इस मामले में शासन द्वारा जो पत्र जिसका हवाला दिया गया 2-4-83 का, उससे

पहले भी एक पत्र प्राप्त हुआ है, वह एस0 एन0 गुप्ता निदेशक का है, जिसमें* उन्होंने 16-1-81 को लिखा है कि आपका पत्र दिनांक 22-11-81 प्राप्त हुआ। मृतक के प्रमाण पत्र . . . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मुझको पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है, उसको भी सदन के सामने रखना चाहता हूं। मंत्री जी के लिये लिखा है कि प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जन्म-मरण भारत सरकार . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप स्पष्ट प्रश्न नहीं कर रहे हैं, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

इसमें मैजिस्ट्रेट की जांच का औचित्य क्या बनता है? जब रजिस्टर जन्म-मरण में लिख दिया और वह चैलेंज नहीं हो सकता। जब रजिस्टर में लिखा हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट की जांच की आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ी ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप स्वयं इस मामले में साफ नहीं हैं।

नगरपालिका, हरदोई के सराय थोक पूर्वी मोहल्ले में पाइप लाइन बिछाने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

*7–श्री रामधनी–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के मो0 सराय थोक पूर्वी में पाइप लाइन बिछाने के संबंध में वहां के निवासियों के हस्ताक्षरों से युक्त तथा 6 विधायकों द्वारा अग्रसारित प्रार्थना पत्र दिनांक 7-10-82 को सचिव, नगर विकास, उ0 प्र0 शासन को दिया गया था । क्या इसके अतिरिक्त श्री जगदीश सिंह, सदस्य विधान सभा के पत्र फरवरी, 1983 पर नगर विकास मन्त्री ने आदेश भी किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

नगरपालिका हरदोई के सराय थोक पूर्वी मोहल्ले को मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत मार्गों व नालियों के निर्माण के साथ-साथ मार्ग प्रकाश व जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु रु0 7,07,300/- का आगणन स्वीकृत हो चुका है । इसके लिये धन की व्यवस्था होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री रामधनी–

नगरपालिका, हरदोई के सराय थोक पूर्वी मोहल्ले की मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत मार्गों और नालियों के निर्माण हेतु आपने तय किया है कि 7 लाख रु0 दिया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि कार्य किस तिथि से शुरू करेंगे ? दूसरी बात, यह जानना चाहता हूं कि आपने जलआपूर्ति लाइन बिछाने के लिये कितने इंच के पाइपों का प्रस्ताव किया है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सराय थोक पूर्वी मोहल्ले के सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 7,07,300 में पेयजल हेतु 3,30,108 रु0 खड़न्जा बिछाने के लिये 1,70,389 रु0, सड़क के लिये 27,147 रु0 ड्रेन्स के लिये 2,18,137 रुपया तथा बिजली के खम्भे लगाने के लिये 1,45,500 रु0 स्वीकृत किया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी जिस प्रश्न पर एक अधिकारी पर आरोप लगाये थे, उसी से संबन्धित यह प्रश्न भी है कि नगरपालिकाओं में एक यह प्रक्रिया लागू है कि जो भी पैसा इन कार्यों से संबंधित होता है, उसे रिलीज वहां के अधिकारी करेंगे, इस संबंध में मेरा स्पष्ट आरोप है कि श्री दूबे इस पैसे को रिलीज नहीं कर रहे हैं बगैर दो परसेन्ट कमीशन के।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें, यह आपका बहुत व्यापक सवाल है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि इस पैसे को कब तक रिलीज करवा देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना–

पैसा 20 अगस्त, 83 को भेजा जा चुका है।

श्री ऊदल–

माननीय मन्त्री जी को क्या इस बात की जानकारी है कि जो रुपया भेजा गया है, उसके मुताबिक काम वहां पर अभी तक शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या जानकारी करवा कर, तुरन्त कार्य शुरू करवा देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना–

रुपया इसी इरादे से भेजा गया है कि काम शुरू किया जाये, अगर किसी वजह से काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो उसे शुरू करवा दिया जायगा।

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में पत्र

*8–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 7080 दिनांक 21-2-83 जो अध्यक्ष, छात्रसंघ नेशनल कालेज नेचरोपैथी एण्ड रिसर्च उ0 प्र0 को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिए जाने के संबंध में है, मिला ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह–

जी हां।

यद्यपि शासन ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को 1979 में मान्यता प्रदान की थी, तथापि इसे कार्यरूप में लाये जाने की प्रक्रिया पर अध्ययन किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शासन ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए 1979 में मान्यता तो प्रदान कर दी लेकिन अभी तक उसे क्रियान्वित नहीं किया गया, जबकि 1982 में इसे अधिनियम में अधिनियमित भी कर दिया गया, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसकी प्रक्रिया को अभी तय न कर पाने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह एक योजना संबंधी प्रश्न है और विचार इस पर जारी है, छठी पंचवर्षीय योजना में इस पर हम पूर्ण रूप से विचार कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह प्रश्न योजना से ताल्लुक रखता है, वित्तीय संसाधनों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इतने दिनों तक इसे अनिश्चितता में क्यों डाला जाए ? यह इंस्टीट्यूट एक हैदराबाद में है और दूसरा यहां, लेकिन यहां पर इसका पंजीकरण न होने की वजह से अनिश्चितता की स्थिति में छात्र भी पड़े हुए हैं, इसलिए इस मसले पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय लिए जाएं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ठीक है, इस पर शीघ्र ही विचार कर लेंगे ।

डफरिन अस्पताल, मेरठ में गर्भवती महिला का आपरेशन तथा महिला डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही

*9–श्री रियासत हुसैन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि डफरिन अस्पताल, मेरठ में दिनांक 20 अप्रैल, 82 को एक गर्भवती महिला (श्रीमती रेखा) का आपरेशन लेडी डा0 वार्ष्णेय द्वारा किया गया था और टांके लगाते समय सैनेटरी स्पंज महिला के पेट में छोड़ दिया गया था, फलस्वरूप कुछ समय पश्चात् उक्त महिला के पेट में दर्द हुआ और स्थानीय मेडिकल कालेज में एक्सरे की जांच के पश्चात् आपरेशन द्वारा उक्त स्पंज निकाला गया? मेडिकल कालेज के शल्य चिकित्सक ने मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिखकर उक्त महिला डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखा था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह–

जी हां । इस मामले में जांच स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा की गयी है और संबंधित चिकित्सकों को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि व चेतावनी दे दी गयी है ।

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मसले की जांच किस अधिकारी द्वारा हुई है, और जांचकर्ता अधिकारी ने अपनी अंतिम सिफारिश इस मसले में क्या दी, जिसके ऊपर सिर्फ दोषी कर्मचारियों को चेतावनी देकर मामले को समाप्त कर दिया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य ने इस मामले की जांच की । और यह सही है कि आपरेशन के दो दिन बाद उस महिला के पेट से रुई गाज निकला, साथ ही यह भी बता दूं कि जिस समय यह आपरेशन हुआ, उस समय पूरा स्टाफ वहां पर नहीं था, आया वगैरह की मदद से किया गया, समस्त औजारों की गिनती भी कर ली गयी, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इस मामले में जरूर हुई है । हमेशा एक्सपर्ट से ही एक्सीडेन्ट होते हैं । यह लापरवाही हुई है, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं ।

प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, तिगरी, मनकावाला, नगीना बिजनौर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*10–श्री तपेश्वर (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, तिगरी, मनकावाला, नगीना बिजनौर के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु उप निदेशक होम्योपैथी, जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी परगना अधिकारी नगीना बिजनौर ने दिनांक 16-3-83 को जांच की ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? शासन द्वारा रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

जांच से शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर से नैपाल राज्य व बिहार प्रदेश को खाद्यान्नों की अवैधानिक तस्करी

*11–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्थान मऊपाकड़ से दूरिया व परतावल से गल्ला (चावल गेहूं) नेपाल राज्य व बिहार प्रदेश को अवैधानिक रूप से तस्करी रूप में भेजा जाता है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

जनपद गोरखपुर से नैपाल राज्य को खाद्यानों की तस्करी तथा बिहार प्रदेश को खाद्यानों के अनियमित संचरण की सूचनायें सरकार को प्राप्त हुई हैं ।

नेपाल राज्य को तस्करी रोकने के उद्देश्य से उक्त राज्य की सीमा से लगे हुए, बार्डर एरिया में गेहूं/धान/चावल के संचरण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीमा पर बैरियर्स स्थापित किये गये हैं और मण्डलीय स्तर पर गठित सचल दस्तों व स्थानीय स्टाफ द्वारा चेकिंग की जाती है ।

बिहार प्रदेश को खाद्यान्नों का अनियमित संचरण रोकने के उद्देश्य से विभागीय स्टाफ द्वारा चेकिंग/पेट्रोलिंग की जाती है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला इस प्रदेश की सरकार के लिए बहुत ही लज्जाजनक है क्योंकि मैंने इसी सदन में अनेक बार इस प्रश्न को उठाया है कि गोरखपुर जनपद में स्थित स्थान पाकड़, सिंदुरिया व परतावल से अवैधानिक रूप से गल्ले की तस्करी होती है। यहां से नैपाल की सीमा बहुत ही निकट है। जो मारकेटिंग विभाग है उसका आर0 एम0 ओ0 बहुत तेजी से इसका संचालन कर रहा है और अब उसको वहां का डिप्टी आर0 एफ0 सी0 बना दिया गया है। क्या मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि वर्तमान डिप्टी आर0 एफ0 सी0 के कितने सचल दस्तों ने अवैध संचरित तस्करी के मामलों को पकड़ा है ?

श्री वासुदेव सिंह–

यह निजी प्रश्न है। इसके लिए इनको दूसरा प्रश्न करना होगा।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि शासन इस बात पर विचार करेगा कि यह सरकार भी जनता सरकार की भांति पूरे प्रदेश में एक ही खाद्यान्न का जोन बना कर स्मगलिंग, चोरबाजारी को समाप्त करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

(खाद्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं, कृपया आप बैठें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि इसी सदन में आपने चीन को गोरखपुर और देवरिया होकर तस्करी किया जाना स्वीकार किया है। वह वरिष्ठ अधिकारी आज भी अभी तक इस धन्धे में लिप्त है। आपका मारकेटिंग विभाग और आर0 एफ0 सी0 इसमें पूर्णतया लिप्त है और दिल्ली की ट्रकें माल को इधर से उधर ले जाती हैं। तो क्या आप उसका ट्रान्सफर करके या उसके विरुद्ध आप कोई महत्वपूर्ण व प्रभावी निर्णय लेने के लिए तैयार हैं ?

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, उसने कई चेकिंग की हैं इसलिए उसका हटाना सम्भव नहीं है। क्या उस चेकिंग से माननीय सदस्य शंकावान हैं जो उसे वहां से हटवाना चाहते हैं ?

आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धति के फार्मेसिस्टों का प्रशिक्षण

*12–श्री भीखा लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार एलोपैथिक पद्धति के फार्मेसिस्टों का प्रशिक्षण मेडिकल कालेजों में दिया जाता है उसी के अनुरूप आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धति के फार्मेसिस्टों का प्रशिक्षण निजी संस्थाओं के हाथों से निकालकर राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेजों में कराने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो यह परिवर्तित नीति कब से लागू की जायेगी?

श्री हरि सिंह–

फिलहाल इस प्रकार की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है।

श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के दो हिस्से थे–एक हिस्सा यह था कि आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धति के फार्मेसिस्टों का प्रशिक्षण निजी संस्थाओं के हाथों से निकाल कर सरकारी कालेजों में कराने के लिये तथा दूसरा यह था कि यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इसमें क्या कठिनाई है, क्या मंत्री जी इसे बताने की कृपा करेंगे कि उनको इसमें क्या कठिनाई महसूस होती है कि सरकारी मेडिकल कालेजों में उनको ट्रेनिंग करानी चाहिये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इसकी अभी आवश्यकता नहीं है।

*13–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 17-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित]

साधन सहकारी समिति लि0, अर्निया मंसूरपुर, बुलन्दशहर में गबन की जांच

*14–श्री छत्तर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति लि0 अर्निया मंसूरपुर के 14 हजार रुपये के गबन के दोषी ब्रांच मैनेजर, सहकारी बैंक, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं हुई, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

ब्रांच मैनेजर सहकारी बैंक ब्रांच खुर्जा के विरुद्ध कोई कार्यवाही न ही हुई क्योंकि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में इनके विरुद्ध कोई दोष नहीं पाया।

श्री छत्तर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब बैंक से पैसा निकाला जाता है तो बैंक प्रबन्धक की जिम्मेदारी होती है, क्या?

श्री बच्चा पाठक–

इससे तो उठता नहीं है।

श्री छत्तर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें बैंक के मैनेजर की जिम्मेदारी है या नहीं, बैंक के मैनेजर ने चेक पर हस्ताक्षर किये और उसको पास किया। तो बैंक के मैनेजर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, इसकी जांच की गयी और मैनेजर को दोषी नहीं पाया गया। इसी कारण बैंक मैनेजर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह 14 हजार का मामला है। कोआपरेटिव विभाग लाख दो लाख के मामले पर कोई कार्यवाही नहीं करता। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जब तक करोड़ दो करोड़ का मामला नहीं होगा उसकी जांच नहीं करायी जायेगी और उसे अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

यह इससे नहीं उठता है।

कानपुर में गंगा नदी में जल प्रदूषण का कारण तथा रोक थाम हेतु कार्यवाही

*15–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, अक्तूबर, 82 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियन्ताओं तथा शोध संस्थान के डा0 एच0 सी0 अरोड़ा, श्री चट्टोपाध्याय व श्री तापेन राय द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कानपुर में गंगा का जल सर्वाधिक विषाक्त एवं प्रदूषित है तथा कानपुर सरसैया घाट पर प्रति सौ मिली लीटर जल में एक करोड़ जीवाणु हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी घातक हैं? यदि हां, तो कानपुर में गंगा का जल दूषित होने के कारण क्या हैं तथा शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

नेशनल एन्वायरनमेन्ट इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, कानपुर द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कानपुर में गंगा नदी का जल मुख्यतया जीवाणुओं और कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा के कारण प्रदूषित पाया गया है। किन्तु कानपुर जल संस्थान द्वारा नागरिकों को पीने के लिए जिस जल की आपूर्ति की जाती है वह गंगा नदी के अपस्ट्रीम से लिया जाता है, जहां प्रदूषण अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसके अतिरिक्त आपूर्ति किए जाने के पूर्व जल को विधिवत शुद्ध भी किया जाता है। अतः आपूर्ति किया जा रहा पेयजल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है।

नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण गंदे नालों के द्वारा घरेलू और औद्योगिक गंदगी का गंगा नदी में प्रवेश है। प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गयी:–

(1) नगर के तीन प्रमुख नालों– नवाबगंज, सीसामऊ एवं गुप्तारघाट– के गंदे पानी को डाइवर्ट करके सीवेज फार्म तक पहुंचाने के लिए एक योजना तैयार की गयी है;

(2) जाजमऊ स्थित टेनरियों के दूषित उत्प्रवाहों के लिए एक संयुक्त शुद्धिकरण प्लान्ट की स्थापना हेतु एक रिपोर्ट तैयार है; तथा

(3) तीन उद्योगों द्वारा शुद्धिकरण की आंशिक व्यवस्था कर दी गयी है तथा दस उद्योगों द्वारा ऐसी योजना तैयार करायी जा रही है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैंने केवल एक ही प्रश्न पूछा था कि नेशनल एन्वायरनमेंट इंजीनियरिंग इन्सटीट्यूट, कानपुर के द्वारा अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा है कि सरसैया घाट और

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

उसके आगे तक गंगा का जल प्रदूषित हो गया है और उसके कारण कीटाणु और हानिकारक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उस सर्वे रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसके पानी को प्रयोग करने से, पीने से और स्नान करने से तमाम प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिनका उल्लेख उस सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरसैया घाट से लेकर जाजमऊ तक कम से कम 2 मील तक कानपुर और उन्नाव का शहर बसा हुआ है और गंगा के पानी का प्रयोग उनको करना पड़ता है। आदमियों के साथ ही साथ जानवरों को भी वही प्रदूषित पानी पीना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदूषण को रोकने के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री राम सिंह खन्ना–

मैं आपको बता दूं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही करना संभव नहीं है, क्योंकि बिना योजना बनाये इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है और इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। इसके लिए योजना बना दी गई है। वह हमने आपको लिखकर दे दी है। जहां तक पेयजल के प्रदूषण के बारे में आपने प्रश्न किया है उसके लिये पानी के शुद्धिकरण के संबंध में व्यवस्था की गई है।

श्री ऊदल–

श्रीमन्, मरे हुये पशुओं को लोग ले जाकर नदियों में डाल देते हैं और मनुष्य भी जो मर जाते हैं उन्हें आज भी हिन्दुस्तान में नदियों में डाल देने की प्रथा है। स्वास्थ्य मंत्री जी जानते हैं कि यह बनारस में कितना होता है। मरे हुये पशुओं और मनुष्यों को नदियों में डाल देते हैं। दूसरी बात यह है कि नदियों में गन्दे नालों से पानी आ जाता है। तीसरे उद्योगों से संबंधित पानी भी उनमें आता है। तो कम से कम प्रदेश की जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं उनके लिये आप एक बृहद् योजना बनायें जिससे कि मरे हुये पशुओं और मनुष्यों को उनमें न डाल कर उनके पानी को प्रभावित न कर सकें। इस पर आप रोक लगाने की कृपा करेंगे ताकि प्रदूषण न हो और लाशों में कीटाणु जो पैदा हो जाते हैं उनसे नदियों का पानी प्रदूषित न हो सके?

श्री राम सिंह खन्ना–

जहां तक लाशों को बहाने का ताल्लुक है उस पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही उस पर निर्णय लिया जायेगा। दूसरे जहां तक उद्योगों का संबंध है उनसे भी कहा गया है कि पानी के शुद्धिकरण की दिशा में कदम उठाएं। जैसा मौजूदा कानून है, उसमें संशोधन के लिये हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है क्योंकि शिकायत दायर होने पर मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत करनी पड़ती है कि अपने आप उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसलिये यह व्यवस्था हो रही है। उनको भी समझाकर कोशिश की जा रही है। चमड़े के कारखाने वालों द्वारा एक सहकारी समिति बनायी गई है जो कि एक करोड़ रुपये की योजना है, हम भी योगदान देंगे। इसके संबंध में उद्योग निदेशक के सभापतित्व में एक मीटिंग 5 सितम्बर को होने जा रही है जो कि कानपुर में होगी। इन सारी समस्याओं को उसमें रखा जायेगा और निर्णय लेकर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

माननीय मंत्री जी को मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से यह कहा था कि जो गंगा जी का पानी विषाक्त हो गया है उसको समाप्त करने के लिये आपने दीर्घकालीन योजना बना दी है। मेरी निश्चित जानकारी है कि जो रिपोर्ट आपके पास आयी है उसमें उन्होंने कहा है कि इस जल के प्रयोग से सैकड़ों प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मैंने यह जानकारी अपने प्रश्न में दी थी कि सरसैया घाट में जो लाशें जलाई जाती हैं . . . .

श्री अध्यक्ष–

आप व्यापक प्रश्न न करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो सर्वेक्षण रिपोर्ट इस तरह की आपको प्राप्त हुई है तो उसमें क्या है जो विषाक्त पानी से बीमारियां फैल रही हैं उसको रोकने के लिये आपने क्या-क्या उपाय सोचे हैं?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, प्रदूषण की समस्या के बारे में जितनी बातें कही गयी हैं हम जानते हैं उसके समाधान हेतु उपाय किये जा रहे हैं और किये गये हैं। उन्हीं पर काम हो रहा है मैंने निवेदन किया कि 5 सितम्बर को एक मीटिंग इस संबंध में कानपुर में होने जा रही है। उस पर फैसला लेकर काम शुरू कर दिया जायेगा।

नगरपालिका, फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विभिन्न मोहल्लों में खोदी गयी सड़कों को भराने की मांग

*16–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका क्षेत्र, फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विभिन्न मोहल्लों में 31 दिसम्बर, 1982 तक उ0 प्र0 जल निगम की फर्रुखाबाद शाखा ने जो नई पाइप लाइन डाली है उसको डालने में जो सड़कें खोदी गई थीं वे ठीक नहीं की गई हैं जिसके फलस्वरूप नागरिकों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी तथा कब तक यह सड़कें दुरुस्त कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

नगरपालिका फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विभिन्न मुहल्लों में 31 दिसम्बर, 1982 तक जल निगम की फर्रुखाबाद शाखा ने जो नई पाइप लाइन डाली है, उनको डालने में जो सड़कें खोदी गई थीं, उनका भरान करके अस्थाई रूप से ठीक करा दिया गया था। इन सड़कों को स्थायी रूप से ठीक कराने हेतु नगरपालिका, फर्रुखाबाद को जल निगम द्वारा फरवरी, 1982 में रु0 50,000.00 की पहली किश्त दी गयी थी जिसके कुछ क्षतिग्रस्त सड़कों व गलियों की मरम्मत का कार्य सम्पन्न किया गया । अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों व गलियों की मरम्मत का कार्य नगरपालिका द्वारा जल निगम से स्वीकृत योजना के प्राविधानानुसार धनराशि प्राप्त करके की जायेगी ।

*17–श्री खैरुल बशर–

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति और तैनाती

*18–श्री मोहन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति और तैनाती के लिए 1973 में जो आवेदन पत्र मांगे गये थे और तत्सम्बन्धी जो साक्षात्कार सन् 1974 से 1976 की अवधि में हुए थे, से संबंधित सफल अभ्यर्थियों की सूची लोक सेवा आयोग ने शासन को कब भेजी और उसका गजट नोटीफिकेशन कब हुआ ? यदि गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो क्यों?

श्री हरि सिंह–

लोक सेवा आयोग ने चुने गए अभ्यर्थियों की मुख्य सूची दिसम्बर, 1977 में तथा अनुपूरक सूची जून, 1978 में शासन को भेजी थी।

इस सूची के आधार पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। इसका कारण यह है कि कुछ याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने पहले से तदर्थ रूप से नियुक्ति चिकित्साधिकारियों की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश में स्थगन दे दिया था और शासन ने यह निर्णय भी ले लिया था कि 1 जनवरी 1977 तक तदर्थ रूप से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये सरकारी सेवकों का जिन्होंने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो विनियमितीकरण किया जाएगा।

श्री मोहन सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस मामले में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश हुए थे उसमें अन्तिम फैसला क्या हुआ। इस फैसले के बाद तदर्थरूप से डाक्टरों की तदर्थ नियुक्तियां की गयी। इस वर्ष आप पब्लिक सर्विस कमीशन से भरने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ रिक्तियां खाली हैं जिनके अगेन्स्ट इन डाक्टरों को आबजार्व किया जा सकता उसको न करने का क्या आधार है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, जिस मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया उसमें प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य भी थे। मान्यवर, इसके पूर्व में कुछ कहूं, मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूं कि यह सारी प्रक्रिया उच्च न्यायालय में है अगर आप आदेश दें तो मैं कुछ कहूं अन्यथा माननीय मोहन सिंह जी उस मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते सारी बातें जानते हैं।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने तो यह प्रश्न किया था कि उच्च न्यायालय का क्या अंतिम फैसला हुआ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अभी फैसला नहीं हुआ, लम्बित है।

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

परिवार नियोजन को सफल बनाने हेतु प्रदत्त सरकारी सुविधायें

*19—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए सरकार, जिनके दो बच्चे हैं उन्हें नौकरी में आवास आवंटन, राशन में तथा भूमि आवंटन में तथा अन्य सरकारी सुविधाओं में वरीयता देगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

दो बच्चों तक अपना परिवार सीमित रखने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने वाले व्यक्तियों को अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त आवासीय भवन/भू-खण्ड आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नौकरी में, राशन में तथा अन्य सरकारी सुविधायें दिए जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं का कथित अधिग्रहण

*20—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिसूचना संख्या 1221/17, दिनांक 1-3-81 लखनऊ 17 अप्रैल, 1982 के अन्तर्गत प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं का विधिवत् अधिग्रहण होना था? यदि हां, तो लखनऊ स्थित नेशनल कालेज आफ नेचुरोपैथी एण्ड रिसर्च का अधिग्रहण अब तक न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री वृजेन्द्र पाल सिंह, संसद सदस्य की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तारी

**1—श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1983 में जनपद मुरादाबाद में किसी संसद सदस्य को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया ? यदि हां, तो उनका नाम क्या है? तथा उनके विरुद्ध मुख्य आरोप क्या थे?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

श्री वृजेन्द्र पाल सिंह संसद सदस्य दिनांक 17/18 जुलाई, 1983 की रात में अपराध संख्या 248 ए/83, अपराध संख्या 244 ए/83 थाना बहजोई एवं अपराध संख्या 225/83 थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद के संबंध में गिरफ्तार किये गये थे। जब वह न्यायिक हिरासत में थे तब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरोधादेश दिनांक 18-7-1983 तामील किया गया। वह 19-7-83 को शासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

श्री वृजेन्द्र पाल सिंह की निरुद्धि के आधार संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 115 पर।)

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें सूची दी है और बताया है कि जो वृजेन्द्र पाल सिंह, संसद सदस्य हैं इन्होंने 24-4-83 को मुरादाबाद में सहायक निबंधक के यहां डकैती की, 30-5-83 को इन्होंने प्रधान का अपहरण किया और 16-7-83 को थाने में गोलियां चलाईं। तीन महीनों के अंदर इन्होंने इतने जघन्य अपराध किये। सांसद होने के नाते इन्होंने एक सांसद की गरिमा को कलंकित किया . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मैं पूछना चाहता हूं कि इतने गंभीर आरोप होते हुए भी उनके खिलाफ जो वहां के जिलाधिकारी ने भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो निरोधात्मक आदेश किये थे उनको क्यों वापस कर दिया गया . . . . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप प्रश्न करिये . .

श्री कुंवर सिंह नेगी–

दूसरा यह कि जिस जिलाधिकारी ने यह कार्यवाही की उनको किस वजह से वहां से तुरन्त स्थानान्तरित किया गया? मुरादाबाद जैसे संवेदनशील जिले में उस जिलाधिकारी ने ऐसा काम किया। उसको बजाय रिवार्ड देने के इस प्रकार के [XX] आदमी के लिए प्रशासन के मनोबल को खतम किया गया है इसका मैं उत्तर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। इतना समय लगाया लेकिन किसी प्रकार का ठीक से प्रश्न नहीं किया।

मुख्यमंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं (व्यवधान) (कई मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय . . . . . ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . . ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नही होता है। आप लोग बैठ जांय। नेता सदन कोई बात कहना चाहते हैं तो उसको आप लोग सुनें।

(व्यवधान)

नोट–[XX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

पहले [**] को गिरफ्तार किया गया और फिर उसको छोड़ क्यों दिया गया?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मा0 सदस्य ने [**] शब्द जो संसद सदस्य के लिये इस्तेमाल किया है उसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष–

यदि [**] शब्द प्रयोग किया गया है तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा आप लोग बैठें।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मा0 संसद सदस्य की गिरफ्तारी के पहले क्या उन्होंने मुख्य मंत्री को, वहां के जिलाधिकारी को हटाने के सिलसिले में, कोई लिखित पत्र दिया है? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और कब दिया है?

श्री श्रीपति मिश्र–

मा0 अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पत्र दिया था, वह मेरे पास है।

श्री रियासत हुसैन–

क्या मा0 मुख्य मंत्री जी श्री बृजेन्द्र पाल सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जो जिला अधिकारी की रिपोर्ट आयी है वह किन-किन आधारों पर आयी और उसके बाद मुरादाबाद की जनता में उसका क्या रिएक्शन हुआ है, जिसकी इंटेलीजेन्स द्वारा रिपोर्ट आयी होगी, इसलिए इन दोनों बातों को क्या सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र–

निरुद्धि का आधार संलग्न है, उत्तर में दिया गया है और जो रिपोर्ट हमारे गुप्तचर विभाग की आयी है, जो रिएक्शन की आयी है, मैं समझता हूं कि रिएक्शन की रिपोर्ट यहां नहीं दी जा सकती है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने संसद के निरुद्धि के आधार तो बता दिया लेकिन जब प्रशासन ने मीसा के अन्तर्गत उनको निरुद्ध किया तो शासन उस निरुद्धि आदेश को तो निरस्त कर सकता है . . . .।

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(सदन में ''नहीं'' लाबी की ओर दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके गये)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, पर्चे फेंके गये हैं . . .।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें। उस पर बाद में कार्यवाही होगी।

नोट:–[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री मोहन सिंह–

लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो संदर्भित मामले हैं जिन पर उनके ऊपर डकैती के आरोप हैं, किसी को गोली से मारने के 302, 395, 307 जैसी आपराधिक धारायें दर्ज होते हुए प्रशासन ने उनको मीसा के तहत निरुद्ध किया तो शासन के पास तत्काल कौन से ऐसे साक्ष्य थे जिनके आधार पर उनको निर्दोष मान लिया और मीसा का निरुद्ध का आदेश निरस्त कर दिया।

श्री श्रीपति मिश्र–

पहले सूचना तो मैं आपको यह दे दूं कि 302 का कोई आरोप नहीं था। और जहां तक अन्य आरोपों का संबंध है, उनके बारे में जिलाधिकारी ने अपने अन्दाज से संस्तुति की है, मगर उसके बाद शासन को भी यह अधिकार है कि वह उसकी जांच करायें और उसे देखे कि उन आरोपों का वह अनुमोदन करे या न करे। शासन की जांच में वे आरोप अनुमोदित करने योग्य नहीं पाये गये। इसलिये उसे निरस्त कर दिया....,

(शोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो आंतरिक सुरक्षा की नियमावली है उसमें यह लिखा हुआ है कि केवल उन धाराओं का होना ही आवश्यक नहीं है, उनके ऊपर जो यह कई तरह की धारायें आरोपित हैं उसके अलावा भी उनसे समाज में खतरा और आतंक या भय उत्पन्न हो गया था। नियमावली में यह लिखा है कि अगर कोई आदमी मीसा के परिव्यू में नहीं आता, लेकिन अगर उससे समाज में आतंक, अशान्ति या भय आदि का खतरा है तो उसे बन्द किया जा सकता है। (व्यवधान) ऐसा व्यक्ति भी उस नियमावली के तहत मीसा के अन्दर बन्द किया जा सकता है। 18 तारीख को जिलाधिकारी ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कई धाराओं के अतिरिक्त भी 3 पैराग्राफ लिखे हैं जिसमें श्री सिंह के आचरण, उनके कार्य करने के ढंग, दुर्व्यवहार और दहशत आदि समाज में पैदा करने के आरोप लिखे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें। आप प्रश्न न करके भाषण दे रहे हैं, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं साफ यह जानना चाहता हूं कि 18 तारीख को जिलाधिकारी ने जो आरोप-पत्र श्री सिंह के विरुद्ध भेजा वह शासन को कब प्राप्त हुआ और शासन ने उस पर कब फैसला लिया तथा जो 3 पैराग्राफ और लिखे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है तथा क्या यह भी सही है कि प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कहने और राजनैतिक दबाव के कारण यह किया गया...

(शोर व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र–

अध्यक्ष जी, यह सर्वथा निराधार है कि प्रधान मंत्री या किसी के दबाव से निरुद्ध का अनुमोदन नहीं किया गया। वास्तविकता यह है कि जो भी वहां से निरुद्धि के आधार आये थे, उसको स्वतः मैंने देखा, उसकी जांच कराई गयी, उसके बाद उसको निरस्त किया गया।

(शोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री रेवती रमण सिंह–

इस प्रश्न के मान्यवर, दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि एक संसद सदस्य को गिरफ्तार किया गया और जिनके खिलाफ तमाम धारायें लगायी गयीं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया प्रश्न करें।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह–

मैं यह कह रहा था कि इतनी गम्भीर धाराओं के बावजूद ही उनको गिरफ्तार किया गया, जब उन्होंने गोलियां चलाईं, जब उन्होंने प्रधान का अपहरण कर लिया, उसके बाद की एक गम्भीर स्थिति में जिलाधिकारी ने ऐसी कार्यवाही की। लेकिन उसको खत्म कर दिया गया और उस जिलाधिकारी को 24 घंटे में वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया, जिससे पूरा शासन डिमारलाईज हो गया है और अब कोई भी अधिकारी गम्भीर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लए तैयार नहीं है, तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

यह डी0 एम0 के रिश्तेदार हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं . . .

(व्यवधान)–(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब आप लम्बी चौड़ी बात कहेंगे और प्रश्न ठीक से नहीं पूछेंगे, तो मैं इस प्रकार से आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस खामोश सरकार से, जो उसने इस एक्शन को लेने में चुस्ती दिखाई है, इसके लिए इनको बधाई दी जा सकती है, श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मीसा का जो आदेश आता है वहां से . . (व्यवधान) ऐसा है मीसा की संस्तुति करने के लिए . . .

(व्यवधान)

श्री खेरूल बशर–

श्रीमान, आप इन [**] को खामोश करें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मीसा की संस्तुति करने के लिए यहां एक बोर्ड बना है, एक बोर्ड नियमानुसार बना हुआ है। 18 तारीख को वहां से पत्र भेजा जाता है आदेश मांगने के लिए कि उसमें मीसा की संस्तुति कर दी जाए, वह पत्र 19 को आपको मिला, उसके बाद वह कमेटी या बोर्ड कब बुलाया गया और कब उसकी मीटिंग हुई? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसको सामने रखें और उसके बाद संस्तुति या असंस्तुति कब दी गई?

श्री श्रीपति मिश्र–

18 को रिपोर्ट आयी, 18 को निरुद्धि आदेश हुआ, 19 को रिपोर्ट आयी नेता विरोधी दल ने कहा और यह जानना चाहा कि बोर्ड कब बुलाया गया, तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि बोर्ड को स्वीकृत देने के लिए, संस्तुति करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, जब वह आता है तो विभागीय ढंग से मुख्यमंत्री के पास सीधे आता है– स्वीकार होता है या अस्वीकार होता है। यदि स्वीकार होता है तो वह बोर्ड के सामने जांच के लिए जाता है, वह उसे स्वीकार करे या न करे। पहले मुख्यमंत्री ही उसको देखता है, वह उसको अस्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार हो जाय तो वह फिर बोर्ड के पास जाएगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां के संसद सदस्य ने और वहां के सारे कांग्रेस-आई के विधायकों ने मुख्य मंत्री जी को, वहां के जिलाधिकारी, एस0 एस0 पी0 व उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध, जहां पर श्री वृजेन्द्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थीं, एक शिकायती-पत्र दिया था? और उसके बाद इन सारे अधिकारियों ने साजिश करके उनके विरुद्ध तमाम फर्जी केस और मुकदमें दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए षडयंत्र किया है? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री विधायकों और संसद सदस्य के पत्र के आधार पर, जो अधिकारी बाकी रह गये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, यह इससे नहीं उठता है।

श्री भीखालाल–

18 तारीख को जिलाधीश की रिपोर्ट मिली थी और 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी प्रधान मंत्री के स्वागत में देहरादून चले गये, तो क्या यह सही है कि जिलाधीश के तबादले का आदेश मुख्य मंत्री ने देहरादून से भेजा है?

श्री श्रीपति मिश्र–

मैं 18 को यहां रहा और 19 को यह आदेश आया। जैसा आपने अभी यहां कहा कि क्या इस तरह का निरुद्धि का आदेश इस तरह की जल्दी से निपटाया जाता है, तो यह पहली बार ऐसी घटना हुई है कि संसद सदस्य के विरुद्ध निरुद्धि का आदेश हुआ है।

नोट–[**] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक सदस्य–

वह भी शासक पक्ष के।

श्री श्रीपति मिश्र–

निश्चित रूप से इसके लिये हमको तत्परता से इसकी जानकारी करनी थी। तत्परता से जानकारी करके मैंने आदेश दिया। यह आदेश मैंने देहरादून से नहीं भेजा।

राजकीय डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस करने पर रोक

**2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के माध्यम से शासन को इस प्रकार का कोई निर्देश हाल ही में प्राप्त हुआ है कि राजकीय डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर लगी रोक हटा दी जाये? यदि हां, तो इस पर अब शासन की क्या नीति है?

श्री हरि सिंह–

जी नहीं। केन्द्रीय सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे जो रोक हटी थी उसको फिर से लगा दिया है? यदि हां, तो इसकी परिवर्तित रूपरेखा क्या है? क्या पुरानी व्यवस्था लागू होगी? उनको कितना भत्ता दिया जायगा। नयी व्यवस्था की रूपरेखा क्या है?

श्री लोकपति–

मान्यवर, नई व्यवस्था आज से लागू हुई है। पहली सितम्बर, 83 से वही व्यवस्था है जो पहले थी। 31-10-1982 के पूर्व जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था पहली सितम्बर, 83 से लागू हुई है।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर में बहुमंजिली इमारतों का अवैध निर्माण

1–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री ओमप्रकाश जिन्दल तथा श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत लखनऊ शहर में कितनी बहुमंजिली इमारतें बिना नक्शा पास हुए सन् 1982 तक बनी हुई हैं? क्या सरकार उन इमारतों को गिराने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट:–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राम सिंह खन्ना–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत लखनऊ शहर में 1982 तक 36 बहुमंजिली इमारतें बिना नक्शा पास हुए बनीं। इन अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम, जनपद हरदोई के पर्यवेक्षक श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव की सेवा पुस्तिका

2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम में पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव की 18 वर्ष सेवाओं के बावजूद भी इनकी सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की गई है जिसके कारण उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है और सेवा पुस्तिका कब तक तैयार करा दी जायेगी?

श्री लोकपति–

श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव की सेवा पुस्तिका तो पहले ही बना ली गई थी परन्तु उसमें उनके पूर्व जिलों के सेवाकाल की प्रविष्टियों के सत्यापन के कार्य के पूर्ण न होने के कारण उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि तथा अवकाश के नकदीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रश्नगत सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के सत्यापन का कार्य तत्परता-पूर्वक पूर्ण किया जा रहा है। उक्त कार्य में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी तथा कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

परिवार नियोजन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद एवं वैकल्पिक व्यवस्था

3–श्री बंशीधर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-1-83 को उ0 प्र0 में परिवार नियोजन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर स्थानीय व्यवस्था पर प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य किया जा रहा है? क्या उनकी स्वीकृति शासन ने दे दी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

दिनांक 31-1-83 को प्रदेश में 5 प्रशासनिक अधिकारी के पद रिक्त थे। 11 पदों पर स्थानीय व्यवस्था के आधार पर अनौपचारिक रूप से नैत्यक कार्य लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर अभी कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है तथा वर्तमान में पद सृजन की कार्यवाही प्रगति पर है।

जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर में कार्यरत श्री राम बृक्ष एवं श्री सुरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी क्लर्क के विरुद्ध शिकायतें

4–श्री किरंगी प्रसाद विशारद–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पूर्ति कार्यालय से संबंधित किन-किन क्लर्कों के विरुद्ध मई, 1980 से जनवरी, 1983 तक

शिकायतें शासन व स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं? क्या इन शिकायतों में श्री रामवृक्ष क्लर्क का भी नाम है जिसकी जांच डी0 एस0 ओ0, गोरखपुर को मिली हुई है? यदि हां, तो अब तक जांच कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री वासुदेव सिंह–

जनपद गोरखपुर के पूर्ति कार्यालय से संबंधित दो क्लर्कों सर्वश्री सुरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी तथा राम बृक्ष के विरुद्ध मई, 1980 से जनवरी, 1983 तक के बीच शिकायतें शासन स्तर पर प्राप्त हुयी। स्थानीय अधिकारियों को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। प्राप्त शिकायतों में श्री राम बृक्ष के विरुद्ध प्राप्त शिकायत भी सम्मिलित है जिसकी जांच जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा की गई। जांच में शिकायत प्रमाणित नहीं हुई।

प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में की गयी सीधी नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां

5–श्री राम गोविन्द–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में 25-8-1972 के पश्चात् बिना उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के माध्यम के सीधे बैंक स्तर से नियुक्तियां, पदोन्नतियां की गयी हैं? यदि हां, तो वर्गवार कुल कितने ऐसे कर्मचारी अब भी कार्यरत हैं? तथा कितने कर्मचारियों ने 240 दिन की अवधि पूरी कर ली है? क्या ऐसे कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं श्रमिकों के लिए बने कानून लागू होते हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों के सेवाओं के नियमितीकरण का सरकार क्या विकल्प ले रही है? जबकि ऐसे कर्मचारी 240 दिन से अधिक एवं लगभग 10 वर्ष से कड़ी मेहनत एवं लगन से कार्य कर रहे हैं तथा निर्धारित आयु सीमा भी पार कर चुके हैं?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां। नियुक्तियों/पदोन्नतियों का ब्योरा मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं।

जिन कर्मचारियों ने 240 दिन तक निरन्तर सेवा कर ली है उन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रंगू प्रसाद त्रिपाठी, फार्मेसिस्ट, महिला चिकित्सालय, डुमरियागंज, बस्ती की जिला जेल बस्ती में निरुद्ध एवं उस अवधि का अनधिकृत अवकाश व वेतन

6–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रंगू प्रसाद त्रिपाठी, फार्मेसिस्ट, महिला चिकित्सालय डुमरियागंज, बस्ती जो थाना लालगंज बस्ती के निवासी हैं, दिनांक 3 अक्तूबर, 1982 से 4 नवम्बर, 1982 तक यू0 टी0 नम्बर 3053 जिला जेल, बस्ती में निरुद्ध रहे हैं? यदि हां, तो किस दफा में? क्या यह भी सत्य है कि जेल से छूटने के बाद उन्होंने विभाग को धोखा देकर अवकाश स्वीकृत कराकर वेतन प्राप्त किया है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

जी हां। श्री रंगू प्रसाद त्रिपाठी, फार्मेसिस्ट महिला अस्पताल, डुमरियागंज, जिला बस्ती भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324 तथा 307 के अन्तर्गत दिनांक 3-10-1982 से 4-11-1982 तक जिला जेल, बस्ती में निरुद्ध रहे। यह भी सही है कि उक्त अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत करवा कर अपने वेतन/भत्ते का भुगतान प्राप्त कर लिया था।

पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त होने पर उक्त अवधि के उपार्जित अवकाश के आदेश को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि उक्त अवधि में वे निलम्बित कर्मचारी समझे जायेंगे तथा अधिक भुगतान की गयी धनराशि को समायोजित करने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती ने अपने आदेश दिनांक 26-8-1983 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से श्री रंगू प्रसाद त्रिपाठी को निलम्बित भी कर दिया है।

राजकीय जिला महिला अस्पताल, ललितपुर के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायत

7–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न पत्र श्री कैलाश नारायण पाठक, महामंत्री जिला प्राथमिक शिक्षक संघ, ललितपुर का राजकीय जिला महिला अस्पताल, ललितपुर के डाक्टरों की अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 10 फरवरी, 1983 के आस पास मिला है? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति–

जी हां। शिकायतों की जांच की गई। लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुये।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोपागंज, आजमगढ़ के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री सुखारी राम की पेंशन का भुगतान

8–श्री तपेश्वर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखारी राम, हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोपागंज, आजमगढ़ से सेवा निवृत्त हुए 4 वर्ष हो चुके? यदि हां, तो क्या उन्हें पेंशन मिल रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र के लिपिक श्री सुधाकर पाण्डेय द्वारा उसके पेंशन के कागजात गायब कर दिये गये हैं? क्या यह भी सही है कि पैसे के अभाव में उस कर्मचारी को भयानक रोग टी0 बी0 हो गई है? क्या उसे मृत्यु पेंशन सरकार शीघ्र देगी? यदि नहीं, तो कब तक?

श्री लोकपति–

जी हां। पेन्शन अभी नहीं मिल रही है। पेन्शन स्वीकृति हेतु पेन्शन संबंधी कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध करा दिये गये थे जिन पर महालेखाकार ने कुछ त्रुटियां इंगित करते हुए लौटा दिया था। त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है। जी नहीं।

हो सकता है कि पैसे के अभाव में श्री सुखारी राम अपनी बीमारी का इलाज न करा पाये हों। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की सूचना शासन में उपलब्ध नहीं है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा डेढ़गावा, विकास खण्ड बरहनी, जनपद वाराणसी में जच्चा-बच्चा केन्द्र का निर्माण

9—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा डेढ़गावा विकास खण्ड बरहनी जनपद वाराणसी के पूर्वी छोर का अविकसित सीमान्त ग्राम में जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में पत्र संख्या 3979 दिनांक 20-9-82 से मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को किये गये निर्माण संबंधी आदेश का अनुपालन इसी वर्ष हो जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री लोकपति—

जी हां, प्रश्नगत निर्माण कार्य इसी वर्ष 1983-84 में पूर्ण होने की आशा है। निश्चित तिथि बता पाना सम्भव नहीं है।

जिला चिकित्सालय, फैजाबाद के फार्मेसिस्ट श्री के0 पी0 चौधरी का विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न

10—श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में फार्मेसिस्ट श्री के0 पी0 चौधरी, मंत्री फरिमेसिस्ट एसोसियेशन शाखा फैजाबाद ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्पीड़न से विवश होकर न्याय पाने हेतु दिनांक 16-12-82 से आमरण अनशन की कोई नोटिस, तार या प्रार्थना पत्र माह दिसम्बर, 82 में शासन को प्राप्त हुए? और इसी से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त फार्मेसिस्ट श्री के0 पी0 चौधरी की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं? जांचोपरान्त उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उसमें कौन-कौन लोग दोषी पाये गये?

श्री लोकपति—

जी हां। श्री के0 पी0 चौधरी, मंत्री, फार्मेसिस्ट एसोसियेशन शाखा फैजाबाद का दिनांक 16-12-82 का पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ था। श्री चौधरी के पत्र दिनांक 16-12-82 में निम्न शिकायतें की गई थी

1—डेढ़ साल के अन्दर ही उनके सात स्थानान्तरण किये गये जब कि अस्पताल के परिसर में ही श्री एस0 सी0 दूबे एक ही काउन्टर पर (सेन्ट्रल एवं रिजर्व स्टोर) पर 10 साल से कार्यरत रह कर अधीक्षक डा0 डी0 एन0 तिवारी के अनैतिक साधन उपलब्ध कराते हैं।

2—उनकी पत्नी एवं उनका स्थानान्तरण जो मध्य सत्र में किया गया है, को तत्काल निरस्त किया जाय, झूठी शिकायत करके स्थानान्तरण कराने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाय। उनके विरुद्ध जो फर्जी केस बनाये गये हैं उसके लिये डा0

डी0 एन0 तिवारी एवं श्री एस0 पी0 दुबे को यहां से हटा कर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराया जाय। वर्तमान में श्री के0 पी0 चौधरी एवं उनकी पत्नी श्रीमती दर्शन देवी स्टाफ नर्स, फैजाबाद जनपद में ही क्रमशः महिला अस्पताल तथा जिला अस्पताल में तैनात हैं। श्री चौधरी के पत्र दिनांक 16-12-82 में उल्लिखित शिकायतों के प्रकरण में संयुक्त निदेशक फैजाबाद मण्डल द्वारा विस्तृत जांच किये जाने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा आदेश दिये गये हैं।

चिकित्सा संवर्ग में प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का वैकल्पिक वेतनमान

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल फैकेल्टी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखने वाले कितने चिकित्सा संवर्ग में अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बिना पैथालाजिस्ट के कार्यरत हैं, को इस प्रकार की छूट देकर कोई वैकल्पिक वेतनमान दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

108 अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर उसी संवर्ग का अशिक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है। जी नहीं।

अतः अतिरिक्त वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता है।

झांसी जनपद के बामौर स्वास्थ्य केन्द्र के लेखा लिपिक श्री जी0 पी0 मलिक से संबंधित मामले की विभागीय जांच

12—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के बामौर स्वास्थ्य केन्द्र के लेखा लिपिक (श्री ओ0 पी0 मलिक) से सम्बन्धित मामलों में विभागीय जांच वर्ष 1977 में संयुक्त निदेशक द्वारा की गयी है। यदि हां, तो वह जांच क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति—

जी हां, तत्कालीन संयुक्त निदेशक झांसी मण्डल द्वारा की गयी विभागीय जांच के अनुसार लेखा लिपिक श्री ओ0 पी0 मलिक की असावधानी के कारण डाकुओं द्वारा उनसे 15,000 रु0 की सरकारी धनराशि लूट ली गयी। संयुक्त निदेशक की जांच आख्या एवं इस सम्बन्ध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झांसी के निर्णय को ध्यान में रखते हुए श्री ओ0 पी0 मलिक को यद्यपि सेवा में बहाल कर दिया गया किन्तु उनकी असावधानी के कारण 15,000रु0 की लूटी गयी सरकारी धनराशि की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक को "कारण बताओ" नोटिस दिया गया था। नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ज्येष्ठता सूची शासनादेश के अन्तर्गत पदोन्नति

13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठता सूची शासनादेश सं0 05642/11-107 सामान्य (अ)—78, दिनांक 10-11-78 के क्रम सं0 14 पर लिखित व्यक्ति की पदोन्नति न कर क्रमांक 26, 30 से 33 की पदोन्नति कर दी गयी है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसकी जिम्मेदारी किस पर है?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्न में निहित बिन्दु/सिद्धान्त माननीय लोक सेवा अधिकरण/माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

14–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

15–16–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उप निबन्धक, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा सहकारी समितियों के सचिवों की पुनर्नियुक्ति

17–श्री जगदीश सिंह–

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान उप-निबन्धक, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा वर्ष 1981–82 में कितनी सहकारी समितियों के सचिवों को बहाल करके पुनः 82 में नियुक्त किया गया है, जिनकी सेवायें, समितियों में गबन करने के कारण समाप्त की जा चुकी थीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस अनियमितता की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध वीर्यवाही करेगी ?

श्री बच्चा पाठक–

मण्डलीय सम्भागीय प्रशासनिक कमेटी, जिसमें उप निबन्धक, सहकारी समितियां, बरेली की अध्यक्षता में अन्य तीन सदस्य उपस्थित थे, ने शाहजहांपुर जनपद के दो सचिवों को उनके द्वारा नियमानुसार अपील करने पर जिला प्रशासनिक कमेटी के निर्णय को रद्द करते हुए बहाल करने के आदेश दिए थे। चूंकि उक्त निर्णय नियमानुसार की गई अपील पर विचार करने के पश्चात् लिया गया था, अतः इस मामले में शासन द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के लिये सहायक कम टाइपिस्टों के चयन में अनियमितता

18–श्री राम गोविन्द–

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के लिए सेवा मंडल द्वारा चयनित 18 सहायक कम टाइपिस्टों को फरवरी/मार्च, 1983 में नियुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो इन 18 टाइपिस्टों में से कितने अभ्यर्थी इस पद के लिये निर्धारित वांछित टाइप गति (40 शब्द प्रति मिनट) पूर्ण नहीं करते जबकि बैंक में 3-4 वर्षों से कार्यरत अस्थाई कर्मचारी इनसे अधिक टाईप गति रखते हैं? क्या सरकार इस चयन में हुयी अनियमितता की जांच कराकर चयनित 18 टाइपिस्टों का दुबारा किसी मान्य गैर सहकारी संस्था द्वारा टाईप टेस्ट लेकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के लिए सेवा मण्डल द्वारा चयनित 18 सहायक कम टाइपिस्टों को बैंक द्वारा दिनांक 21-3-83 को नियुक्त कर दिया गया है। उक्त 18 चयनित अभ्यर्थियों में से 17 अभ्यर्थी निर्धारित वांछित टाईप गति (40 शब्द प्रति मिनट) पूर्ण करते थे अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी की टंकण

गति 38.7 शब्द प्रति मिनट थी जिसका चयन मण्डल द्वारा किया गया था। इस प्रकार सामान्य, पिछड़ी जाति का चयनित कोई अभ्यर्थी नहीं है जिसकी निर्धारित वांछित टाईप गति (40 शब्द प्रति मिनट) न हो। केवल अनुसूचित जाति का एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसकी गति 40 के स्थान पर 38.7 श0प्र0मि0 थी।

बैंक में तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों में से परीक्षा लेने पर एक अभ्यर्थी की टाईप गति 40 शब्द प्रति मिनट से अधिक पाई गयी, जिसका चयन कर लिया गया था। टंककों का चयन टंकण परीक्षा लेकर ही किया गया था।

सहकारी संस्थाओं में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारी

19—श्री सरदार सिंह, श्री राम गोविंद तथा श्री सन्तबक्स रावत—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 17-1-1983 को विशेष सचिव, सहकारिता विभाग के कक्ष में हुई बैठक में सहकारिता विभाग में कार्यरत (सहकारी संस्थाओं) में अस्थाई कर्मचारियों 240 दिन पूर्ण कर लेने के विषय में कोई निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ में उक्त निर्णय को लागू करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां, विशेष सचिव सहकारिता के कक्ष में दिनांक 17-1-83 को हुई बैठक में सहकारी संस्थाओं में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि तदर्थ रूप से कार्य कर रहे जिन कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता न हो उन्हें सेवा के 240 दिन पूरे करने के पूर्व ही हटा दिया जाय ताकि कोई वैधानिक कठिनाई न हो। तद्नुसार ही उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि0, लखनऊ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री हर्ष नारायण पाण्डे, कर अधीक्षक, नगर महापालिका, लखनऊ के विरुद्ध श्रीमती प्रेमवती तिवारी, सदस्य विधान सभा के शिकायती-पत्र की जांच

20—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी, सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र वर्तमान कर अधीक्षक, नगर महापालिका लखनऊ (श्री हर्ष नारायण पाण्डे) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, जनता को प्रताड़ित करने आदि के सम्बन्ध में दिनांक 25-3-1983 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या वर्तमान कर अधीक्षक, नगर महापालिका, लखनऊ का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर कर दिया गया ? इस प्रकरण की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां। श्रीमती प्रेमवती तिवारी, सदस्य विधान सभा का शिकायती-पत्र दिनांक 25-3-1983, जिसमें श्री हर्ष नारायण पाण्डे, कर अधीक्षक, नगर महापालिका, लखनऊ के विरुद्ध कतिपय शिकायतें की गई हैं, प्राप्त हुआ था। श्री हर्ष नारायण पाण्डे वर्तमान समय में लखनऊ नगर महापालिका में कर अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। संदर्भगत प्रकरण की जांच हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय को निर्देश दिये जा चुके हैं। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[चौथे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर के सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश के नाम रेन्ट कन्ट्रोल के अन्तर्गत आवंटित आवास को जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा जबरन खाली कराना

22—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें गोरखपुर के सेवा निवृत्त सत्र न्यायाधीश का कोई इस आशय का पत्र दिनांक 16-8-82 प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ कि उनके नाम रेन्ट कन्ट्रोल के अधीन विधिवत् आवंटित मकान का सामान फेंक कर जिलाधिकारी द्वारा जबरन दूसरे को कब्जा दिला दिया गया, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां। दिनांक 16-8-82 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। इस पर जिलाधिकारी, गोरखपुर से आख्या मांगी गयी। उन्होंने सूचित किया है कि सिविल लाइन स्थित बंगला नम्बर-23 का दक्षिणी भाग किराया नियंत्रण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा व्यवस्थापक दैनिक जागरण प्रेस को दिनांक 4 जून, 1982 को आवंटित किया गया था।

इसका कब्जा भी दैनिक जागरण के व्यवस्थापक द्वारा दिनांक 10-6-82 को प्राप्त कर लिया गया था। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार जबरन कब्जा करने की बात सही नहीं है अतएव शासन द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के चिकित्साधिकारी पद हेतु चयनित व्यक्तियों की आयोग एवं सचिवालय द्वारा प्रकाशित सूचियों में भिन्नता

23—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र के चिकित्साधिकारी पद हेतु दिसम्बर, 82 में लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर सचिवालय द्वारा 314 व्यक्तियों की सूची प्रकाशित की गयी ? यदि हां, तो उसमें 182 पर सफल श्री मुक्त चन्द पाठक तथा कुछ अन्य ऐसे व्यक्तियों के नाम अंकित नहीं हैं जिनके नाम लोक सेवा आयोग ने मेरिट सूची में रखे थे? यदि हां, तो ऐसे कितने सफल अभ्यर्थियों के नाम सचिवालय के द्वारा प्रकाशित सूची में नहीं हैं और उन्हें कब तक उक्त सूची में सम्मिलित कर लिया जायगा ? क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां, जनवरी, 1982 में 331 नियुक्तियां की गयीं। क्र0 सं0 182 में श्री मुक्त चन्द्र पाठक का नाम नहीं है वरन् श्री मुक्त चन्द्र पाठक का नाम है। लोक सेवा आयोग से प्राप्त सफल अभ्यर्थियों में केवल सात अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष की नियुक्तियां कर दी गई हैं। यह सात अभ्यर्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कोटा से नियुक्ति की मांग की है। परीक्षण करने के उपरान्त यह नियुक्तियां भी कर दी जायेंगी।

जिला सहकारी बैंक, टिहरी गढ़वाल की जीप

24–श्री विद्यासागर नौटियाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक की जीप कब खरीदी गयी? उक्त जीप ने सन् 1982 तथा 1983 में अब तक उक्त कुल कितने किलोमीटर की यात्रा की ? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस अवधि में सहायक निबंधक ने जिला सहकारी बैंक की इस जीप पर कुल कितने किलोमीटर किन-किन तिथियों को तथा किन-किन स्थानों की यात्राएं कीं? ये यात्राएं किस प्रयोजन से की गयीं?

श्री बच्चा पाठक–

टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक की जीप दिनांक 3-9-82 को खरीदी गयी थी । उक्त जीप ने दिनांक 3-9-82 से 11-3-83 तक कुल 17,530 कि0 मी0 की यात्रा की।

जिला सहायक निबंधक ने जिला सहकारी बैंक के प्रशासक होने के नाते दिनांक 16-9-82 से 1-3-83 तक कुल 4,096 कि0 मी0 की यात्रा की जिसका पूरा विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है।

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् की राजाजीपुरम्, लखनऊ योजना में अल्प आय वर्ग के स्थान पर मिनी अल्प आय वर्ग के आवास का आवंटन

25–श्री मुंशी लाल–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् की राजाजीपुरम्, लखनऊ योजना में पंजीकरण संख्या एल0 डब्लू0/562/(6) के अन्तर्गत पंजीकृत प्रार्थी ने अल्प आय वर्ग के आवास हेतु आवेदन किया था ? यदि हां, तो उन्हें परिषद् के प्रदेशन पत्र संख्या 12860/स0 प्र0 रा0/मिनी (अ0 व0 स0) सी 2971, दिनांक 8-12-82 द्वारा मिनी अल्प आय वर्ग का आवास आवंटित करने का क्या औचित्य है? क्या उक्त प्रार्थी को मिनी अल्प आय वर्ग के प्रदेशन को निरस्त कर अल्प आय वर्ग का आवास आवंटित किया जायगा?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां।

पंजीकृत प्रार्थी ने अल्प आय वर्ग के अगले प्रदेशन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था चूंकि अगला प्रदेशन मिनी अल्प आय वर्ग का था अतः इन्हें प्रदेशन में सम्मिलित कर लिया गया।

प्रार्थी द्वारा मिनी अल्प आय वर्ग का भवन नहीं चाहा गया है अतः यह प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा। अल्प आय वर्ग के प्रदेशन के अवसर पर इनके द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर दौर की वरीयता के अनुसार लाट्री ड्रा द्वारा आवंटन हो जायेगा।

कानपुर, इलाहाबाद एवं लखनऊ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु धनराशि का निर्धारण

26—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में अति-वृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए कानपुर को 8 लाख एवं इलाहाबाद, एवं लखनऊ को 15 लाख रुपए की धनराशि के निर्धारण में किस प्रक्रिया को अपनाया गया है और उसका क्या औचित्य है?

श्री राम सिंह खन्ना—

संदर्भगत नगर महापालिकाओं को बाढ़ अनुदान स्वीकृत करते समय तक, विशिष्ट कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि को छोड़कर, दिये गये अनुदानों तथा उनकी आवश्यकताओं का त्वरित आंकलन करते हुए बाढ़ अनुदान स्वीकृत किया गया था।

कानपुर नगर में जल निगम द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु लगाये गये नलकूप

27—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में पेयजल हेतु जल निगम द्वारा कितने ट्यूबवेल दिनांक 31-1-1983 तक लगाए गये हैं? क्या सभी ट्यूबवेल से पेयजल की सप्लाई हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना—

कानपुर में दिनांक 31-1-83 तक कुल 41 नलकूप जल निगम द्वारा लगाये गये हैं। वर्तमान में इन सभी नलकूपों से पेयजल की सप्लाई हो रही है।

कानपुर के सिविल अस्पतालों में रोगी वाहनों की संख्या

28—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के सिविल अस्पतालों में मरीजों को लाने, ले जाने हेतु कितने वाहन दिनांक 24-2-1983 को थे और उनमें से कितने वाहन काम कर रहे हैं जो वाहन काम नहीं कर रहे हैं वह कहां हैं?

श्री लोकपति—

कानपुर के सिविल अस्पतालों में मरीजों को लाने, ले जाने हेतु दिनांक 24-2-1983 तक कुल चार वाहन हैं, उनमें से तीन वाहन काम कर रहे हैं तथा शेष एक निष्प्रयोज्य वाहन के 0पी0एम0 अस्पताल प्रांगण में खड़ी है।

लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर के प्रांगण में पाले गये जानवरों से गंदगी

29—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर की सीमा के अंदर रह रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पाले गये जानवर जो कि बार्ड में जाकर गंदगी पैदा करते हैं को हटाने हेतु दिनांक 24-2-1983 तक कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने जानवरों को हटाने के लिए नोटिसें दी गई हैं। चिकित्सालय के वार्डों में जानवरों को घुसने से रोकने के लिए वार्डों के कारीडौरों को आर0 सी0 सी0 जाली से बन्द करवा दिया गया है और चिकित्सालय के प्रवेश द्वारों पर चौकसी रखने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों पर अनधिकृत कब्जा

30–श्री भूधर नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कितने भवनों पर इस समय अनधिकृत रूप से अराजक तत्वों का कब्जा है? यदि हां, तो क्यों? क्या वास्तविक भवन आवंटियों को विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिलाया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों में से 299 भवनों पर इस समय अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा है। भवनों के निर्माण कार्य के अंतिम चरण में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया था । आवंटियों को भवन की रजिस्ट्री कराये जाने के उपरान्त ही कब्जा दिया जाता है। चूंकि रजिस्ट्री करने की कार्यवाही में विलम्ब होता है और आवंटियों को यथाशीघ्र कब्जा दिया जाना चाहिए अतः विकास प्राधिकरण द्वारा आवास एवं विकास परिषद् की भांति रु0 6/के जनरल स्टैम्प पर अनुबन्ध पत्र भराकर कब्जा देने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

वास्तविक भवन आवंटियों को विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अतएव प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा परेड बाजार कानपुर में बहुखण्डीय बाजार का निर्माण

31–श्री भूधर नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परेड बाजार, कानपुर में विकास प्राधिकरण द्वारा बहुखण्डीय बाजार बनाये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा परेड बाजार, कानपुर में बहुखण्डीय बाजार बनवाये जाने की कोई योजना नहीं है ।

कानपुर स्थित जरीब चौकी से ग्वालटोली तक रेलवे साइडिंग की भूमि पर सड़क बनाने की योजना

32–श्री भूधर नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर स्थित जरीब चौकी से लेकर ग्वालटोली तक रेलवे लाइन की भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित करने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से लिये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम सिंह खन्ना–

कानपुर स्थित जरीब चौकी से ग्वालटोली तक रेलवे साइडिंग की भूमि पर सड़क बनाने की योजना बनायी गयी थी किन्तु रेलवे प्रशासन से भूमि के मूल्य का निर्धारण न हो सकने के कारण भूमि का हस्तान्तरण नहीं हो सका है ।

लखनऊ नगर महापालिका में कर अधीक्षक के पद पर अवैधानिक नियुक्ति

33–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के कर निर्धारण विभाग में कार्यरत वर्तमान कर अधीक्षक की नियुक्ति इस पद पर किस अधिकारी द्वारा की गई है? क्या इस कर अधीक्षक ने उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश लिया था ? क्या यह सही है कि वह आदेश समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो फिर ये किसके आदेश से वर्तमान पद पर बने हुए हैं?

श्री राम सिंह खन्ना–

लखनऊ नगर महापालिका के कर निर्धारण विभाग में कार्यरत वर्तमान कर अधीक्षक श्री हर्ष नारायण पाण्डे की नियुक्ति चुंगी अधीक्षक के पद पर तदर्थ रूप से नगर महापालिका, वाराणसी के तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी द्वारा की गई थी। प्रश्न के अवशेष अंश के संबंध में विधिक परामर्श लिया जा रहा है । तत्पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ में तदर्थ नियुक्त एवं तदर्थ वेतनमान

34–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के वर्ग 3 व 4 की नियुक्ति हेतु भेजे गये अधियाचन के विरुद्ध सेवा मण्डल द्वारा तदर्थ (एडहाक) नियुक्ति की अनुमति वर्ष 1981 में दी गयी है जब कि कार्यरत बैंक में कर्मचारियों को दैनिक वेतन एवं कन्सालिडेटेड/फिक्स वेतन पर नियुक्त किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एडहाक/तदर्थ वेतनमान दिलाये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बच्चा पाठक–

यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक द्वारा वर्ग 3 व 4 की नियुक्तियों हेतु सेवा मण्डल को अधियाचन दिनांक 26-3-81 तथा 1-9-81 को भेजा गया था, जिसके विरुद्ध वर्ष 1981 में उक्त वर्गों के पदों की तदर्थ नियुक्तियां बैंक द्वारा करने हेतु सेवामण्डल ने अनुमति प्रदान की । यह सही है कि बैंक में कार्यरत कर्मचारियों को इस समय दैनिक वेतन कन्सालिडेटेड/फिक्स वेतन पर नियुक्त किया जाता है । समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1978 की धारा 4 के अन्तर्गत श्रम परीक्षक ने वाद प्रादेशिक संराधन अधिकारी, लखनऊ के समक्ष दायर किया था, जिसके निर्णयानुसार दिनांक 1-7-82 से बैंक में नियुक्ति समस्त अस्थायी सहायकों को समान वेतन का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये थे । इन आदेशों के विरुद्ध बैंक द्वारा उप श्रम आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर दी गयी है अतएव प्रश्नगत मामले में शासन स्तर से आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में मो0 सराय थोक (पूर्वी) से मोमिनाबाद जाने वाली गली में प्रकाश व्यवस्था की जांच

35—श्री रूपराम—

प्रथम सत्र 83 के 3रे गुरुवार दिनांक 24-2-83 के अता0 प्र0 सं0 48 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत सूचना को स्थानीय स्तर पर एकत्र करने हेतु मौके की जांच की गयी ? यदि हां, तो किस तिथि को तथा किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, स्थानीय स्तर पर मार्ग प्रकाश के निरीक्षण के लिये अधिकृत किये गये श्री सुन्दरलाल, लिपिक, नगर पालिका, हरदोई से दिनांक 19-1-83 को मौके की जांच करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम केशरीखेड़ा, थाना कृष्णा नगर, लखनऊ के राशन कार्ड धारकों के लिए ग्राम तेजीखेड़ा आलमबाग, लखनऊ में राशन की दुकान खोलने की मांग

36—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 10-3-83 को प्रश्नकर्ता का पत्र ग्राम केशरी खेड़ा, थाना कृष्णानगर, कार्ड चौक, लखनऊ के राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान ग्राम तेजी खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ में खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

ग्राम केशरी खेड़ा के राशन कार्ड धारकों को मेसर्स समाज कल्याण उपभोक्ता सहकारी समिति दुकान नं0 2 से सम्बद्ध थे जो अब हटाकर मेसर्स दौलतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति से सम्बद्ध कर दिए गए हैं । यह दुकान ग्राम तेजीखेड़ा से अपेक्षाकृत निकट है ।

जिला परिषद् मथुरा द्वारा संचालित अस्पताल बल्देव व राया का प्रान्तीयकरण

37—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, मथुरा द्वारा संचालित अस्पताल बल्देव व राया का प्रान्तीयकरण करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन दोनों अस्पतालों का कब तक प्रान्तीयकरण कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

निर्धारित शर्तों के अधीन जिला परिषद्, मथुरा से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण प्रश्नगत अस्पतालों को प्रान्तीयकृत करने की कोई योजना सम्प्रति शासन के विचाराधीन नहीं है ।

38—श्री सरदार सिंह—

[1ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 206 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री ए0 पी0 सिंह, सहायक विधि अधिकारी, भूमि विकास बैंक, इलाहाबाद का स्थानान्तरण

39—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए0 पी0 सिंह, सहायक अधिकारी, भूमि विकास बैंक, कर्नलगंज, इलाहाबाद कब से उक्त भूमि विकास बैंक में कार्यरत हैं और इनको आवास का भत्ता शुरू से लेकर अब तक कितना रुपया दिया गया है ? क्या यह सही है कि इनको 5 वर्ष से ऊपर वहां हो गया है ? यदि हां, तो इनको दूसरे जिले में न ट्रांसफर करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इनके आवास का भी पता करेगी कि वे कहां रहते हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

श्री ए0 पी0 सिंह, सहायक विधि अधिकारी, इलाहाबाद में जनवरी 1, 1978 से कार्यरत हैं और इनको दिनांक 31 मार्च, 1983 तक रु0 4,817.32 पैसे आवासीय भत्ता दिया गया । इनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। श्री सिंह का इलाहाबाद में आवासीय पता निम्नवत रहा—

श्री ए0 पी0 सिंह, सहायक विधि अधिकारी, द्वारा—श्री प्रमोद शुक्ल, मकान नं0—173ए (मकान श्री फिरोज खान) शिवकुटी, इलाहाबाद ।

श्री ऊदल, सदस्य विधान सभा द्वारा गांव दवेराई, पो0 कानपुर, जि0 वाराणसी में प्रस्तावित नये मकान के निर्माण हेतु सरकारी दर पर सीमेन्ट की मांग

40—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने नये मकान का नक्शा व एस्टीमेट प्रार्थना-पत्र के साथ सीमेन्ट हेतु गांव दवेराई, पो0 कानपुर, जिला वाराणसी में बनवाने के लिए ता0 8-7-81 को खाद्य मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खाद्य मंत्री ने तथा सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग ने सीमेन्ट देने के आदेश देकर उक्त इस्टीमेट को सप्लाई आफिस, वाराणसी को भेज दिया था ? क्या यह सही है कि सन् 1982 में नया आदेश लागू होने की वजह से उसको रद्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार नये आदेश के पहले के जो नक्शे व इस्टीमेट स्वीकृत करके सीमेन्ट मन्जूर किया गया था उसको उसी हिसाब से सीमेन्ट की आपूर्ति करेगी और आदेश प्रसारित करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

सीमेन्ट हेतु प्रश्नकर्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 8 जुलाई, 1981 प्राप्त हुआ था । उनको भवन निर्माण हेतु कुल 200 बोरी सीमेन्ट के परमिट जिला स्तर से 18 सितम्बर, 1982 से 23 मार्च, 1983 के मध्य दिए गए । माह मार्च, 1982 से सीमेन्ट वितरण की नई व्यवस्था लागू होने पर उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त नहीं किया गया ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिन्डरा, वाराणसी के उच्चीकरण हेतु भवन का निर्माण

41—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 2रे गुरुवार के ता0 प्र0 सं0 11 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल पिंडरा,

वाराणसी के बारे में 29 अगस्त, 80 को जमीन के नक्शे के साथ प्रश्नकर्ता ने एक पत्र मा0 मंत्री जी को दिया था ? यदि हां, तो पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति–

दिनांक 29 अगस्त, 1980 का पत्र तो नहीं वरन् 19 अगस्त, 1980 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसके साथ प्रस्तावित भूमि का एक नक्शा भी था । उस समय चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिन्डरा, जिला वाराणसी को उच्चीकृत करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं थी, अतः माननीय विधायक के सुझावों के अनुसार कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अब भारत सरकार जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत उक्त केन्द्र के उच्चीकरण हेतु भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा उसके लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने का प्रयास जारी है ।

वाराणसी महायोजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियां व सुझाव

42–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी महायोजना में माल रिकार्ड खसरा, खतौनी तथा मौके के बाग, तालाब आदि देखकर नहीं बनाये गये थे जिस पर लाखों आपत्तियां आई थीं ? यदि हां, तो आपत्तियों का निस्तारण किस सक्षम अधिकारी ने किया और उसके बाद महायोजना को जो अन्तिम रूप दिया गया है, क्या सरकार उस नक्शे की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

वाराणसी महायोजना में माल रिकार्ड, खसरा, खतौनी तथा मौके के बाग व तालाब आदि देखकर आवश्यक सर्वेक्षण के उपरान्त योजना बनायी गयी थी। महायोजना स्वीकृत होने के पूर्व जनता की आपत्तियां व सुझावों हेतु प्रकाशित की गयी थी तथा उस पर प्राप्त आपत्तियों सुझावों तथा तथ्यों पर लिए गए निर्णय के प्रकाश में ही महायोजना को अंतिम रूप दिया गया था ।

आपत्तियों का निस्तारण नियंत्रण प्राधिकारी एवं महापालिका द्वारा गठित विकास समिति द्वारा किया गया था । उक्त महायोजना की एक प्रति सदन के पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है ।

डा0 एच0 आर0 टण्डन, सहारनपुर की मृत्योपरान्त देय फैमिली पेन्शन का भुगतान

43–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे गुरुवार के लिए निर्धारित ता0प्र0सं0 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि डा0 एच0 आर0 टण्डन, सहारनपुर की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनके हर प्रकार के भुगतान व फैमिली पेन्शन आदि से सम्बंधित कागजात महालेखाकार, उ0 प्र0 को कब भेजा गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि निदेशालय से कागजात ही टाइम से महालेखाकार को नहीं भेजे गये थे ।

श्री लोकपति–

जी हां, डा0 एच0 आर0 टण्डन की सेवा निवृत्ति के पूर्व ही निदेशालय के पंजीकृत पत्र दिनांक 10-8-1977 द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करके महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रपत्र भेज दिए गए थे । महालेखाकार द्वारा समय-समय पर मांगे गए अभिलेख उन्हें उपलब्ध कराए गए तथा उनके द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण भी किया गया । अन्त में महालेखाकार द्वारा परिवार पेन्शन हेतु दिनांक 8-3-83 को डा0 टण्डन के एक नाबालिग पुत्र से वैधानिक संरक्षण प्रमाण-पत्र, प्रपत्र एफ0 बी0 एवं फोटो ग्राफ इत्यादि की मांग की गयी । डा0 टण्डन के परिवार द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर महालेखाकार ने दिनांक 14-7-83 को देयकों के भुगतानादेश जारी कर दिये । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

मौजा कोतवालपुर, वाराणसी के नजूल भू-खण्डों का पट्टा

44–श्री ऊदल–

प्रथम सत्र 83 के 3रे गुरुवार के अता0प्र0 सं0 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नजूल भूमि खण्ड 213, 214 मौजा कोतवालपुर, वाराणसी के बारे में नगर महापालिका, वाराणसी ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी ? क्या यह सही है कि नगरमहापालिका ने उक्त भूमि खण्डों को पट्टा देने का विरोध किया है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां। नगरमहापालिका, वाराणसी द्वारा उक्त नजूल भू-खण्डों को पट्टे पर देने का विरोध नहीं किया था ।

45–ऊदल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर चयन के संबंध में शैक्षिक योग्यता व अन्य संशोधन प्रस्ताव तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजे गये मार्ग दर्शक सिद्धान्त

46–श्री रामधनी–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 25-2-83 को उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्यों एवं दिनांक 2-3-83 को सहकारिता राज्य मन्त्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के चुनाव के सम्बन्ध में मन्त्री जी को कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र में क्या तथ्य दिये गये हैं ?

श्री लोकपति–

जी हां, प्राप्त पत्रों में कम्युनिटी हेल्थ आफिसर के पदों पर चयन हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक रखने तथा चयन हेतु विभिन्न संवर्गों के लिये निर्धारित प्रतिशतों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था ।

47–श्री रामधनी–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त अधिकारियों का चयन केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र डी0 ओ0 नं0 जेड0 22028/2/81 -आर0 एच0 डी0 डा0 (श्रीमती) सराह इजराल द्वारा भेजे गए सेलेक्शन क्राइटेरिया में

उल्लिखित पैरा नं0 16 के प्रस्तर नं0 2, 3, 4, 5 व 6 तथा अपर निदेशक, स्वास्थ्य डा0 पी0 सी0 व्यास के पत्र सं0 10फ/10/82/2354–2410 दिनांक 16-7-82 के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजे गए, के अनुसार ही हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

भारत सरकार द्वारा भेजे गये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए ही चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । तत्कालीन अपर निदेशक डा0 पी0 सी0 व्यास द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्गत नहीं किया गया था । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम में चीफ केमिस्ट

48–श्री रतीराम–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों में चीफ केमिस्ट (जल निगम) नियुक्त हैं ? यदि हां, तो आगरा जनपद में इस पद के रिक्त रहने का क्या कारण है ? क्या शासन इस पद पर चीफ केमिस्ट (जल निगम) की नियुक्ति करने पर शीघ्र विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जल निगम में चीफ केमिस्ट के पद नहीं होते । अतः किसी पद के रिक्त रहने अथवा उसे भरने का प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम में संगणकों के वेतनमान में विसंगतियां

49–श्री गोपीनाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें गुरुवार के ता0 प्र0 सं0 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर से सम्बन्धित विसंगति दूर करने के लिए शासनादेश संख्या 718/ई0 जी0/23 सा0 नि0 वि0 अनुभाग–5 ई0 जी0 174 (सा0 नि0 वि0 अनुभाग–5) दि0 13-7-79 एवं जल निगम एक्ट की धारा 37(1) द्वारा स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक विसंगति दूर न करने का क्या कारण है ? अब विसंगति कब दूर की जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सम्बन्धित विसंगति दूर करने का मामला जल निगम निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था । निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संगणकों को सेलेक्शन ग्रेड पाने की अवधि को कम करने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न में संदर्भित शासनादेश संख्या 718/ई0 जी0/23 सा0 नि0 वि0 अनुभाग–5 ई0 जी0 174 सा0 नि0 वि0 अनुभाग–5 दिनांक 13-7-79 की संख्या एवं तिथि सही प्रतीत नहीं होती है । शासनादेश की सही संख्या व तिथि सूचित किये जाने पर ही इस सम्बन्ध में उत्तर दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

50–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जिला सहकारी सभा फैजाबाद के भवन में श्री चन्द्रमणि सिंह सहायक निबन्धक का आवास

51—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी संघ लि0, फैजाबाद के भवन में जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां (उपभोक्ता), फैजाबाद श्री चन्द्रमणि सिंह कब से सपरिवार रह रहे हैं ? क्या यह सही है कि निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 ने जून, 76 व अप्रैल, 78 में परिपत्र जारी कर सहकारी संस्थाओं में आवास बना कर अधिकारियों का रहना अनियमित बताते हुए उसका अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । श्री चन्द्रमणि सिंह, सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, फैजाबाद सितम्बर, 1982 से जिला सहकारी सभा फैजाबाद के भवन के ऊपरी हिस्से में सपरिवार रह रहे हैं ।

निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0, द्वारा सहकारी समितियों के भवन में अधिकारियों द्वारा स्थाई रूप से नि वास न करने का निर्देश भेजा गया था ।

चूंकि उक्त अधिकारी जिला सहकारी सभा फैजाबाद की अनुमति से अस्थाई रूप से निर्धारित दर पर किराया दे कर रह रहा है उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

रानीखेत तहसील में राजकीय चिकित्सालयों की संख्या एवं चिकित्सकों के रिक्त पद

52—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में कितने राजकीय चिकित्सालय हैं और उनमें सन् 1979 से 15-4-83 तक कितने ऐसे चिकित्सालय हैं जिनमें चिकित्सक नहीं हैं ? क्या सरकार चिकित्सकों की नियुक्ति तत्काल करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

रानीखेत तहसील के अंतर्गत 32 राजकीय चिकित्सालय हैं । इन राजकीय चिकित्सालयों में सन् 1979 से 15-4-1983 तक चिकित्सकों के 26 पद रिक्त हैं । पर्वतीय उप-संवर्ग के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है । चयनित सूची प्राप्त हो जाने पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी ।

हरदोई नगर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

53—श्री रूपराम—

प्रथम सत्र 83 के 3रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत गली में विद्युत लाइन बिछी हुई है और नगरपालिका द्वारा विद्युत लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव विद्युत विभाग से नहीं किया है? यदि किया है तो किस तिथि को ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां । प्रश्नगत गली में स्ट्रीट लाइट की विद्युत लाइन बिछी हुई है । इसके लिये नगरपालिका, हरदोई द्वारा विद्युत विभाग से दिनांक 7-4-80 को प्रस्ताव कि गया था ।

54–श्री रूप राम–

क्या यह भी सत्य है कि नगरपालिका, हरदोई द्वारा विद्युत लाइन उपर्युक्त गली के खंभों में डाली जा चुकी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो किसी अधिकारी से मौके की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नगत गली में स्थित पोलों पर विद्युत विभाग द्वारा मार्च, 1983 के अन्तिम सप्ताह में स्ट्रीट लाइट की विद्युत लाइन डाली जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुभाष नगर (भोला खेड़ा), आलमबाग, लखनऊ में जल भराव की समस्या का निराकरण

55–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को प्रश्नकर्ता विधायिका का पत्र दिनांक 16-3-1983 जो मुहल्ला सुभाष नगर (भोला खेड़ा) आलमबाग, लखनऊ के पानी निकासी को शराबखाने से नहर के नीचे से साइफन की व्यवस्था कर निकालने की व्यवस्था के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

सुभाष नगर (भोला खेड़ा) आलमबाग, लखनऊ में जल भराव की समस्या के निराकरण के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है ।

भोला खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

56–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायिका का पत्र दिनांक 8-3-1983 श्री बतन सिंह, नगर अधिकारी, सामान्य, नगर महापालिका, लखनऊ को प्राप्त हुआ है, जो मोहल्ला भोला खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ की मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत अवशेष रुपये 27,000 को उपरोक्त मोहल्ले में लैट्रिन व कुएं पर न खर्च कर खड़ंजे व नाली इत्यादि पर खर्च किया जाय, के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ ।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत नगर महापालिका की पांच क्षेत्रों की योजनायें जिसमें मोहल्ला भोला खेड़ा भी सम्मिलित है, स्वीकृत की गयी थीं और जिसके लिए सम्पूर्ण स्वीकृत लागत रु0 7,88,700/- के समक्ष रु0 5 लाख की धनराशि शासन द्वारा नगर महापालिका को अवमुक्त की जा चुकी है जिसके विरुद्ध नगर महापालिका ने रु0 5.897 लाख का कार्य करा दिया है । चूंकि प्रश्नगत मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है अतएव, प्राप्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

मोहल्ला भोला खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ में बिजली के नये खम्भों की व्यवस्था

57—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मोहल्ले में बिजली के खम्भे लगाने हेतु कितने नये पोलों का इस्टीमेट बनाया गया है तथा कितना पैसा लेसू, लखनऊ को उपरोक्त कार्य करवाने हेतु किस तिथि को दिया गया ? यदि हां, तो नये पोल लेसू, लखनऊ द्वारा लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

7 नये बिजली के खम्भे लगाने का इस्टीमेट लेसू से मांगा गया था जिसकी लागत रु0 9704·00 आई है। धनराशि का भुगतान लेसू को निकट भविष्य में कर दिया जायेगा। इस कारण अभी नये पोल नहीं लगाये गये हैं।

58—59—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

वाराणसी घाट, सीवर योजना के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच

60—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी घाट, सीवर योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच वर्ष 1973 में प्रारम्भ की गयी थी और यह आरोप लगाया गया था कि कराये गये कार्यों पर विभाग को हानि हुई है? यदि हां, तो क्या मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है और क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां।

प्रश्नगत मामले में जांचोपरान्त निर्णय लिया जा चुका है। अतएव पुनर्विचार का प्रश्न नहीं उठता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ में जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा राजकीय धन का अपव्यय

61—श्री मेंहदी असगर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मई, 1982 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ पर कीटनाशक दवा के छिड़काव के दौरान स्प्रे मजदूरों की उपस्थिति पंजिका में कासिम का नाम दर्शाकर उक्त व्यक्ति के नाम से वेतन जिला मलेरिया अधिकारी ने कोषागार से आहरण कर राजकीय धन का अपव्यय किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति—

जी नहीं। ऐसा नहीं किया गया है।

शेष प्रश्न नहीं उठते।

जनपद मेरठ में बी0 एच0 सी0 के दुरुपयोग के सम्बन्ध में स्वास्थ्य निदेशक, मेरठ मण्डल को प्रेषित शिकायती पत्र की जांच

62—श्री मेंहदी असगर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्थानीय विधायक ने जनपद मेरठ में बी0 एच0 सी0 के दुरुपयोग की जांच हेतु एक शिकायती पत्र संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, मेरठ मण्डल, मेरठ को दिनांक 29-7-82 को प्रेषित किया है? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ के कार्यालय अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव शेष प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षकों को प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य का निरीक्षण करने पर रोक

63—श्री मेंहदी असगर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ ने अपने आदेश सं0 सी0 एम0 ओ0/मेल/स्प्रे/82, दिनांक 28-4-82 के द्वारा शासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्वास्थ्य निरीक्षकों को प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के कार्य का निरीक्षण करने से रोक दिया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी के विरुद्ध कृत प्रशासनिक कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

जी नहीं, उन्हें रोका नहीं गया है वरन् उक्त आदेश में यह कहा गया है कि स्वास्थ्य निरीक्षक/सर्वेलेन्स निरीक्षक अपना रोटीन कार्य करेंगे जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के कार्य का निरीक्षण भी सम्मिलित है?

प्रश्न नहीं उठता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ में बी0 एच0 सी0 की अवैध बिक्री की जांच तथा कृत कार्यवाही

64—श्री मेंहदी असगर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ पर सरकार द्वारा प्राप्त बी0 एच0 सी0 का स्प्रे न कराकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लगभग 15000 किलोग्राम बी0 एच0 सी0 को बाजार में बेच कर भारी शासकीय धन का दुरुपयोग किया है, जिसके सम्बन्ध में स्वास्थ्य निरीक्षक, बिनौली ने दि0 9-6-82 को एक शिकायती पत्र संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य, मेरठ को प्रेषित किया है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त के आधार पर की गयी जांच कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति—

बी0 एच0 सी0 बाजार में बेचे जाने सम्बन्धी कतिपय आरोप लगाते हुए श्री नगेन्द्र जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ का एक शिकायती पत्र

दिनांक 9 जून, 1982 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ के कार्यालय में दिनांक 11 जून, 1982 को प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच जिला मलेरिया अधिकारी, मेरठ से करायी गयी थी। उक्त जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

65—श्री मेंहदी असगर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि शासन द्वारा प्राप्त बी0एच0सी0 दुरुपयोग की जांच हेतु उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डा0 ए0 एस0 भटनागर) दिनांक 18-6-82 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ गये थे? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी द्वारा कृत जांच कार्यवाही एवं दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लोकपति—

जी हां, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डा0 ए0 एस0 भटनागर) द्वारा दिनांक 18 जून, 1982 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ में जांच की गयी थी। उक्त जांच में आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। अतएव किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

66—श्री मेंहदी असगर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि संयुक्त स्वास्थ्य परिषद्, मेरठ ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए एक शिकायती-पत्र दि0 23-5-82 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे कि आरोप क्या हैं एवं उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति—

जी हां, कथित पत्र में डा0 यामीन खां, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये थे—

1—स्वास्थ्य कर्मचारियों के नकदीकरण अवकाश के प्रार्थना-पत्रों के अग्रसारण हेतु प्रति प्रार्थना 100/ रु0 की घूस मांगना।

2—वर्ष 1981-82 में मलेरिया बजट से खरीदे गये 12 तौलिये स्वास्थ्य कर्मचारियों को न बांटकर स्वयं अपने घर रख लेना।

3—स्थानान्तरित कर्मचारी को अवमुक्त करने में रिश्वत मांगना, बी0 एच0 सी0 के 5 ड्रम बेचवाना, शिकायतों पर ध्यान न देना व अभद्र व्यवहार करना ।

उपर्युक्त आरोपों की जांच करायी गयी। सभी आरोप निराधार पाये गये। फिर भी कुछ औपचारिकतायें न बरतने जैसे तौलिया की साइज न लिखना तथा शिकायतों पर ध्यान न देने के लिये डा0 खान को भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है।

तिमिली, चचरोठी ग्राम समूह पेयजल योजना, तहसील रानीखेत, अल्मोड़ा की स्वीकृति एवं निर्माण

67—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिमिली, चचरोठी ग्राम समूह पेयजल योजना, तहसील रानीखेत, अल्मोड़ा का कार्य कब शुरू हुआ है? कितनी धनराशि उक्त योजना के लिये स्वीकृत थी? योजना का निर्माण कब पूर्ण होना था? अब तक कितना धन उक्त योजना पर व्यय हुआ है तथा कब योजना पूर्ण होगी?

श्री राम सिंह खन्ना—

इस योजना का कार्य वर्ष 1978-79 में शुरू किया गया था। योजना की मूल अनुमानित लागत के अनुसार 58 लाख रु0 की धनराशि उक्त योजना के लिये स्वीकृत की गयी थी। योजना का निर्माण दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण होना था।

जून, 1983 तक योजना पर 111 लाख रुपये का व्यय हुआ है। बिजली का पक्का संयोजन मिलने के 3 माह के अन्दर योजना चालू कर दी जायेगी।

ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड शुक्ल बाजार, जिला सुल्तानपुर में यूनानी चिकित्सालय की स्थापना की मांग

68—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड शुक्ल बाजार, जिला सुल्तानपुर से आयुर्वेदिक चिकित्सालय वल्लीपुर तथा इसौली की दूरी कितनी है, आने-जाने का साधन क्या है? क्या यह सत्य है कि ग्राम वल्लीपुर तथा इसौली ग्राम रसूलपुर से लगभग 40 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, आवागमन का कोई साधन नहीं है? यदि हां, तो किस प्रकार ग्राम रसूलपुर के निवासियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होती है? वर्ष 1982-83 में उक्त ग्राम के कितने लोगों ने उपरोक्त चिकित्सालय से लाभ प्राप्त किया है? क्या सरकार ग्राम रसूलपुर में एक यूनानी चिकित्सालय स्थापित करने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड शुक्ल बाजार, जिला सुल्तानपुर से आयुर्वेदिक चिकित्सालय वल्लीपुर तथा इसौली की दूरी क्रमशः 47 कि0 मी0 तथा 40 कि0 मी0 है।

निजी वाहन ही आने जाने का साधन है । ग्राम रसूलपुर से ग्राम वल्लीपुर तथा इसौली की दूरी तथा आवागमन साधन ऊपर बताये जा चुके हैं।

ग्राम रसूलपुर के निवासियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

वर्ष 82—83 में उक्त ग्राम के किसी व्यक्ति ने ग्राम वल्लीपुर तथा इसौली स्थित चिकित्सालय से चिकित्सा प्राप्त नहीं की।

जहां तक ग्राम रसूलपुर में एक यूनानी चिकित्सालय स्थापित करने की बात है परन्तु यह मामला जिला योजना समिति के विचार क्षेत्र में आता है।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम तिलेण्डा, जिला रायबरेली में स्थापित होम्योपैथिक चिकित्सालय को ग्राम झींगों में स्थानान्तरित करने का औचित्य

69—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बजरंग सिंह, सरपंच, न्याय पंचायत तिलेण्डा, जिला रायबरेली द्वारा 4-2-83 को निदेशक, होम्योपैथिक उ0 प्र0 के नाम दिये गये प्रार्थना-पत्र पर 8-3-83 को जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति, रायबरेली के प्रस्ताव के अनुसार 16-3-83 को तिलेण्डा में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना की गयी, जिसका उद्घाटन 17-3-83 को किया गया? यदि हां, तो फिर उक्त स्थान से चिकित्सालय झींगों में स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति—

जिला नियोजन समिति, रायबरेली द्वारा अनुमोदित एवं शासन द्वारा स्वीकृत होम्योपैथिक चिकित्सालय झींगों में भवन उपलब्ध न होने के कारण कुछ समय के लिये ग्राम तिलेण्डा में खोल दिया गया था। चूंकि जिला नियोजन समिति तथा शासन द्वारा मूलतः ग्राम झींगों के लिए होम्योपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत हुआ था। अतः वर्तमान में यह होम्योपैथिक चिकित्सालय झींगों में ही कार्यरत है।

जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ को स्वीकृत अनुदान तथा वहां पर नियुक्त बख्शी के विरुद्ध कार्यवाही

70—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ को वर्ष 1982-83 में कितना अनुदान किस-किस मद में दिया गया? क्या यह सही है कि वहां पर नियुक्त सचिव विगत एक वर्ष से अकारण छुट्टी पर चल रहा है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम सिंह खन्ना—

वर्ष 1982—83 में हरदोई जिले की टाउन एरिया कुरसठ को निम्नलिखित अनुदान दिया गया—

(1) साधारण सड़क अनुदान रु0 30,000/-

(2) अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सीवर एवं ड्रेनेज के मरम्मत हेतु रु0 10,000/-

(3) पथकर क्षतिपूर्ति अनुदान रु0 10,000/-

वहां नियुक्त बख्शी 3 अक्तूबर, 1982 से चिकित्सा अवकाश पर है । अतः उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यायुक्त कार्यालय में हाट निरीक्षकों व वरिष्ठ हाट निरीक्षकों से लिपिकीय कार्य

71—श्री तपेश्वर राम—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यायुक्त कार्यालय में नियमित नियुक्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के होते हुए पूर्ति शाखा अधिष्ठान तथा महत्वपूर्ण कार्य हाट निरीक्षकों/वरिष्ठ हाट निरीक्षकों से सम्पादित कराया जाता है? इनका क्या कारण है? क्या शासन उन्हें क्षेत्रों में तैनात करके उक्त कार्य अन्य कार्यालयों की भांति खाद्यायुक्त कार्यालय के नियमित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से सम्पन्न करायेगी और हाट निरीक्षकों/वरिष्ठ हाट निरीक्षकों से उनके पदों के अनुरूप कार्य कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

खाद्य आयुक्त कार्यालय में एक वरिष्ठ हाट निरीक्षक राशनिंग कार्य में कार्यरत है। एक हाट निरीक्षक अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य में लगाया गया था, किन्तु यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। खाद्य आयुक्त कार्यालय में लिपिकों के अतिरिक्त वरिष्ठ हाट निरीक्षक के तीन एवं हाट निरीक्षक के दो पद भी स्वीकृत हैं। इन पदों के विरुद्ध कार्यरत वरिष्ठ हाट निरीक्षकों एवं हाट निरीक्षकों को, क्षेत्रों में भेजे जाने का सामान्यता कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैरिंग्टनगंज, फैजाबाद द्वारा विनय पुस्तक भण्डार से स्टेशनरी की फर्जी खरीद की जांच

72—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैरिंग्टनगंज, फैजाबाद के तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 1982—83 में कन्टेंजेंसी बजट से विनय पुस्तक भण्डार, हैरिंग्टनगंज से लगभग 5,800 रुपये (पांच हजार आठ सौ रुपये) की स्टेशनरी खरीदी गयी ? यदि हां, तो स्टेशनरी क्रय करने की तिथि क्या है ?

श्री लोकपति—

विनय पुस्तक भण्डार से वित्तीय वर्ष 1982—83 में कोई स्टेशनरी नहीं क्रय की गयी।

73—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि हैरिंग्टनगंज, फैजाबाद में "विनय पुस्तक भण्डार" नाम की दुकान का कोई अस्तित्व नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा फर्जी क्रय दिखाकर उक्त धनराशि का गबन किया गया ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करवाकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां। परन्तु उक्त अस्तित्वहीन फर्म से कोई क्रय नहीं किया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठते।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैरिंग्टनगंज, फैजाबाद द्वारा 'पाठक पुस्तक भण्डार' तथा श्री एम0 पी0 गुप्ता के यहां से स्टेशनरी की फर्जी खरीद

74–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैरिंग्टनगंज, फैजाबाद के तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 1982-83 में कन्टेंजेन्सी बजट से पाठक पुस्तक भण्डार हैरिंग्टनगंज, फैजाबाद तथा श्री एम0 पी0 गुप्ता, हैरिंग्टनगंज, फैजाबाद के यहां से स्टेशनरी तथा अन्य सामान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग छः हजार (6,000 रु0) से अधिक है, क्रय किया गया है ?

श्री लोकपति–

वित्तीय वर्ष 1982–83 में पाठक पुस्तक भण्डार से मात्र रु0 13–15 पैसे (तेरह रु0 पन्द्रह पैसे मात्र) की स्टेशनरी क्रय की गयी है । श्री एम0 पी0 गुप्ता से कोई स्टेशनरी तथा अन्य सामान क्रय नहीं किये गये ।

75–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त "एम0 पी0 गुप्ता" हैरिंग्टनगंज, फैजाबाद तथा "पाठक पुस्तक भण्डार" हैरिंग्टनगंज, फैजाबाद के मालिक ने लिखित रूप से यह प्रमाण दिया है कि उनके यहां से यह सामान नहीं खरीदा गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने फर्जी क्रय दिखाकर उक्त धनराशि का गबन किया ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी नहीं । वित्तीय वर्ष 1982–83 में ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनई तथा राजकीय अस्पताल सोंख खेड़ा व नगला संजा में चिकित्सकों के रिक्त पद

76–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनई, राजकीय अस्पताल सोंख खेड़ा व राजकीय अस्पताल, नगला संजा, जिला मथुरा में मेडिकल आफिसर्स गत कई वर्षों से बराबर अनुपस्थित चले आ रहे हैं और कोई भी डाक्टर उक्त अस्पतालों में रहना पसन्द नहीं कर रहा है ? क्या शासन कोई ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे वहां डाक्टर एवं अन्य स्टाफ स्थायी रूप से रहकर जनता की सेवा करता रहे ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनई में डा0 आर0 बी0 गुप्ता गत आठ माह से नियुक्त थे और केन्द्र पर निर्मित आवास में ही रहते थे । अब उनका स्थानान्तरण हो गया है। राजकीय अस्पताल सोंख खेड़ा में डा0 बी0 पी0 शर्मा कार्यरत थे । उन्होंने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है । नगला संजा में चिकित्सालय जिला परिषद्, मथुरा के अंतर्गत है जो ग्राम विकास विभाग के अधीनस्थ है ।

परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक तथा पुरुष/महिला सामाजिक कार्यकर्ता के पुनरीक्षित वेतनमान

77–राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक जोकि वेतनमान रुपया 300–500 के हैं के उत्तरदायित्वों को शासन ने कम कर दिया है जिससे कि उन्हें वेतनमान 470–735 कर दिये जाने के आदेश पारित किये गये जबकि वहां पर विभाग के ही उन्हीं के समकक्ष पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता/महिला सामाजिक कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रुपया 515–860 दिया गया ?

श्री लोकपति–

उत्तर प्रदेश वेतन आयोग 1979–80 की संस्तुतियों एवं उस पर शासकीय संकल्प संख्या 1590/दस-42 (एम)/1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 में लिये गये निर्णय के अनुसार शासन द्वारा परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक को रुपया 470–735 व पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता/महिला सामाजिक कार्यकर्त्री को रु0 515–860 के पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

78–श्री राम आसरे–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के समस्त अनुभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निदेशक के पत्र सं0 13-फ/15145 दिनांक 19 नवम्बर, 81 द्वारा वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी नहीं। नियमितीकरण पदों की उपलब्धि पर और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन किया जाता है।

79–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के परिवहन अनुभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को निदेशक के परिपत्र संख्या 13-फ/15145, दिनांक 19 नवम्बर, 1981 द्वारा वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनका कब तक नियमितीकरण किया जायेगा ?

जी नहीं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का संदर्भित आदेश वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण से सम्बन्धित नहीं है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के परिवहन अनुभाग में कार्यरत एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को विनियमितीकरण किया गया है। उक्त परिवहन अनुभाग में कार्यरत अन्य दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति आकस्मिक श्रमिक हैं और ये व्यक्ति दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

मानसिक चिकित्सालय, बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत तथा कृत कार्यवाही

80–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मानसिक चिकित्सालय, बरेली के सम्बन्ध में श्री अम्बा वसाद वर्मा, विधायक द्वारा दिनांक 16-2-83 को स्वास्थ्य मंत्री के नाम तथा जिला युवक कांग्रेस कमेटी (आई) विकलांग सहायता सेल, बरेली के महामंत्री श्री पी0 एल0 शर्मा द्वारा फरवरी, 83 के प्रथम सप्ताह में मुख्य मंत्री के नाम ज्ञापन भेजे गये जिनमें भ्रष्टाचार, अवैध रूप से धन कमाने एवं महिलाओं की इज्जत लूटने सम्बन्धी आरोप लगाए गये हैं? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

जी हां।

प्रश्नगत मामले में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक मानसिक चिकित्सालय बरेली से जांच करायी गयी। शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों का स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) के पदों पर समायोजन

81–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट साइंस अर्हता वाले वेतनमान रु0 230-385 के कर्मचारियों को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) के पद पर समायोजित किया गया है? यदि हां, तो क्या परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट साइंस द्वितीय श्रेणी और हाई स्कूल में बायोलोजी अनिवार्य है, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) के पद पर समायोजित किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत इन कर्मचारियों का समायोजन किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों (वेतनमान रु0 230-385) को उक्त योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) के पदों पर समायोजित नहीं किया जा रहा है।

प्रसवोत्तर केन्द्र, हरदोई पर कार्यरत पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम अवतार सिंह कनौजिया को देय स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अवकाश व ड्यूटी वेतन का भुगतान

82–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रसवोत्तर केन्द्र, हरदोई पर कार्यरत पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम अवतार सिंह कनौजिया की नियुक्ति जनपद बांदा में 18-8-70 को एक पदोन्नति 5-5-73 को खण्ड प्रसार शिक्षक के पद पर बांदा के ही विकास खंड कमासिन में हुई थी? क्या यह सही है कि श्री कनौजिया को 18-8-70 से 4-5-73 तक का वेतन निर्धारण एरियर तथा 1973 का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता

एवं 1973-75 की अवधि में प्राप्त होने वाले उपार्जित अवकाश ड्यूटी वेतन आदि देयों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं? यह भुगतान कब तक करा दिये जायेंगे?

श्री लोकपति–

जी हां। श्री राम अवतार सिंह कनौजिया को प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन निर्धारण का एरियर दिनांक 18-8-70 से 4-5-73 तक नहीं बल्कि 1-8-72 से 4-5-73 तक देय है। उनको वर्ष 1973-75 की अवधि में देय स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अवकाश, ड्यूटी वेतन आदि का विवरण इस प्रकार है:–

1–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता–मई, 1973 बिल।

2–उपार्जित अवकाश दिनांक 1-1-74 से 20-1-74 तक तथा 4-6-74 से 3-7-74 तक।

3–ड्यूटी वेतन–दिनांक 1-1-74 से 5-1-74 तक, 21-1-74 से 31-1-74 तक तथा 1-6-74 से 3-6-74 तक।

4–अतिरिक्त महंगाई भत्ता–क्रमशः 24, 28 तथा 32 प्रतिशत की दर से।

5–सस्पेन्ड एकाउन्ट में जमा धनराशि।

6–वार्षिक वेतन वृद्धियां।

उक्त देयकों का भुगतान न किये जाने का कारण, पदोन्नति के फलस्वरूप इनका अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य जनपदों में स्थानान्तरण के कारण इनके व्यक्तिगत व सही अभिलेखों का समय से उपलब्ध न हो पाना है। श्री कनौजिया के अवशेष देयों के भुगतान की कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जा रही है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां में सस्ते दर पर गेहूं वितरण की व्यवस्था

83–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम माधोगंज एवं मल्लावां में जो ओलों, अतिवृष्टि एवं सूखे से विगत दो वर्षों से प्रभावित रहे हैं, सस्ती दर पर गेहूं देने की क्या व्यवस्था की गई है और फरवरी, 83 तक कितना गेहूं प्रति ब्लाक आवंटित किया गया है यदि गेहूं वितरण की व्यवस्था नहीं की गई तो दोषी कौन है और उसके विरुद्ध कार्यवाही क्या की गई?

श्री वासुदेव सिंह–

हरदोई जनपद के तहसील बिलग्राम के विकास खण्ड बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां में वर्ष 1981-82 में उपल वृष्टि से तथा 1982-83 में बाढ़ से फसलें क्षतिग्रस्त हुई थीं। उस समय खुले बाजार में गेहूं 150.00 रु0 प्रति कुन्टल की दर से उपलब्ध था, जब कि सरकारी नियंत्रित गेहूं का मूल्य 165.00 रु0 प्रति कुन्टल था। अतएव सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर नियंत्रित गेहूं की मांग नहीं थी। असामयिक वर्षा एवं शीत लहर के फलस्वरूप माह फरवरी, 1983 में गेहूं के भाव 250.00 रुपये प्रति कुन्टल तक चढ़ गये थे। अतः जनता को सस्ती दर पर गेहूं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास खण्ड बिलग्राम में 480 कुन्टल, माधोगंज में

गये थे ? क्या जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? माध्यम से वितरित कराने हेतु आवंटित किया गया था।

श्री फूल चन्द्र जिला पूर्ति अधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जांच एवं कृत कार्यवाही

84–श्री राम आसरे वर्मा–

दिनांक 10 मई, 78 के ता0 प्र0 सं0 26 के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फूल चन्द्र, जिला पूर्ति अधिकारी, उन्नाव के द्वारा गलत जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के विरुद्ध किस दिनांक को जांच के आदेश दिये गये थे ? क्या जांच पूरी हो गयी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि उन्हें पुनः दिनांक 3 मार्च, 82 को अनुसूचित जाति के कोटे प्रोन्नत किया गया है यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह–

कथित जांच के आदेश दिनांक 22 अप्रैल, 1978 को दिये गये। जांच हो गयी है। जांच के परिप्रेक्ष्य में मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

85–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फूल चन्द्र, जिलापूर्ति अधिकारी, उन्नाव की प्रोन्नति दिनांक 3 मार्च, 82 को अनुसूचित जाति के कोटे में की गयी है जबकि वे गौड़ जाति (कहार) के हैं ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कोटे में प्रोन्नति का क्या आधार है ? क्या सरकार जाली जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में सेवा से मुक्त करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां। अनुसूचित जाति होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देवरिया से जांच करायी जा चुकी है। जांच के परिप्रेक्ष्य में मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

86–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि आयुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जिलाधिकारी, देवरिया का अर्द्ध शासकीय पत्र 2569/जे0 दिनांक 8 मई, 1978 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जनपद देवरिया में कहार जाति अनुसूचित जाति नहीं पायी जाती है फिर भी फूल चन्द्र पुत्र श्री रामरूप ग्राम सिसई, तहसील सलेमपुर, देवरिया को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां। मामले की जांच करायी जा चुकी है। जांच के परिप्रेक्ष्य में मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री नन्द किशोर गुप्ता, उप निदेशक (प्राविधिक) स्वास्थ्य निदेशालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायत

87–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नन्द किशोर गुप्ता, उप निदेशक (प्राविधिक) स्वास्थ्य निदेशालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सिलसिले

में प्रश्नकर्ता का एक पत्र 21-9-82 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

इस तरह का एक पत्र दिनांक 20-9-82 का प्राप्त हुआ है। इस मामले में शिकायतों पर जांच की जा रही है।

सिविल अस्पताल, लखनऊ के एक्स-रे टेक्नीशियन स्व0 श्री नत्था राम गुप्ता के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान

88–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ सिविल अस्पताल के एक्स-रे टेक्नीशियन स्व0 श्री नत्था राम गुप्ता, जिनकी सेवाकाल में ही मृत्यु 1980 में हो गयी, के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देना अब तक न प्रारम्भ करने तथा ग्रेच्युटी का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक देना प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति–

मृतक श्री नत्था राम गुप्ता के विधिक उत्तराधिकारी पुत्र श्री कमल गुप्ता को 100 रु0 प्रति माह पेन्शन के भुगतान हेतु प्राधिकृत पत्र प्राप्त हो चुका है। ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राधिकृत पत्र प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, जिला उन्नाव के उच्चीकरण हेतु भूमि की व्यवस्था

89–श्री भीखा लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-9-82 और अपने उत्तर दिनांक 4-10-82 के सन्दर्भ में उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं और भूमि कब तक उपलब्ध होने की आशा है? यदि अब तक कोई प्रयास नहीं किये गये हैं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, जिला उन्नाव के उच्चीकरण हेतु आवश्यक तथा उपयुक्त भूमि प्राप्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव सतत प्रयत्नशील है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करने की योजना अब जिला सेक्टर की योजना हो गयी है। अतः जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने पर तथा पर्याप्त भूमि एवं धन उपलब्ध हो जाने पर ही उक्त केन्द्र को उच्चीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

किसान सहकारी समिति, शेरपुर कलां, जिला पीलीभीत में गबन एवं उसकी जांच

90–श्री भीखा लाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नकी अहमद खां मंत्री ब्लाक कांग्रेस कमेटी, पूरनपुर, जिला पीलीभीत का प्रार्थना पत्र दिनांक 6-2-83 जिसमें शेरपुर कलां, किसान सहकारी समिति में गबन की जांच कराने की मांग

की गयी है, मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर जांच किसके माध्यम से करायी गयी और जांच का क्या परिणाम निकला?

श्री बच्चा पाठक–

श्री नकी अहमद खां का एक शिकायती पत्र दिनांक 3-2-83 को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच श्री एस0 एन0 वर्मा, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी पूरनपुर द्वारा कराई गयी । जांच में पाये गये दोषी कर्मचारी समिति के सचिव व विक्रेता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पूरनपुर में अंकित करा दी गयी है। सचिव को निलम्बित कर दिया गया है।

ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार का अधिग्रहण

91–श्री भीखा लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार का अधिग्रहण शासन द्वारा किस वर्ष किया गया था? क्या उक्त कालेज में तत्कालीन कार्यरत अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का राजकीयकरण किया जा चुका है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या रिटायर प्राचार्यों एवं अध्यापकों को पेंशन व अन्य सुविधायें प्राप्त हैं? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार का अधिग्रहण दिनांक 10-10-1974 को किया गया है। उक्त कालेज में कार्यरत अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का राजकीयकरण किया जा चुका है। रिटायर्ड प्राचार्यों एवं अध्यापकों को पेंशन व अन्य सुविधायें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। क्योंकि उक्त कालेज के समस्त पद अभी अस्थायी हैं।

गोरखपुर के सीमेन्ट स्टाकिस्ट मे0 संतोष कुमार गुप्ता, मे0 रमेश चन्द्र प्रेम चन्द्र तथा पाण्डेय लौह भण्डार को लेवी सीमेन्ट का आवंटन एवं उसका वितरण

92–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के लेवी सीमेन्ट स्टाकिस्ट मे0 संतोष कुमार गुप्ता, धर्मशाला बाजार, मे0 रमेश चन्द्र प्रेम चन्द्र, धर्मशाला बाजार तथा पाण्डेय लौह भंडार, गोरखपुर को अप्रैल, 1982 से लेकर सितम्बर, 1982 तक कुल कितने मैट्रिक टन लेवी सीमेन्ट आवंटित की गई?

श्री वासुदेव सिंह–

अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि में गोरखपुर जिले के लेवी सीमेन्ट स्टाकिस्ट मेसर्स संतोष कुमार गुप्ता, धर्मशाला बाजार, मेसर्स रमेश चन्द्र प्रेम चन्द्र, धर्मशाला बाजार तथा मेसर्स पाण्डेय लौह भण्डार, जगरनाथपुर को कुल 1,074 मी0 टन लेवी सीमेन्ट आवंटित की गयी थी।

93–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या खाद्य मंत्री उपरोक्त स्टाकिस्टों को आवंटित लेवी सीमेन्ट की सूची को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स रमेश चन्द्र प्रेमचन्द्र, धर्मशाला

बाजार, मेसर्स संतोष कुमार गुप्त, धर्मशाला बाजार तथा मेसर्स पाण्डेय लौह भंडार, गोरखपुर, लेवी सीमेन्ट स्टाकिस्टों द्वारा आवंटित मात्रा में से किन-किन परमिटों के विरुद्ध कितनी मात्रा, उपभोक्ताओं को क्रमानुसार आपूर्ति की गयी? और यदि उपरोक्त लेवी सीमेन्ट स्टाकिस्टों का स्टाक यदि शेष है तो इसके क्या कारण हैं?

श्री वासुदेव सिंह–

मेसर्स संतोष कुमार गुप्ता, धर्मशाला बाजार, मेसर्स रमेश चन्द्र प्रेम चन्द्र, धर्मशाला बाजार तथा मेसर्स पाण्डेय लौह भंडार, जगरनाथपुर को अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि में आवंटित मात्रा में से उनके द्वारा कुल 765 परमिटों पर उपभोक्ताओं को लेवी सीमेन्ट वितरित की गयी। इन 765 परमिटों की सूची माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं। उपरोक्त स्टाकिस्टों के पास प्रश्नगत अवधि से संबंधित लेवी सीमेन्ट का कोई स्टाक वर्तमान समय में अवशेष नहीं है।

परिवार कल्याण विभाग के प्रसार शिक्षकों की जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पदों पर नियुक्ति तथा प्रसार शिक्षकों का स्थायीकरण

94–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत प्रसार शिक्षकों की वरिष्ठता सूची वर्ष 1979 में अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दिये जाने के बाद भी जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर कनिष्ठ प्रसार शिक्षकों से कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इन कनिष्ठ प्रसार शिक्षकों को उच्च वेतनमान भी दिया जा रहा है?

श्री लोकपति–

जी हां, प्रसार शिक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने से पूर्व अधिकांश जनपदों में प्रसार शिक्षकों को जनपदीय वरिष्ठता के आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर जिलाधिकारियों द्वारा नियुक्ति किया गया था। कुछ जनपदों में माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अब भी कनिष्ठ प्रसार शिक्षकों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी का वेतनमान (रु0 625–1240) दिया जा रहा है।

95–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने वर्ष 79-80 में यह निर्णय लिया था कि प्रसार शिक्षकों को अलग-अलग कैडर में स्थायी किया जा रहा है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी नहीं। प्रसार शिक्षक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

टाउन एरिया जौनपुर, जनपद आजमगढ़ को स्वीकृत पथकर क्षतिपूर्ति अनुदान

96–श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया जौनपुर, जनपद

आजमगढ़ द्वारा परीक्षित आंकड़े उपलब्ध कराने के बाद तथा बढ़ाये जाने की अनवरत मांग के पश्चात पथकर क्षतिपूर्ति माह जुलाई, 1979 से फरवरी, 1983 (44 महीनों की) बकाया 7 लाख चार हजार रुपया या 1982-83 की बकाया क्षतिपूर्ति टाउन एरिया जीयनपुर को क्यों नहीं दी गयी और बकाया क्षति पूर्ति कब तक दे दी जायेगी?

श्री लोकपति–

उपर्युक्त स्थिति में इसका प्रश्न नहीं उठता ।

97–श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को माह मई, 1979 एवं जून, 1979 की पथकर क्षतिपूर्ति शासनादेश सं0 4026 टी/9-1-79–26 (4) स/79 दिनांक 20-6-69 एवं शासनादेश संख्या 6727 टी/9-1-79 दिनांक 17-8-79 द्वारा 20 हजार रुपये प्रत्येक माह में दी गयी थी? यदि हां, तो किस आधार पर माह जुलाई, 1979 से पथकर क्षतिपूर्ति 20 हजार के बजाय 4 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गयी?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां।

माह मई एवं जून, 1979 में तदर्थ रूप से क्षतिपूरक अनुदान स्वीकृत किया गया था। पथकर क्षतिपूर्ति का आधार टाउन एरिया की पथकर से वर्ष 1978-79 की आय है। टाउन एरिया जीयनपुर की संपरीक्षित आय पथकर से वर्ष 1978-79 में मात्र रु0 19,993/- थी जिसके अनुसार मात्र रु0 16,000/- वार्षिक अनुदान देय होता है। परन्तु यह एक नई टाउन एरिया थी और अप्रैल, 1979 में लगभग 5,000/-रु0 की आय बतायी गयी थी, अतः उस आधार पर उसका 80 प्रतिशत देय अनुदान रु0 4,000/- मासिक निर्धारित कर दिया गया।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

98–श्री मारकण्डेय चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने गोरखपुर जनपद के कुछ अन्य विधायकों के साथ उनके संयुक्त हस्ताक्षर से एक आवेदन-पत्र दिनांक 31 जुलाई, 1982 को उनसे मिलकर दिया था जिसमें गोरखपुर के अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से कराई गयी और जांच अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी? यदि आरोप सिद्ध पाये गये तो अब तक कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री वासुदेव सिंह–

प्रश्नकर्ता तथा अन्य विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 31 जुलाई, 1982 का आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

99–श्री मारकण्डेय चन्द्र–

–[दिनांक 17-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-168 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर के गोला बाजार टाउन एरिया में नये नलकूप लगाने एवं पाइप लाइन के विस्तार की मांग

100—श्री मारकण्डेय चन्द्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 26 जून, 1981 व 17-9-81 तथा मार्च, 1983 में आवेदन-पत्र देकर गोरखपुर जनपद के गोला बाजार टाउन एरिया में खटिक एवं हरिजन बस्ती में पाइप लाइन बिछाने तथा लगभग 20 वर्ष पुराने नलकूप के खराब हो जाने तथा कम पानी देने के कारण नया नलकूप लगाने की मांग की थी? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना—

जनपद गोरखपुर के गोला बाजार टाउन एरिया में खटिक एवं हरिजन बस्ती में पाइप लाइनों के विस्तार हेतु जल निगम द्वारा रु0 26,300 का एक प्राक्कलन वर्ष 1982 में बनाया गया था। इस प्राक्कलन के समक्ष ऋण/अनुदान हेतु स्थानीय निकाय से वांछित प्रस्ताव व आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर धन की उपलब्धता के अनुसार अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

पुराने नलकूप की जगह दूसरे नलकूप के निर्माण एवं पाइप लाइन के अन्य क्षेत्रों में विस्तार हेतु योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है। प्रस्तावित जलकल के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता नगर क्षेत्र समिति द्वारा सुनिश्चित नहीं हो पायी है। इसके पश्चात् ही योजना का विरचन एवं धन की उपलब्धता के अनुसार अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय चिकित्सालय उत्तमछनी एवं राजकीय चिकित्सालय चनौली में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति की मांग

101—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय उत्तमछनी जिला अल्मोड़ा में चिकित्सक का पद कब से रिक्त है ? क्या सरकार अविलम्ब चिकित्सक की नियुक्ति करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय उत्तमछनी, अल्मोड़ा में चिकित्सक का पद अल्मोड़ा में चिकित्सक का पद कब से रिक्त है ? क्या सरकार अविलम्ब चिकित्सक की की प्रक्रिया चल रही है।

102—श्री जस्वन्त सिंह विष्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय चनौली विकास खण्ड सल्याल्दे (अल्मोड़ा) में चिकित्सा अधिकारी का पद कब से रिक्त है और कब तक चिकित्सक की नियुक्ति कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

राजकीय चिकित्सालय, चनौली, विकास खण्ड, सल्याल्दे में चिकित्साधिकारी का पद 7 मार्च, 1981 से रिक्त है। पर्वतीय उप संवर्ग में रिक्त पदों को भरने हेतु लोक

सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। चयनित सूची प्राप्त होने पर रिक्त पद भर दिए जाएंगे।

103—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, जिला मेरठ में कीटनाशक दवा के दुरुपयोग की जांच

104—श्री कुबेर भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि (डा0 सी0 पी0 भाटिया) उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ दिनांक 17-3-83 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली पर कीटनाशक दवा के दुरुपयोग की जांच हेतु गये थे? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी द्वारा कृत जांच कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति—

जी हां, किन्तु प्रश्नगत दुरुपयोग संबंधी कोई आरोप जांच उपरान्त सिद्ध नहीं हुआ।

जिला क्षय रोग अधिकारी, मेरठ (डा0 एम0 सी0 वार्ष्णेय) के विरुद्ध आरोपित भ्रष्टाचार की जांच

105—श्री कुबेर भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ ने दिनांक 17-12-80 को जिला क्षय रोग अधिकारी (डा0 एम0 सी0 वार्ष्णेय) के विरुद्ध जनता द्वारा आरोपित भ्रष्टाचार की जांच की थी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त जांच की कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के कार्यालय में श्री शिव कुमार त्यागी, 107 बृहत्रपुरी, मेरठ का शिकायती-पत्र दिनांक 13-6-1980 जो डा0 एम0 सी0 वार्ष्णेय, चिकित्साधिकारी, टी0 बी0 क्लीनिक, मेरठ के विरुद्ध था, प्राप्त हुआ था, उक्त शिकायती-पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ द्वारा जांच की गयी। आरोप निराधार पाये गये।

डा0 रामहित राम, वरिष्ठ अधीक्षक, प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय, मेरठ द्वारा चिकित्सालय के प्राइवेट वार्ड में आवास

106—श्री कुबेर भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि वरिष्ठ अधीक्षक (डा0रामहित राम) प्यारे लाल शर्मा, चिकित्सालय, मेरठ माह जून, 82 से चिकित्सालय के प्राइवेट वार्ड नं0 1 में रह रहे हैं तथा मकान किराया भत्ता भी कोषागार से आहरण कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

डा0 रामहित राम, वरिष्ठ अधीक्षक प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय, मेरठ के प्राइ-

बेट वार्ड नं0 1 में विशेष परिस्थितियों के कारण रह रहे हैं, किन्तु मकान किराया भत्ता कोषागार से आहरित नहीं कर रहे हैं। यह वार्ड खाली कराने तथा वार्ड के उपयोग की अवधि का उनके वेतन से 10 प्रतिशत प्रतिमास की दर से किराया वसूल करने के आदेश दे दिए गए हैं।

हरदोई तथा संडीला नगरपालिकाओं को स्वीकृत बाढ़ सहायता अनुदान का व्यय

107—श्री रूपराम—

दिनांक 24-2-82 को विधान सभा में अता0 प्र0 सं0 134 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत अवधि में एक लाख रुपये के बाढ़ सहायता अनुदान को अब तक किस-किस रूप में कितना-कितना खर्च किया गया?

श्री राम सिंह खन्ना—

संदर्भगत प्रश्न का दिनांक 24-2-82 का नहीं अपितु 24-2-83 को उत्तर दिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार रुपए एक लाख के बाढ़ सहायता अनुदान को नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गया :—

1—पैच मरम्मत व निर्माण नाली सोल्जर बोर्ड चौराहा से अस्पताल चौराहा तक।	14481-00
2—निर्माण सड़क नाली महोलिया शिवपार में प्राइमरी स्कूल से जिला परिषद् रोड तक।	10861-24
3—निर्माण सड़क मंगली पुरवा रेलवे क्रासिंग से सैया पुरवा की पुलिया तक।	30630-00
4—निर्माण सड़क नाली मो0 मोर्डिक बोर्डिंग हाउस में बिलग्राम रोड से मुनेश्वर सिंह के मकान तक।	7127-10
5—निर्माण सड़क नाली अशराफ टोला घंटाघर रोड से पं0 सिद्ध गोपाल अग्निहोत्री के पीछे मकान तक।	4923-09
6—निर्माण सड़क नाली मो0 अशराफ टोला में कालीन वाली गली से नरेश गोयल के मकान तक।	2310-01
7—निर्माण सड़क नाली मो0 गौरी नगर में स्वास्थ्य निरीक्षक के मकान से स्कूल बाउन्ड्री तक।	6805-72
8—निर्माण सड़क नाली मो0 लाइन पुरवा में श्रीराम बाजपेई स्मारक के निकट स्टेशन रोड से मनोहर लाल वर्मा के मकान तक।	11615-18
9—निर्माण सड़क नाली मो0 लक्ष्मी पुरवा में श्री रघुनाथ के मकान से गोविन्द के मकान तक।	11533-28
योग—	100286-62

श्रीनानक चन्द्र अग्रवाल को हाता लक्ष्मण दास नगर, लखनऊ में अल्प आय वर्ग भवन का आवंटन

108—श्री कुबेर भंडारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाता लक्ष्मण दास गंदी बस्ती सुधार योजना, शिवाजी मार्ग, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा समाप्त घोषित कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या आवास अनुभाग-2 द्वारा जारी अर्ध शासकीय पत्र सं0 8070 (1)/37-2-80/15 एल0 ए0/17-80 दिनांक 29 अक्टूबर, 1980 के निर्णय के अनुसार श्री नानक चन्द्र अग्रवाल को एक अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) भवन आवंटित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो योजना को समाप्त घोषित किये जाने का क्या औचित्य है?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं। श्री नानक चन्द्र अग्रवाल को हाता लक्ष्मणदास में अल्प आय वर्ग (एल0 आई0 जी0) भवन आवंटित करने के संबंध में प्रश्नगत अर्धशासकीय पत्र दिनांक 29-10-1980 भेजा गया था। किन्तु बाद को भवन उपलब्ध न होने के कारण उनकी सहमति से उन्हें वह भूमि, जिस पर वह वास्तव में निवासित हैं, कुछ संशोधन के साथ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में भू-विन्यास तैयार कराकर निबन्धन की तैयारी की जा रही है।

हाता लक्ष्मण दास मलिन बस्ती सुधार योजना, लखनऊ के अंतर्गत अल्प तथा दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण की प्रगति

109—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाता लक्ष्मण दास मलिन बस्ती सुधार योजना, शिवाजी मार्ग, लखनऊ में स्वीकृत सुधार योजनान्तर्गत कितने एल0आई0 जी0 एवं कितने दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था? इसमें से कितना कार्य विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वहां पर किया गया तथा कितना शेष है? क्या सरकार उक्त स्वीकृत योजना की रूप रेखा भी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री राम सिंह खन्ना—

हाता लक्ष्मण दास मलिन बस्ती सुधार योजना, शिवाजी मार्ग, लखनऊ के अन्तर्गत 1.48 एकड़ के क्षेत्रफल में 24 दो मंजिले अल्प आय वर्ग के भवन एवं आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्गीय दो मंजिले 48 भवन व एक मंजिल 37 भवनों के निर्माण की योजना थी। इस योजना के अन्तर्गत एक कमरे वाले 38 दो मंजिले और 37 एक कमरे वाले एक मंजिले भवनों का निर्माण किया जा चुका है। अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण भू-उपयोग संशोधित कर दिये जाने के कारण नहीं किया जा सका। यही उक्त स्वीकृत योजना की रूपरेखा है।

नगर पालिका सांडी, जनपद बस्ती के सफाई नायक श्री आत्मा राम दीक्षित की सेवा काल में मृत्यु के फलस्वरूप उनके पुत्र की नियुक्ति की मांग

110—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका सांडी, हरदोई के सफाई नायक श्री आत्माराम दीक्षित का लम्बी बीमारी के दौरान सेवाकाल में ही स्वर्गवास हो गया

है? यदि हां, तो क्या सरकार श्री दीक्षित के परिवार के भरण-पोषण हेतु उनके पुत्र को शासन की नीति के अनुसार अविलम्ब नगरपालिका की सेवा में लेने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां। जिला मजिस्ट्रेट को उपयुक्त कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

टी0 बी0 क्लीनिक, मऊनाथ भंजन जनपद आजमगढ़ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त श्री इंतखाब अहमद की सेवा समाप्ति

111—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 एम0 ए0 एल्वी जिनकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विलरियागंज पर कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी, के पुत्र श्री इतखाब अहमद को मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ के पत्र सं0 7/83 दिनांक 11 जनवरी, 83 द्वारा टी0 बी0 क्लीनिक, मऊनाथ-भंजन में तदार्थ रूप से कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो उसे पुनः सेवा से हटाने के क्या प्रमुख कारण हैं?

श्री लोकपति—

जी हां। परन्तु संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य गोरखपुर मंडल द्वारा 17-1-1983 को किसी अन्य को तैनात कर भेज देने से श्री इन्तखाब अहमद फालतू हो गये। उन्हें अपनी नई तैनाती प्राप्त करने के लिए संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य, गोरखपुर मण्डल से सम्पर्क स्थापित करने को कहा गया। 15 जून, 1983 को मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ के आदेश से श्री इन्तखाब अहमद को टंकक के पद पर नियुक्ति दी गई इस मामले में जांच की जा रही है कि श्री इन्तखाब अहमद को 12-1-83 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त करने तथा पुनः टंकक के पद पर नियुक्त करने के बीच की अवधि की वास्तविक स्थिति क्या है।

प्रदेश में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की संख्या एवं उनमें प्रधानाचार्यों की नियमित नियुक्ति

112—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं तथा 18-2-83 को उनमें से कितने में नियमित रूप से प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं है? इनमें नियमित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कब तक कर दी जायगी?

श्री लोकपति—

प्रदेश में इस समय 10 आयुर्वेदिक महाविद्यालय शासन के अधीन हैं, जिनमें से आठ में नियमित प्रधानाचार्य नही हैं। इस संबंध में कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

113—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[पहले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 205 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में सीमेन्ट का निर्धारित कोटा एवं उसकी अपूर्ति

114—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में जनवरी, 82 से मार्च, 83 तक कुल कितनी मात्रा में सीमेन्ट का निर्धारित कोटा था और कितना सीमेन्ट इस अवधि में बांदा को दिया गया?

श्री वासुदेव सिंह—

जनवरी, 82 से मार्च, 83 तक बांदा जनपद का निर्धारित लेवी सीमेन्ट का कोटा तथा उसके विरुद्ध प्राप्त सीमेन्ट मात्रा का विवरण निम्नवत:—

निर्धारित कोटा	प्राप्त किया गया कोटा (मात्रा मी0 टनों में)
6,900	4,851

श्री हरीश सिंह बिष्ट, सहायक अभियन्ता (विद्युत् एवं यांत्रिक) का अवर अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तन

115—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें उ0 प्र0 के आदेश सं0 5160/16-10-280/70, दिनांक 7-10-82 द्वारा श्री हरीश सिंह बिष्ट को सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद से उनकी 16 साल की सेवा के पश्चात मूल पद अवर अभियन्ता पर प्रत्यावर्तित किया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या यह सही है कि वे उनसे कनिष्ठ श्री पवन कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को केवल 5 साल 6 माह की सेवा पर ही सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है और उसका आधार क्या है ?

श्री लोकपति—

शासनादेश दिनांक 7-10-82 द्वारा श्री बिष्ट को अवर अभियन्ता के मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया क्योंकि उनकी उपरिकथित तदर्थ नियुक्ति शासन द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। इस आदेश के विरुद्ध श्री बिष्ट ने एक याचिका दायर कर रखी है जो उच्च न्यायालय में लंबित है।

श्री पवन कुमार शर्मा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में है जबकि श्री हरीश सिंह बिष्ट राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडांगर में नियुक्त है। ये दोनों अलग-अलग संवर्ग के हैं, अतः उनकी परस्पर वरिष्ठता आदि की तुलना नहीं की जा सकती है

श्री शेर सिंह, बख्शी, टाउन एरिया स्याना, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध जांच एवं कृत कार्यवाही

116—श्री छत्तर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शेर सिंह, सचिव, टाउन एरिया, स्याना, जनपद बुलन्दशहर जिनके द्वारा श्री मो0 शरीफ खां को अवैध रूप

से सेवा में दिखाने के विरुद्ध श्री जावेद उस्मानी, एस0 डी0 एम0 बुलन्दशहर की जांच आख्या दिनांक 8-5-82 के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

श्री शेर सिंह, बख्शी, टाउन एरिया स्याना, जनपद बुलन्दशहर को श्री जावेद उस्मानी, एस0 डी0 एम0 बुलन्दशहर की जांच आख्या दिनांक 8-5-82 के आधार पर निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

स्वास्थ्य निदेशालय के अन्तर्गत विद्युत सेल, व्हीकिल तथा सिविल इंजीनियरिंग के यूनिटों के विकास हेतु हेल्थ इंजीनियरिंग आरगेनाइजेशन गठित करने की योजना

117–श्री छत्तर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय के अन्तर्गत विद्युत् सेल, व्हीकिल तथा सिविल इंजीनियरिंग के यूनिटों के विकास और उनके मर्जर सम्बन्धी हेल्थ इंजीनियरिंग आरगेनाइजेशन बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? क्या यह भी सत्य है कि शासन के चिकित्सा अनुभाग-5 से इस बारे में अगस्त, 82 में कोई पत्र स्वास्थ्य निदेशक को भेजा गया? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र के संबंध में और इस योजना के मर्जर के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही हुई?

श्री लोकपति–

जी हां। प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।

हेल्थ इंजीनियरिंग आरगेनाइजेशन में वैक्सीन इस्टीट्यूट पटवाडांगर, नैनीताल के इंजीनियरिंग यूनिट को सम्मिलित करने की मांग

118–श्री छत्तर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त प्रश्न में संदर्भित एकीकृत (कन्सालिडेटेड) हेल्थ इंजीनियरिंग आरगनाइजेशन (स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन) में स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीन इंस्टीट्यूट पटवाडागर, नैनीताल के इंजीनियरिंग यूनिट को भी इसी उल्लिखित संगठन के साथ मर्जर के संबंध में उन्हें प्रेषित विधायकगण श्री विजयपाल सिंह, श्री बुद्धपाल सिंह, श्री छत्रपाल सिंह, श्री किरनपाल सिंह, श्री बैजनाथ, श्री निसार अहमद आदि एवं सभापति लोक लेखा समिति उ0 प्र0 के पत्र दिनांकित 8-2-83, 25-2-83 और 26/28 फरवरी, 83 प्राप्त हुए? यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं क्या मंत्री जी विचाराधीन और प्रस्तावित विकास एवं मर्जर की योजना के साथ उक्त पत्रों में संस्तुत की गई पटवाडागर स्थित इंजीनियरिंग यूनिट के विकास और मर्जर पर भी विचार करने की कृपा करेंगे? कब तक सम्पूर्ण मर्जर पूरा कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां। इस परिप्रेक्ष्य में भी परीक्षण किया जा रहा है।

119–120–श्री छत्तर सिंह–

[दिनांक 24-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 79-80 द्वारा उत्तरित]

टाउन एरिया स्याना, जनपद बुलन्दशहर में पेय जल योजना

121—श्री छत्तर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, प्रथम शाखा जल निगम, मेरठ ने दिनांक 11-10-82 को पत्र सं0 3266पे/48/131 टाउन एरिया स्याना, जनपद बुलन्दशहर में पेय जल योजना लागू किये जाने संबंधी अपनी संस्तुति जल कल विभाग, लखनऊ को भेजी है? यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू हो जायेगी?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं। अतएव प्रश्न नहीं उठता।

सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना हरदोई के विरुद्ध आरोप एवं कृत कार्यवाही

122—श्री हरी शंकर—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना हरदोई अ0 स0 159 सन् 82 थाना हरपालपुर के अन्तर्गत धारा 420/468 आई0 पी0 सी0 आरोपित किये जा चुके हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभी तक क्या विभागीय कार्यवाही की गई?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका सांडी, जिला हरदोई में पानी की टंकी का निर्माण

123—श्री हरी शंकर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम द्वारा न0पा0 सांडी, जिला हरदोई में नगरवासियों के पीने हेतु पानी की टंकी कब बनी और न0पा0 को कब हस्तान्तरित की गई?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका सांडी, जिला हरदोई में नगर वासियों को पीने हेतु पानी की टंकी का निर्माण जल निगम द्वारा जून, 1983 में पूर्ण कर लिया गया है। उक्त टंकी का हस्तान्तरण नगरपालिका सांडी को अभी नहीं किया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कसैला, फैजाबाद रोड, लखनऊ में अधिग्रहीत भूमि पर मेसर्स आई0 ए0 कान्सट्रक्शन एण्ड मैकेनिकल वर्क्स, हुसैनगंज, लखनऊ द्वारा हैन्ड पम्प लगाने का कार्य एवं उसके बिलों का भुगतान

124—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 7वें गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 82 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1975—77 में कसैला, फैजाबाद रोड, लखनऊ में पेट्रोल पम्प के निकट अधिग्रहीत

भूमि पर हैण्ड पम्प लगाने का कार्य मेसर्स आई0 ए0 कान्स्ट्रक्शन एण्ड मैकेनिकल वर्क्स, 60/112, हुसैनगंज, लखनऊ को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या कार्य सम्पादन के बाद उनके बिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त संस्था ने कोई पत्र दिनांक 6-4-83 को मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

ठेकेदार को भुगतान भी किया गया था किन्तु अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में ठेकेदार के एक पत्र दिनांक 6-4-1983 को प्राप्त हुआ । अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में छानबीन चल रही है । यदि छानबीन के बाद अवशेष भुगतान देय होगा तो उसका भुगतान कर दिया जायेगा ।

लखनऊ स्थित नारायण नगर सहकारी गृह निर्माण समिति के सचिव के विरुद्ध शिकायत एवं उसकी जांच

125–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स फैजाबाद रोड, लखनऊ के समीप स्थित नारायण नगर, सहकारी गृह निर्माण समिति के सचिव के विरुद्ध लेखा-जोखा ठीक प्रकार से न रखने और धन गबन आदि की शिकायत निबंधक, सहकारी समितियां (गृह निर्माण) लखनऊ को प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा भेजी गयी दिनांक 28-2-83 को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी लेकिन जांच अधिकारी ने लगाये गये आरोपों को सही नहीं पाया ।

लखनऊ नगर में स्थित बुजुर्ग जनाब पहलवान बाबा की मजार के प्रांगण में अनधिकृत निर्माण एवं उसके हटाने की कार्यवाही

126–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा मार्ग पर स्थित हैदर कैनाल के पुल के किनारे माता सुग्गा देवी मार्ग पर मुस्लिम सम्प्रदाय के बुजुर्ग जनाब पहलवान बाबा की मजार शरीफ है ? क्या यह सही है कि मजार के प्रांगण में किसी व्यक्ति ने नाजायज तौर पर कब्जा करके एक दुकान का निर्माण कराया है जिसमें उसने इस समय विदेशी शराब की दुकान खोल रखी है जिससे जनसाधारण की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है ? क्या सरकार जन मानस एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को देखते हुए उक्त नाजायज निर्माण को मजार के प्रांगण से हटवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और उसे हटाने की व्यवस्था कानूनी कार्यवाही के अनुपालन में की जा रही है ।

127—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवैध निर्माण के समय वर्ष 81—82 में लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ने उसे हटाया भी था ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश पर मजार के प्रांगण में दुकान खोलने हेतु निर्माण कार्य करने की अनुमति दी गयी ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं ।

प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण को हटाने के आदेश मई, 83 में हुए हैं । उक्त निर्माण की अनुमति लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं दी गयी है । अस्तु किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

मेडिकल स्टोर ग्राम रोहटा, मेरठ पर जिला अस्पताल मेरठ की दवाओं की बरामदगी तथा संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

128—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि औषधि निरीक्षक (श्री एस0 सी0 शर्मा) मेरठ ने जिला अस्पताल मेरठ की दवायें मेडिकल स्टोर ग्राम रोहटा, मेरठ पर दिनांक 15-2-83 को बरामद की थीं ? यदि हां, तो सरकारी दवा को बेचने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से क्या मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लोकपति—

जी हां। मामले में पुलिस द्वारा जांच करायी जा रही है। जांच परिणाम ज्ञात होने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, जनपद मेरठ पर नियुक्त कर्मचारी श्री सुभाष गुप्ता के विरुद्ध बी0 एच0 सी0 की अवैध बिक्री का आरोप

129—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ पर नियुक्त कर्मचारी (श्री सुभाष गुप्ता) ने मई, 82 में शासन द्वारा प्राप्त बी0 एच0 सी0 में से 250 किलोग्राम बी0 एच0 सी0 बाजार में बेचकर राजकीय धन का अपव्यय किया है जिसके संबंध में स्वास्थ्य निरीक्षक, बिनौली ने दिनांक 17-5-82 को प्रभारी अधिकारी बिनौली को पत्र द्वारा सूचित किया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रेषित पत्र के आधार पर कृत कार्यवाही के सदन को अवगत करायेंगे?

श्री लोकपति—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ पर नियुक्त कर्मचारी, श्री सुभाष गुप्ता ने

मई, 1982 में शासन से प्राप्त बी0 एच0 सी0 में से 250 किलोग्राम बी0 एच0 सी0 न तो बाजार में बेची है और न ही राजकीय धन का अपव्यय ही किया है। स्वास्थ्य निरीक्षक, बिनौली का प्रश्नगत पत्र दिनांक 17 मई, 1982 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली मेरठ में उपलब्ध नही है। अतएव इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नही उठता है।

जिला मलेरिया अधिकारी, मेरठ द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, जनपद मेरठ पर बी0 एच0 सी0 के दुरुपयोग की जांच

130—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला मलेरिया अधिकारी, मेरठ ने दिनांक 28-7-82 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ में बी0 एच0 सी0 के दुरुपयोग की जांच करने हेतु गये थे? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृत जांच कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति—

जी हां, जिला मलेरिया अधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 1982 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली मेरठ में बी0 एच0 सी0 में कथित दुरुपयोग की जांच की गयी थी।

जांच में किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ द्वारा मलेरिया बजट से तौलियों की खरीद एवं उसके फर्जी बिल का भुगतान

131—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ ने वर्ष 81-82 के मलेरिया बजट से 13 तौलिये 57 से0 मी0×117 से0 मी0 के खरीदने का फर्जी बिल बनवा कर उक्त बिल का भुगतान 31 मार्च, 82 को कोषागार से आहरण कर लिया है, जिसके संबंध में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक शिकायती-पत्र दिनांक 30-4-82 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित किया है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही से क्या मंत्री जी सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति—

प्रभारी चिकत्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ ने वर्ष 81-82 में मलेरिया बजट से 13 तौलिये खरीद कर उनका बिल बनवाकर 13-12-82 को भुगतान कर दिया है। यह बिल सही था। इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मचारियों का शिकायती पत्र दिनांक 30-4-82 प्राप्त नहीं हुआ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ पर कीटनाशक दवा का दुरुपयोग

132—श्री कुबेर भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ पर कीट नाशक दवा के दुरुपयोग को रोकने हेतु स्वास्थ्य निरीक्षक, बिनौली, मेरठ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ को दिनांक 18-5-82 व दिनांक 20-5-82 को पत्र प्रेषित

किये हैं? यदि हां, तो क्या कीटनाशक दवा के दुरुपयोग में सम्मिलित कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री लोकपति–

स्वास्थ्य निरीक्षक, बिनौली, मेरठ के प्रश्नगत पत्र दि0 18 मई, 1982 एवं 20 मई, 1982 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेष प्रश्न नही उठता।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, बिनौली, मेरठ द्वारा लेखा लिपिक श्री महाबीर प्रसाद शर्मा के अवकाश काल के वेतन का आहरण

133–श्री कुबेर भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, बिनौली, मेरठ ने अपने अधीनस्थ नियुक्त लेखा लिपिक (श्री महाबीर प्रसाद शर्मा) के अवकाश काल दिनांक 2-5-82 से 25-5-82 तक की सेवाकाल मानते हुए उनका उक्त समय का वेतन कोषागार से आहरण कर भारी राजकीय धन का अपव्यय किया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री लोकपति–

श्री महाबीर प्रसाद शर्मा लेखालिपिक के 2-5-82 से 25 मई,82 की अवधि का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किये जाने की प्रत्याशा में वेतन आहरित कर वितरित किया गया परन्तु जांच कराने पर पाया गया कि उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ है। अतः इस अनियमितता के लिये तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिनौली, मेरठ को चेतावनी दे दी गई है तथा श्री महावीर प्रसाद शर्मा लेखा लिपिक को उक्त अवधि के भुगतान की गई धनराशि के वसूल करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

डा0 निर्मला पन्त, चिकित्सा अधिकारी, प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ की लापरवाही से श्रीमती प्रेमो की मृत्यु

134–श्री कुबेर भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 20-10-82 को (डा0 निर्मला पन्त) चिकित्सा अधिकारी, प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ की लापरवाही के कारण श्रीमती प्रेमो की नसबन्दी आपरेशन के बाद मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो उक्त चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा कृत कार्यवाही से क्या मंत्री जी सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति–

जी नहीं।

श्रीमती प्रेमो की मृत्यु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत स्थान पर चिकित्सकीय गर्भ समापन के कारण हुई थी। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में एफ0 आई0 आर0 लिखा दी गयी है।

राजकीय चिकित्सालय, मेरठ में ब्लड बैंक के अंदर स्थित शौचालय एवं उसके हटाने की कार्यवाही

135—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय चिकित्सालय, मेरठ में ब्लड बैंक के अन्दर ही शौचालय बना हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त शौचालय को अन्यत्र हटाने की कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति—

राजकीय चिकित्सालय, मेरठ में ब्लड बैंक के अन्दर कोई शौचालय नहीं बना है। अतः उसे अन्यत्र हटाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अधीक्षक, प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय, मेरठ द्वारा रबर के वाशरों की खरीद

136—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि अधीक्षक (डा0 जी0 डी0 गोयल) प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय, मेरठ ने वर्ष 81 में रबर के 10,000 वाशर खरीदे? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त शासकीय धन की क्षति की पूर्ति डा0 जी0 डी0 गोयल के वेतन से कराकर सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति—

प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय, मेरठ के पैथोलोजिस्ट डा0 जी0 डी0 गोयल की मांग पर 20,000 वाशर क्रय किये गए थे। रक्त रखने की बोतलों हेतु इनकी आवश्यकता थी। यह वाशर रक्त दान शिविरों में प्रयोगार्थ खरीदे गए थे। इनके क्रय में शासकीय धन की कोई क्षति नहीं हुई, अतः वसूली का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में कीटनाशक दवा के छिड़काव की जाली रिपोर्ट

137—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मेरठ में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कीटनाशक दवा के छिड़काव की जाली रिपोर्ट बनाकर वर्ष 1982 में प्रेषित की है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनपद मेरठ में कीट नाशक दवा के दुरुपयोग की जांच सतकर्ता विभाग द्वारा कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति—

जनपद मेरठ में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वर्ष 1982-में कीटनाशक दवा के छिड़काव की कोई जाली रिपोर्ट बनाकर प्रेषित नही की है। अतएव सतकर्ता विभाग से किसी भी प्रकार की कोई जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ पर कीटनाशक दवा के दुरुपयोग की जांच हेतु स्थानीय विधायक का शिकायती पत्र

138—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली, मेरठ पर कीटनाशक दवा के दुरुपयोग की जांच हेतु स्थानीय विधायक ने एक शिकायती पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ को दिनांक 11-6-82 को प्रेषित किया था? यदि

हां, तो उक्त पत्र के आधार पर कृत जांच कार्यवाही से क्या मंत्री जी सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति–

जी नहीं, प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 11-6-82 को प्राप्त नहीं हुआ किन्तु श्री झग्गड़ सिंह, विधायक का एक पत्र दिनांक 29 मई, 1982 प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लिखित आरोपों की जांच किए जाने पर आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपिक वर्गीय पदों का विलीनीकरण

139–श्री कुबेर भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एकीकरण होने पर भी लिपिक वर्ग का एकीकरण अभी तक नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति लिपिक वर्ग का भी एकीकरण करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्ग के लिपिकवर्गीय पदों के विलीनीकरण का संदर्भ शासन के विचाराधीन है।

ग्राम महुला, जनपद आजमगढ़ में राजकीय चिकित्सालय के भवन का निर्माण

140–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महुला, तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के राजकीय चिकित्सालय के भवन निर्माण से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-4-83 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति–

जी हां। पत्र दिनांक 5-4-83 मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। चूंकि ग्रामीण राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण की योजना जिला स्तरीय योजना है अतः जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा ही आवश्यक धन की व्यवस्था तथा स्थल का अनुमोदन किया जाना है।

ग्राम मऊ कुतुबपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के हरिजन परिवारों के राशन कार्ड

141–श्री पंचानन राय–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मऊ कुतुबपुर, तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के हरिजनों के पास राशन कार्ड न होने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-4-83 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां, प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है।

2—ग्राम मऊकुतुबपुर की हरिजन बस्ती में कुल 77 परिवारों में से, जिनके राशन कार्ड पहले ही बनाये जा चुके थे, 15 परिवारों को जारी किये गये राशन कार्ड जांचोपरान्त उपलब्ध नहीं हो पाये । अतएव, उन्हें निरस्त कर उक्त 15 परिवारों को नये राशन कार्ड जारी कर दिये गये । उपरोक्त 77 परिवारों में से 18 परिवारों में बिलगाव हो जाने के कारण उक्त 18 परिवारों को भी नये राशन कार्ड जारी किये गये । इस प्रकार समस्त 95 परिवारों के राशन कार्ड बना कर जारी किये जा चुके हैं

ग्राम रामगढ़, बछौर खास तथा इसरापार, जनपद आजमगढ़ के हरिजन परिवारों के राशनकार्ड

142—श्री पंचानन राय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामगढ़ बछौर खास तथा इसरापार के हरिजनों के पास राशन कार्ड न होने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-4-83 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां । ग्राम रामगढ़ तहसील सगड़ी के पुरवे बछौर खास तथा इसरापार एवं रामगढ़ के हरिजन परिवारों के पहले से ही राशनकार्ड बनाये गये थे । जांच में इसरापार व रामगढ़ टोले के 17 राशनकार्ड अधिक पुराने होने के कारण फट गये थे जिन्हें निरस्त कर उनके स्थान पर नये राशनकार्ड जारी कर दिये गये हैं । उस गांव के नट बस्ती के पुराने राशन कार्ड संबंधित व्यक्तियों के पास उपलब्ध न होने के कारण उनके लिये भी नये राशन कार्ड बनवा दिये गये हैं ।

श्री राम लोटन, सहकारी पर्यवेक्षक, ब्लाक बनीकोडर के बकाया वेतन का भुगतान

143—श्री राम सागर—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि श्री रामलोटन, सहकारी पर्यवेक्षक ब्लाक बनीकोडर ने जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियों, बहराइच एवं गोंडा को दिनांक 1-2-83 व 2-2-83 को पत्र लिखकर अपने 16 (सोलह) माह का बकाया वेतन दिये जाने की मांग की है ? यदि हां, तो यह वेतन किस काल का है और क्यों नहीं उसे दिया गया ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

श्री राम लोटन, सहकारी पर्यवेक्षक ब्लाक बनीकोडर ने जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियों को 14 माह की अवधि के वेतन भुगतान किया जा चुका है । मार्च व अप्रैल, 73 के वेतन का भुगतान श्री मिश्र के उक्त अवधि के अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना पत्र के अभाव में विवादग्रस्त होने के कारण अभी नहीं किया गया है ।

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय एवं होम्योपैथी निदेशालय में तृतीय श्रेणी के पदों एवं उन पर अनुसूचित व पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या

144—श्री झिलमिट राम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय एवं होम्योपैथी निदेशालय में 31-3-83 को तृतीय श्रेणी सेवाओं में कितने-कितने पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं ? उक्त पदों में शासन के आदेशानुसार अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के कितने अभ्यर्थी कार्यरत हैं ?

श्री लोकपति–

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के समूह 'ग' के लिपिक वर्गीय पदों का अभी एक ही संवर्ग है । अतः विशिष्ट रूप से केवल चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय में समूह 'ग' के लिपिक वर्गीय पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के आरक्षण के अनुपात का प्रश्न नहीं पैदा होता । होम्योपैथी निदेशालय में 31-3-83 को विद्यमान समूह 'ग' के लिपिक वर्गीय 8 पदों में से एक पद पर अनुसूचित जाति का तथा एक पद पर पिछड़ी जाति का कर्मचारी कार्यरत था ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में पारस्परिक ज्येष्ठता

145–श्री झिलमिट राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 15/5/73 रा0 एको0, दिनांक 20-3-73 के पैरा–2 के अनुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय में पारस्परिक ज्येष्ठता बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की मुख्य ज्येष्ठता सूची उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के समक्ष निर्देश याचिका सं0 252 (2)/81–श्री जी0 के0 शर्मा तथा अन्य बनाम उ0 प्र0 शासन तथा अन्य में विवादित होने के कारण स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय में पारस्परिक ज्येष्ठता अभी निर्धारित नहीं हो सकी है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर पदोन्नति

146–श्री झिलमिट राम–

विधान सभा के वर्ष 80 के प्रथम सत्र के 1ले गुरू के अता0 प्र0 सं0 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिक्रमण के प्रकरणों की सूचना शासन को भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

उल्लिखित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 में इस सम्बन्ध में सूचना दी जा चुकी है । कोई अतिक्रमण नहीं हुआ इसलिए शासन को कोई सूचना भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा चिकित्सा अनुभाग–5 के अर्द्धशासकीय पत्र में वांछित सूचना का भेजा जाना

147–श्री झिलमिट राम–

विधान सभा के वर्ष 80 के प्रथम सत्र के 1ले गुरू के अता0 प्र0 सं0 30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय से संबंधित वांछित सूचना शासन को भेज दी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री लोकपति–

जी नहीं ।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा होम्योपैथिक निदेशालय में तृतीय श्रेणी वर्ग में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति का कोटा

148–श्री झिलमिट राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 354/चालीस–80

रा0 एकी0 23 (28)/79 दिनांक 13-2-80 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा शिक्षा, होम्योपैथी निदेशालय के नवगठित विभाग में उक्त शासनादेश के अनुसार प्रारम्भ से ही अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों का कोटा तृतीय श्रेणी सम्वर्ग में पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में समूह "ग" के कर्मचारियों का अभी एक ही संवर्ग होने के कारण चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय में विशिष्ट रूप से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पृथक रूप से पूरा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। नवगठित होम्योपैथिक निदेशालय में पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा है। उक्त निदेशालय में लिपिक वर्गीय के कतिपय पद रिक्त हैं। अतः अभी अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो सका है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की भर्ती सम्बन्धी क्रमावली

149–श्री झिलमिट राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय में शासनादेश संख्या 15/28/73–रा0 एकी0–113 दिनांक 26-2-89 के परिशिष्टन–6 को ध्यान में रखकर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की भर्ती हेतु क्रमावली बनायी गयी है ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी हां।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

साधन सहकारी समिति लि0 कलाकुरी, जनपद बुलन्दशहर में गम्भीर आडिट आपत्तियां एवं उन पर कृत कार्यवाही

150–श्री छत्तर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या साधन सहकारी समिति लि0 कलाकुरी, विकास खंड अर्निया, जनपद बुलन्दशहर के 1978 से 1982 के कार्यकाल में गम्भीर आडिट आपत्तियां हैं? यदि हां, तो उन पर आज तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है? क्या उस कार्यकाल के कर्मचारी एवं प्रशासक को हटाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

केवल वर्ष 1980-81 के आडिट रिपोर्ट में गम्भीर आपत्तियां लगाई गयी थीं, जिनमें समिति के कर्मचारी एवं प्रशासक को जांच के समय दोषी नहीं पाया गया। समिति के कर्मचारी एवं प्रशासक को हटाया जाना अपेक्षित नहीं था।

वर्ष 1981-82 की आडिट रिपोर्ट अभी तक समिति को प्राप्त नहीं हुई है।

डा0 जी0 डी0 गोयल, अधीक्षक, प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय मेरठ द्वारा चिकित्सालय में प्रयोग की गयी प्रेगनेन्सी टेस्ट किट

151—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1981-82 में डा0 जी0 डी0 गोयल, अधीक्षक, प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय, मेरठ ने कितनी प्रेगीनेन्सी किट टेस्ट मंगायी तथा उनमें से कितनी किट टेस्ट का प्रयोग चिकित्सालय में किया गया?

श्री लोकपति—

वर्ष 1981-82 में डा0 जी0 डी0 गोयल पैथोलोजिस्ट की मांग पर चार प्रेगनेन्सी टेस्ट किट मंगायी गयी। इन किटों का प्रयोग वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय, मेरठ में किया गया।

उपसचिव, नगर विकास द्वारा प्रशासक नगर महापालिका मेरठ को स्व0 श्री प्रकाश चन्द्र मित्तल की पत्नी श्रीमती सुधा मित्तल की नियुक्ति हेतु दिया गया निर्देश

152—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप सचिव, नगर विकास अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन ने अपने आदेश सं0 5092-ए/11 न0 वि0-7-2 के 1331/82 दिनांक 3-9-82, द्वारा प्रशासक, नगर महापालिका, मेरठ को निर्देशित किया था कि श्री प्रकाश चन्द्र मित्तल जो उ0 प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा के सहायक लेखाधिकारी थे तथा जिनका आकस्मिक निधन 10-5-82 को कानपुर में हो गया था, की पत्नी श्रीमती सुधा मित्तल को उनकी योग्यतानुसार पद मेरठ नगर महापालिका में दे दिया जाय? यदि हां, तो क्या इस शासनादेश का क्रियान्वयन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां। शासनादेश का क्रियान्वयन हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय सहकारी समिति, पचपेड़वा तथा क्षेत्रीय सहकारी समिति धौकहवा, जनपद गोण्डा के भूतपूर्व प्रशासकों के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट तथा बकायेदारों को प्रशासक नियुक्त करने का औचित्य

153—श्री अकबाल हुसैन—

क्या सरकार बतायेगी कि क्षेत्रीय सहकारी समिति, पचपेड़वा, जनपद गोण्डा तथा क्षेत्रीय सहकारी समिति धौकहवा, विकास खण्ड, पचपेड़वा जनपद गोण्डा के भूतपूर्व प्रशासकों क्रमशः श्री शमीम अहमद तथा श्री कौशल विहारी पाठक के विरुद्ध हजारों रुपये गबन करने के कारण सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता पचपेड़वा, जनपद गोण्डा ने अपराध, अन्तर्गत धारा 420/409/467 भारतीय दण्ड विधान का थाना पचपेड़वा, जनपद गोण्डा में दिनांक 17-10-82 तथा 11-4-83 को दर्ज कराया है?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

अपराध धारा 420/419/467 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज कराया है।

154—श्री अकबाल हुसैन—

क्या यह सही है कि उक्त समितियों में उपरोक्त व्यक्तियों के पिता जो समितियों के बकायेदार हैं को प्रशासक दिनांक 15-4-83 को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो उक्त विषय में अब तक की प्रगति क्या है और बकायेदारों को प्रशासक नियुक्त करने का औचित्य क्या है?

श्री बच्चा पाठक—

यह सही है कि उपरोक्त समितियों में उपरोक्त व्यक्तियों के पिता दिनांक 15-4-83 को प्रशासक नियुक्त किये गये। क्षेत्रीय सहकारी समिति, पचपेड़वा के प्रशासक श्री अतीउल्लाह बकायादार थे। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अब इनके जिम्मे कोई बकाया नहीं है। क्षेत्रीय सहकारी समिति लोकहवा के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण नवनियुक्त प्रशासक के बकायादार होने की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है।

प्रदेश के माप बांट नियंत्रण के अन्तर्गत पकड़े गये मामले और इसे सक्रिय बनाने हेतु कृत कार्यवाही

155—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के माप बांट नियंत्रण के अन्तर्गत कितने मामले प्रदेश में 82-38 में पकड़े गये और क्या इसे और सक्रिय बनाने के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां, प्रदेश के बाट तथा माप नियंत्रण के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 37,210 मामले पकड़े गये तथा इसे और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में वर्ष 1983-84 में 2 कार्यमानक प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 3 और कार्यमानक प्रयोगशालायें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पर्वतीय क्षेत्र के सीमान्त जनपदों में चिकित्सकों की नियुक्ति

156—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

प्रथम वर्ष 83 के 7वें गुरु के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 69 के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त जनपदों में चिकित्सकों की नियुक्ति में कौन-कौन सी कठिनाइयां आती हैं? उन्हें दूर करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति में अब कोई कठिनाई नहीं है। पर्वतीय उप संवर्ग का गठन कर दिया गया है तथा लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों का चयन कर रहे हैं। अब तक 351 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

157—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री गोबरधन लाल, जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

158–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जि0 पू0 अ0, गोरखपुर श्री गोवरधन लाल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा कोई शिकायती पत्र 14-4-83 या इसके लगभग सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को मिला है? यदि हां, तो इस की जांच फूड सेल से कराई गयी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां। 14-4-83 के पत्र के साथ संलग्न शिकायती पत्र के एक बिन्दु के सम्बन्ध में खाद्य विभाग के पुलिस सेल द्वारा जांच करायी जा रही है। अन्य शिकायतों पर पुलिस सेल द्वारा जांच हो गयी है।

भूतपूर्व सैनिक सहकारी समिति, मईल बाग, जिला देवरिया के पदाधिकारियों द्वारा गबन

159–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि भू0 पू0 सैनिक सहकारी समिति, मईल, जिला देवरिया के पदाधिकारियों द्वारा 81-82 व 82-83 के मध्य लगभग 3 लाख रु0 का गबन किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी?

श्री बच्चा पाठक–

देवरिया जनपद में भूतपूर्व सैनिक सहकारी समिति मईल बाग की कोई सहकारी समिति नहीं है बल्कि जनपदीय भूतपूर्व सैनिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि0, देवरिया के नाम से सहकारी समिति पंजीकृत है।

उक्त समिति के भूतपूर्व सचिव द्वारा वर्ष 82-83 में मु0 1,76,573·00 का गबन किये जाने का मामला प्रकाश में आया है।

संबंधित दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है जो विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता के विवेचनाधीन है।

डिबाई, जिला बुलन्दशहर तथा देवरिया में स्वीकृत दाल मिल मशीनरी की स्थापना

160–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा डिबाई जिला बुलन्दशहर एवं देवरिया में स्वीकृत दाल मिल मशीनरी स्थापना कार्य उ0 प्र0 राज्य स्तरीय क्रय कमेटी के निर्णय के अनुसार उ0 प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 लखनऊ को जुलाई, 81 में पूर्ण करके समितियों को सौंप देना चाहिये था, जिसे निश्चित अवधि के अन्दर नहीं दिया जा सका ? यदि हां, तो उक्त दोनों मिलें जो अब तक नहीं चालू हो पायी हैं पर लगे ऋण के लाखों रुपये सूद को सरकार पूरा करा कर छोटी समितियों को हानि से बचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

उक्त दोनों मिलों में से देवरिया मिल चालू हो चुकी है। डिवाई स्थित मिल की स्थापना पूर्ण हो चुकी है किन्तु समिति द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त न कर सकने के कारण परीक्षण नहीं कराया जा सका। विद्युत कनेक्शन शीघ्र प्राप्त करने तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 को दे दिये गये हैं। यह सही नहीं है कि लाखों रुपयों का सूद इन समितियों को हानि के रूप में वहन करना पड़ा है क्योंकि मशीनरी स्थापना का कुल कार्य 1.22 लाख रुपया प्रति दाल मिल की दर से कराया जाना था जिसका भुगतान कार्य की प्रगति के आधार पर समितियों द्वारा किया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरसाना, जिला मथुरा का उच्चीकरण

161—श्री चन्दन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में बरसाना में एक तीस शैय्या का अस्पताल मंजूर था और उसको स्थानान्तरित करके दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता इनसे स्वयं मिला और उन्होंने आश्वासन दिया कि बरसाने में अस्पताल निश्चित ही शीघ्र बनेगा? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुयी?

श्री लोकपति—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की उच्चीकृत करने की योजना अब जिला सेक्टर की योजना हो गयी है, अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरसाना, जिला मथुरा को उच्चीकृत करने हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, मथुरा से प्रस्ताव मांगा गया है। उक्त आशय का प्रस्ताव तथा आवश्यक भूमि उपलब्ध होते ही उक्त केन्द्र को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोरखपुर में आवंटित लेवी सीमेन्ट

162—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में 1 अप्रैल, 1982 से लेकर 30 सितम्बर, 1982 तक जनपद को कुल कितनी लेवी सीमेन्ट की मात्रा आवंटित की गयी थी, उक्त आवंटित मात्रा में से लेवी के स्टाकिस्टों द्वारा सूचीवार कितनी-कितनी मात्रा में लेवी सीमेन्ट फैक्टरियों से उपर्युक्त अवधि में आयात की गयी?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद गोरखपुर को 1 अप्रैल, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक की अवधि में कुल 7,280 मी0 टन लेवी सीमेन्ट आवंटित की गयी थी तथा आवंटित मात्रा में से लेवी सीमेंट लाइसेंसियों द्वारा फैक्ट्रियों से आयात की गयी सीमेन्ट की मात्रा की लाइसेंस-वार सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 116-117 पर।)

163—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[दिनांक 3-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 79 द्वारा उत्तरित]।

एस0 बी0 डी0 महिला चिकित्सालय, सहारनपुर से वेतन की धनराशि की चोरी

164—श्री रामस्वरूप निम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 बी0 डी0 महिला चिकित्सालय, सहारनपुर के वेतन की चोरी बेग काटकर 10,000 रु. की हुयी थी ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों का वेतन था ? क्या इसकी सभी कार्यवाही पूरी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों वेतन दिया गया ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

बैंक से आहरित की गयी धनराशि रु0 46,922-25 पैसे चिकित्सालय के कर्मचारियों तथा चिकित्साधिकारियों का वेतन था ।

चोरी गयी धनराशि रु0 10,000 की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी । पुलिस ने जांच के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। संयुक्त निदेशक मेरठ मण्डल से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है ।

चोरी गयी धनराशि रु0 10,000 के कारण चिकित्साधिकरियों को अभी तक माह जुलाई, 1982 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रदेश के होम्योपैथिक विभाग में प्रथम श्रेणी के पद पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति की नियुक्ति

165—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के होम्योपैथिक विभाग में प्रथम श्रेणी के पद पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति इस समय नियुक्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त श्रेणी में नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में उपलब्ध पदों पर नियमानुसार विचार यथासमय ही सम्भव है ।

आरक्षण के आधार पर उप-निदेशक होम्योपैथिक एवं प्राचार्य नेशनल होम्यो मेडिकल कालेज लखनऊ के पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति की नियुक्ति

166—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप-निदेशक, होम्योपैथिक का पद एवं प्राचार्य पद नेशनल होम्यो मेडिकल कालेज, लखनऊ रिक्त है? यदि रिक्त है तो क्या उस पद पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 18 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर होम्योपैथिक विभाग में सेवारत व्यक्ति वरीयता के आधार पर नियुक्ति देगी ? और यदि नियुक्ति देगी तो कब तक ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

प्रश्नगत दोनों पदों का स्वरूप भिन्न-भिन्न है । इस प्रकार के एकल पदों को 18 प्रतिशत के आरक्षण के आधार पर भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत गांवों में टंकियों का निर्माण

167—श्री राज कुमार राय—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के ग्रामीण पेयजल योजना के अधीन गांवों में पेयजल हेतु अब टंकी का निर्माण बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पेयजल की उपयोगिता तथा आवश्यकता को देखते हुए उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में अलग से उसे चालू करने पर विचार करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं, जहां पर पाइप द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है वहां आवश्यकतानुसार टंकियों का निर्माण किया जा रहा है ।

नगर क्षेत्र समिति, बिल्थरा रोड, बलिया के कर्मचारियों का बकाया वेतन

168—श्री राज कुमार राय—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिल्थरा रोड, बलिया में कौन-कौन कर्मचारियों का कितने-कितने माह का (अलग-अलग) वेतन बाकी है ? क्या बकाया वेतन के भुगतान के बारे में जिलाधिकारी, बलिया ने शासन को कोई पत्र 1982 में प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो इतने समय से वेतन भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगर क्षेत्र समिति बिल्थरा रोड के कुल 59 कर्मचारियों का वेतन बकाया है, जिनका विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

नगर क्षेत्र समिति बिल्थरा रोड को अंशदान व क्षतिपूरक अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है । वेतन आदि भुगतान का दायित्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय का है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 118-119 पर।)

ग्रामीण दाइयों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव

169—श्री राजकुमार राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 6-4-83 इस आशय का कि ग्रामीण दाइयों की कठिनाइयों को देखते हुए उनका वेतन 50 रु0 माहवारी से बढ़ा दिया जाय, मिला था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री लोकपति—

माननीय सदस्य का दिनांक 6-4-83 का कोई पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। ग्रामीण दाइयों के वेतन में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

आजमगढ़ नगर में सड़क का निर्माण

170—श्री राजकुमार राय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ नगर के अन्दर गुलामीपुरा से डी0 ए0 वी0 स्कूल तथा रैदोपुर बन्धे से शहर के पश्चिमी भाग को मिलाने वाली

सड़क कितने दिनों से खराब है? इसे कौन विभाग बनवा रहा है और कब तक पूरी सड़क बन कर तैयार हो जायगी?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नगत सड़क चार पांच वर्षों से खराब थी। इसे संगठित विकास योजना के अन्तर्गत नगरपालिका बनवा रही है। कालीनगंज से डी0 ए0 वी0 स्कूल वाया रैदोपुर बांध सड़क में केवल सील कोट का कार्य रुका है जो रोड रोलर के उपलब्ध होने पर पूरा कर दिया जाएगा।

राजकीय चिकित्सालय, रसूलपुर जिला आजमगढ़ में अतिरिक्त शैय्याओं की व्यवस्था

171–श्री राजकुमार राय–

प्रथम सत्र 83 के तीसरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 136 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के रसूलपुर चिकित्सालय में उक्त शैय्याएं कब तक बढ़ा दी जायेंगी?

श्री लोकपति–

राजकीय चिकित्सालय रसूलपुर जिला आजमगढ़ में पांच अतिरिक्त शैय्याओं की व्यवस्था दिनांक 7-4-1983 को कर दी गयी है।

172–श्री प्रदीप कुमार यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

सहकारी समिति के कुर्क अमीन सैलरी एकाउन्ट का आडिट

173–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति के सदस्यों से वसूल होने वाले कनेक्शन चार्ज से बना हुआ कुर्क अमीन सैलरी एकाउन्ट का आडिट सहकारी लेखा परीक्षा संगठन से सम्पन्न कराया जाता है? यदि नहीं, तो आडिट न कराये जाने का आधार क्या है?

श्री बच्चा पाठक–

जनपदीय संग्रह कोष का आडिट क्षेत्रीय लेखाधिकारी तथा मण्डलीय संग्रह कोष का आडिट वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

बस्ती जिले की टाउन एरिया शोहरतगढ़ तथा बढ़नी में जल आपूर्ति हेतु नलकूपों का निर्माण

174–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले की टाउन एरिया कमेटी शोहरतगढ़ तथा बढ़नी में वाटर वर्क्स के लिए जो नलकूप बने हैं वह कब बने तथा उनके द्वारा जनता को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों तथा पानी कब तक देना प्रारम्भ कर दिया जायगा?

श्री राम सिंह खन्ना–

बस्ती जिले के टाउन एरिया शोहरतगढ़ नलकूप का निर्माण 1979 में किया गया है। अभी इस नलकूप से जनता को पानी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका कारण

यह है कि नलकूप के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य जैसे शीर्ष जलाशय, पाइप लाइन बिछाना आदि नहीं कराया जा सका है। पाइप लाइन डालकर पेयजल सुविधा मार्च, 1985 तक उपलब्ध करा दिये जाने की सम्भावना है।

बस्ती जिले के टाउन एरिया बढ़नी में नलकूप का निर्माण वर्ष 1979 में किया गया है। इसके द्वारा जनता को मार्च, 1983 से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

बस्ती जिले के राजकीय महिला चिकित्सालयों में डाक्टरों के रिक्त पद

175—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में राजकीय महिला चिकित्सालय कहां-कहां हैं तथा उनमें महिला डाक्टरों की व्यवस्था कब से नहीं है?

श्री लोकपति—

जी हां, बस्ती जिले में निम्नलिखित राजकीय महिला चिकित्सालय हैं जिसमें प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित समय से डाक्टरों के पद रिक्त हैं।

चिकित्सालय का नाम	कब से डाक्टर की व्यवस्था नहीं है।
1—जिला महिला अस्पताल, बस्ती	—
2—महिला अस्पताल, बांसी	दिसम्बर, 1980 से
3—महिला अस्पताल, खलीलाबाद	जून, 1982 से
4—महिला अस्पताल, मेहदावल	जुलाई, 1981 से
5—महिला अस्पताल, नौगढ़	सितम्बर, 1980 से
6—महिला अस्पताल, बभनान	जून, 1973 से
7—महिला अस्पताल, हरैया	वर्ष 1978 से

176—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 26-8-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-93 द्वारा उत्तरित]

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा के विरुद्ध सहकारी क्रय विक्रय समिति, खुर्जा के धन के गबन की रिपोर्ट

177—श्री छत्तर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिश्चन्द्र शर्मा के विरुद्ध धारा 409, 420 एवं 120—बी, आई0 पी0 सी0 के तहत थाना खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 14-9-77 को सहकारी क्रय-विक्रय समिति, खुर्जा के धन के गबन करने की रिपोर्ट लिखायी गयी थी? यदि हां, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विभागीय कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

श्री रामबूझ त्रिपाठी, स्वच्छता निरीक्षक, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

178—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामरेखा त्रिपाठी, भू0पू0 उप ब्लाक प्रमुख क्षेत्र समिति सरदार नगर, गोरखपुर ने दिनांक 28-1-82 को मंत्री जी को स्वच्छता निरीक्षक श्री रामबूझ त्रिपाठी के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितता के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

जी हां। मामले की जांच संयुक्त निदेशक, गोरखपुर से करायी जा रही है।

जिला हरदोई की नियोजन समिति द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना एवं उच्चीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव तथा उसमें की गयी कटौती का औचित्य

179—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला हरदोई की जिला योजना में वर्ष 1982-83 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के लिये नियोजन समिति ने 20 लाख 7 हजार की योजना स्वीकार की है, जिसमें क्रमशः 14 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 4 लाख 20 हजार रुपया एवं 8 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना के लिए एवं कुछ चल रहे आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण के लिए 9 लाख 60 हजार रुपये की व्यवस्था की थी?

श्री लोकपति—

जी नहीं, उक्त जिला योजना कुल रु0 25 लाख 7 हजार की थी। इस परिव्यय में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के स्थापना एवं उच्चीकरण के लिये केवल 9 लाख 70 हजार रुपये तथा होम्योपैथी के लिये 4 लाख 20 हजार की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी।

180—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या यह सही है कि नियोजन समिति के द्वारा निदेशालय, एलोपैथिक को योजना भेजने के उपरान्त निदेशक, एलोपैथिक ने 14 होम्योपैथिक अस्पतालों को काटकर केवल 3 होम्योपैथिक अस्पतालों की स्थापना के लिए मात्र 72 हजार एवं 8 आयुर्वेदिक अस्पतालों के स्थानों पर केवल 2 एवं उनके लिये 80 हजार रु0 का प्राविधान कर जिला स्तर पर भेज दिया, जबकि नियोजन समिति द्वारा योजना को मंगाए एवं दिए जाने के उपरान्त उसमें संशोधन करने का उनको कोई अधिकार नहीं था? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या औचित्य है?

श्री लोकपति—

जी नहीं। उक्त परिवर्तन शासन स्तरीय समिति द्वारा किये गये थे जिसके अन्तर्गत होम्योपैथिक अस्पताल की स्थापना के लिये 78 हजार तथा आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना के लिये 80 हजार रुपये का प्राविधान किया गया।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नगर महापालिका क्षेत्र वाराणसी में घोषित अतिरिक्त भूमि में अनियमित छूट

181–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत नगर महापालिका क्षेत्र, वाराणसी में सीलिंग विभाग ने नदेसर पैलेस, मिंट हाउस शीश महल भेलूपुर, विजयानगरम पैलेस भेलूपुर, विंध्या कालोनी पीटर के बंगला अर्दली बाजार, पुरानी सप्लाई आफिस क्षेत्र नदेसर तथा दीप हाउसिंग सोसाइटी पहाड़िया वाराणसी को अनियमित तरीके से सीलिंग विभाग, वाराणसी ने जमीन छोड़ा है और उसका दुरुपयोग हुआ है? इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने हेतु सरकार विचार करेगी?

श्री राम सिंह खन्ना–

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत नगर महापालिका क्षेत्र, वाराणसी में नदेसर पैलेस, मिंट हाउस, शीश महल में स्थित भूतपूर्व काशीनरेश व उनके परिवार तथा संस्था को भूमि तथा महाराज विजयानगरम की भूमि जो भेलूपुर में स्थित है, अतिरिक्त घोषित की गयी है, जिसमें से भूतपूर्व काशी नरेश व उनके परिवार तथा संस्था की अतिरिक्त घोषित रिक्त भूमि पर धारा 21(1) के अन्तर्गत समाज के दुर्बल वर्ग हेतु आवास निर्माण के लिये कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन छूट दी गयी है। महाराज विजयानगरम को कोई छूट प्रदान नहीं की गयी है। पीटर हाउस अर्दली बाजार एवं पुराना सप्लाई आफिस क्षेत्र नदेसर तथा दीप हाउसिंग सोसाइटी पहाड़िया, वाराणसी को अधिनियम के अन्तर्गत कोई छूट नहीं दी गयी है। जो छूट दी गयी है उसमें शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।

नगर पालिका बिलग्राम, जिला हरदोई में नलकूपों का निर्माण

182–श्री हरीशंकर–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित पेयजल योजना के अन्तर्गत नगर पालिका बिलग्राम, हरदोई के नलकूपों का निर्माण किस तिथि को पूर्ण हो गया तथा किस तिथि को पंजीकृत किये गए ?

श्री राम सिंह खन्ना–

नगरपालिका बिलग्राम, जिला हरदोई की पेयजल योजना के अन्तर्गत एक नलकूप के निर्माण का कार्य जून, 1981 एवं दूसरे नलकूप के निर्माण का कार्य मार्च, 1983 में पूर्ण हो गया है। इनमें से एक नलकूप को 6 जुलाई, 1983 को ऊर्जाकृत किया गया। दूसरे नलकूप पर पम्प संयंत्र लगाने एवं उसके पश्चात् ऊर्जाकृत करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक के रिक्त पद पर नियुक्ति

183–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के प्रबन्ध निदेशक की रिक्त जगह पर नियुक्ति कब तक कर दी जायगी?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नगत मामले में नियुक्ति कर दी गई है।

184–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 128 व 129 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के प्रबन्ध निदेशक के स्टेट्यूटरी पद पर नियुक्ति किस आधार पर की गयी, जो अधिकारी उस गलत नियुक्ति के दोषी हैं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 4(2)(क) के अधीन निहित प्राविधानों के आधार पर प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति के अनुसार शासन द्वारा की गई। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल निगम के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति पर रोक एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही

185–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 129 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति रोकी गयी थी, क्या उनसे उनके अनियमितताओं के बारे में जिसकी वजह से उनकी पदोन्नति नहीं हो पाई थी, स्पष्टीकरण लिया गया था ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया था ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां, वर्ष 1979 में जिन सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति रोकी गई थी, उनमें से एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु उनसे अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त सहायक अभियन्ता को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया है और पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है।

दूसरे सहायक अभियन्ता, जिनको प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर दोषी पाया गया था, के विरुद्ध आरोप पत्र देकर नियमित विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जा चुका था, परन्तु सम्बन्धित कार्य के ठेकेदार द्वारा विवाचन में चले जाने के कारण विभागीय कार्यवाही वर्तमान में स्थगित है।

ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां, जनपद देवरिया में साधन सहकारी समिति का उपकेन्द्र खोलने की मांग

186–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 124 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री प्रश्नकर्ता की इन बातों को सही मानते हुए कि ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां बेलवा बाजार, रामपुर हिरामन व पिपरा मदन गोपाल के बीच में कोई ग्राम स्थित नहीं है और सभी ग्राम चारों कोनों पर स्थित हैं तथा पिपरामदन गोपाल कोई एक ग्राम नहीं बल्कि 14 टोली की बस्ती है को देखते हुए मुख्य सड़क व ब्लाक मुख्यालय

से निकट स्थित ग्राम देवरिया बुद्धू खां में उपकेन्द्र चलाने के लिए आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

ग्राम सभा पिपरा मदन गोपाल ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां, रामपुर हिरामन व बेलवा बाजार के बीच में स्थित है।

उप केन्द्र पिपरा खास (पिपरा मदन गोपाल) के पूर्व उत्तर में रामपुर हिरामन 1.5 कि0 मी0, दक्षिण पूर्व में देवरिया बुद्धू खां 2.0 कि0 मी0 और पश्चिम-उत्तर में बेलवा ग्राम सभा 2.0 कि0 मी0 पर स्थित है।

पिपरा मदन गोपाल 14 टोली की बस्ती अवश्य है परन्तु एक दूसरे से दूरी नगण्य है और इसकी आबादी 3415 है।

जी नहीं।

क्योंकि ग्राम सभा पिपरा मदन गोपाल के पिपरा खास में जोकि सभी गांवों के मध्य में है एक उपकेन्द्र कार्यरत है।

उत्तर प्रदेश जल निगम की गोरखपुर व आजमगढ़ में कार्यरत यांत्रिकीय शाखा द्वारा लगाये गये नलकूपों की टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच की मांग

187–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि प्रश्नोत्तर में दर्शाए गये सभी नलकूपों में दस फुट नीचे नौतनवा पी0 ग्रेविल डाली गई है और जांच के पहले उक्त नलकूपों के ऊपरी हिस्से में नौतनवा की पी0 ग्रेविल निकाल कर लालकुआं की पी0 ग्रेविल भर दी गयी है? यदि हां, तो जांच की कार्यवाही जनहित में टेक्निकल आडिट सेल से कराई जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नगत नलकूपों के सम्बन्ध में पूर्वकाल में की गई जांच से ऐसा कोई आधार व साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है जिससे यह कहा जा सके कि नलकूपों से ऊपर की पी0 ग्रेविल बदल दी गयी हो। दस फुट नीचे की गहराई की पी0 ग्रेविल की जांच कराने में निर्मित कार्यों को क्षतिग्रस्त किये बिना ऐसा कराना सम्भव न होगा।

अतः टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराने की कार्यवाही विचाराधीन है।

जल निगम, लखनऊ के मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध जांच

188–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 133 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध जांच का जो मामला विचाराधीन है उसकी जांच किसके द्वारा कराने के आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिए जायेंगे व जांच की कार्यवाही कितने दिनों में समाप्त कर उस पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना–

मुख्य अभियन्ता (निर्माण) के विरुद्ध विभागीय जांच करने के आदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम को दे दिये गये हैं, क्योंकि जल निगम में मुख्य अभियन्ता के

नियुक्ति अधिकारी वही हैं । जांच कार्यवाही यथाशीघ्र समाप्त कर निर्णय ले लिया जायेगा ।

अस्थायी निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

189—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टेंडर न निकाल कर लाखों का सामान खरीदने वाले दोषी अधिकारियों, जिन्हें प्रारम्भिक जांच में दोषी पाया गया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही कब तक कर दी जायगी ? यदि कार्यवाही पर विचार हेतु कोई समिति गठित की गयी है तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं और समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश किये जा चुके हैं । अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण होने की आशा है । कार्यवाही पर विचार हेतु कोई समिति गठित नहीं की गई है ।

साधन सहकारी समिति लि0 धमऊर, जिला देवरिया द्वारा चीनी, मिट्टी का तेल तथा कपड़ा आदि का अनियमित वितरण

190—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 132 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारित्ता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित सहकारी समिति में मार्च, 82 से फरवरी, 83 तक हर माह में अलग-अलग कुल कितनी चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा बांटा गया है ? यदि हर माह में उक्त पदार्थों का वितरण नहीं किया गया तो क्यों ? इसके लिए दोषी कौन-कौन लोग हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

साधन सहकारी समिति लि0, धमऊर द्वारा मार्च, 82 से फरवरी, 83 तक कुल 289—18--500 कुन्तल चीनी, 15,890 लीटर मिट्टी का तेल तथा रुपए 31,182·24 पैसे मूल्य का नियंत्रित एवं अनियंत्रित कपड़ा वितरित किया गया है। जिसका माहवार विवरण संलग्न† है ।

केवल माह मार्च, 1982, जुलाई ,1982 एवं अगस्त, 1982 में मिट्टी के तेल का वितरण नहीं किया गया क्योंकि उक्त माहों में आवंटन के बावजूद समिति को मिट्टी का तेल प्राप्त नहीं हुआ । इसके लिए समिति का कोई कर्मचारी दोषी नहीं है ।

191—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से नियमित वितरण धमऊर साधन सहकारी समिति, देवरिया में नहीं किया जाता है?

श्री बच्चा पाठक—

साधन सहकारी समिति लि0 धमऊर में केवल मिट्टी के तेल का वितरण

†छापी नहीं गयी ।

नियमित रूप से नहीं किया जा सका क्योंकि समिति को आवंटन के बावजूद नियमित आपूर्ति नहीं हुई ।

192—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

193-194—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[दूसरे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—201-202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला देवरिया की साधन सहकारी समितियों में सेल्समैनों के चयन की प्रक्रिया तथा उसका निरसन एवं नियम

195—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 124 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में विभिन्न साधन सहकारी समितियों में सेल्समैनों के संभावित पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए कौन सी प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी तथा चयन कमेटी में कौन-कौन से लोग सम्मिलित थे ?

श्री बच्चा पाठक—

जिला देवरिया में साधन सहकारी समितियों में सेल्समैन नियुक्त करने हेतु संलग्न निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गयी थी ।

चयन कमेटी में निम्नलिखित सदस्य थे:—

जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अतिरिक्त जिलाधिकारी	अध्यक्ष
जिला सहायक निबंधक	संयोजक
सचिव, जनता केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, देवरिया	सदस्य
सचिव, जनता केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, देवरिया	सदस्य
सचिव, जिला सहकारी बैंक, देवरिया	सदस्य

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 120 पर ।)

196—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सेल्समैनों के चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया चयन के उपरान्त किस अधिकारी के आदेश से क्यों निरस्त की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

चयन की प्रक्रिया निरस्त नहीं की गयी थी वरन् अपूर्ण होने के कारण किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गयी ।

197—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 125 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में सेल्समैनों की नियुक्ति सीधे भर्ती से की जायेगी या चयन कमेटी के माध्यम से तथा उन पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग ने क्या नियम बनाए हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

जब पदों पर सेल्समैन के पद पर नियुक्ति हेतु प्रथम सत्र 1983 के पहले गुरुवार

को उत्तरित प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 126 के उत्तर में उल्लिखित योग्यतायें रखने वाले अभ्यर्थियों को संलग्न प्रक्रियानुसार चयनित किया जाता है।

जल निगम के अधिकारियों के विरुद्ध जांच एवं कृत कार्यवाही

198—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 148 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित मामलों की जो प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट जल निगम मुख्यालय पर प्राप्त हो गयी है वह पूरी जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर जल निगम द्वारा कब तक विचार कर निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

संबंधित मामलों में कराई गई प्रारम्भिक जांच के अनुसार एक अधिकारी के विरुद्ध सामग्री क्रय करने में की गई अनियमितताओं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों—कर्मचारियों पर समुचित अनुशासन व नियंत्रण न रखने तथा निजी कार्यों हेतु विभागीय वाहन के दुरुपयोग में एवं एक अन्य अधिकारी के विरुद्ध सामग्री क्रय करने में की गई अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं। जांच रिपोर्ट पर विचारोपरान्त उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

199—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जल निगम का बीस प्रतिशत कार्य विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं को सौंपना

200—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 152 के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समिति की इस संस्तुति को कि जल निगम का 20 प्रतिशत काम विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं के चार्ज दिया जाय शासन ने किन-किन मुद्दों पर गौर करके निर्माण कार्यों का ही 20 प्रतिशत कार्य उन्हें दिया था ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

विद्युत/यांत्रिक कार्य मुख्यतः निर्माण प्रकृति के होने के कारण केवल निर्माण कार्यों का 20 प्रतिशत कार्य विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं को दिया जा रहा है। सर्वेक्षण, अन्वेषण, नियोजन तथा डिजाइन के कार्यों में विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं का योगदान बहुत ही कम होता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 व 24 के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नों के बारे में मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या 23 व 24 की ओर दिलाना चाहता हूं। यह अतारांकित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत संक्षेप में कहें।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, मैं संक्षेप में कह रहा हूं । प्रश्न संख्या 23 में मैंने यह पूछा था कि डा0 भुवन चन्द्र पाठक की सेवाओं के बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है। तो स्वास्थ्य मन्त्री जी ने, अब तक हम सुनते थे कि डाक्टर लोग फिकर नाट की गोली लेकर पड़े रहते हैं, लेकिन अब पूरा विभाग फिकर नाट की गोली लेकर सोया पड़ा है, जवाब दिया है । मुक्ति चन्द्र पाठक के बारे में जो मैंने नहीं पूछा था । इसको ठीक करवाने की कृपा करें । दूसरे प्रश्न संख्या 24 के बारे में जो सहकारिता मन्त्री जी से सम्बन्धित था, मैंने पूछा था कि इस जीप से किन किन तिथियों में यात्रायें की हैं और किस प्रयोजन से की हैं तथा कितने किमी0 यात्रायें की हैं । माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि जिला सहकारी बैंक के प्रशासक होने के नाते 4096 कि0 मी0 की यात्रा की । जिला सहकारी बैंक का प्रशासक होना तो कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है । फिर जवाब में कहा गया है कि पूरा विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है। यह सूचना पूरे सदन को दी जानी चाहिये और माननीय मन्त्री जी से कार्यालय में देखने हेतु मेरी स्वीकृति नहीं ली गयी है । तो आपका संरक्षण मैं चाहता हूं ।

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, समय समाप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है, वह देखा लेंगे । आप कृपया बैठें ।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 अगस्त, 1983 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 1 सितम्बर, 1983 को निधन के निर्देश के उपरान्त सदन का उपवेशन स्थगित कर दिया जाय और तत्पश्चात् सदन का दिनांक 2 सितम्बर, 1983 से 6 सितम्बर, 1983 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :–

सितम्बर, 1983 2 शुक्रवार	
(3-30 बजे अपराह्न तक)	1–असरकारी कार्य
(3-30 बजे अपराह्न से)	1–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण 10 मिनट ।
	2–उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिवेध) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण । आधा घण्टा ।

3–शनिवार	
4–रविवार	बैठक नहीं होगी
5–सोमवार	1–संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण––एक घण्टा ।
	2–उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा ।
	3–उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 पर विचार एवं उनका पारण––अपराह्न 5-00 बजे तक ।
	4–(अपराह्न 5 बजे) वित्तीय वर्ष 1983-84 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों एवं (2) वित्तीय वर्ष 1979-80 के अतिरिक्त अनुदानों के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रदेश में प्रचलित बंधुवा मजदूरी की प्रथा समाप्त न होने तथा शासन द्वारा निर्धारित खेत मजदूरों की दैनिक मजदूरी दरों को लागू करने की मांग पर मजदूरों के प्रति जुल्म तथा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं के सम्बन्ध में श्री भीखा लाल द्वारा अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।
6–मंगलवार (5 बजे अपराह्न तक)	1–वित्तीय वर्ष 1983–84 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।
	2–वित्तीय वर्ष 1979–80 के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।
(5 बजे अपराह्न से)	प्रदेश के गन्ना काश्तकारों की चीनी मिलों पर बकाया भारी रकम की अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अभिसूचित सूचना पर डेढ़ घण्टे की चर्चा ।

कृषि राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत हूं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

विधान सभा सदस्य, श्री दलगंजन सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष जी, हमें अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सदन के सदस्य श्री दलगंजन सिंह का देहान्त 10 मई, 83 को हृदय-गति रुक जाने से हो गया । यह एक नौजवान व्यक्ति थे । 45 वर्ष की अल्प आयु में इनका देहान्त हुआ । यह लोकदल के टिकट से माधवपुर क्षेत्र से जालौन जिले से चुनकर आये थे और इसके पहले भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहे थे । यह जिला सहकारी बैंक के संचालक एवं उरई नगरपालिका के चेयरमैन और अन्य संस्थाओं से सम्बद्ध रहे और राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेता के रूप में बराबर संघर्ष करते रहे और बार-बार जेल जाते रहे । वह बहुत ही जागरूक कार्यकर्ता थे । हमने यहां भी उनके कार्य और उनके क्षेत्र की चिन्ता को बराबर देखा है। ऐसे जागरूक सदस्य के निधन से, जिसकी आयु इतनी कम रही हो और जिसके जीवन का सेवा काल बाकी था, हम लोग दुखी हैं । हम अपने दुख को अपने और अपनी पार्टी की तरफ से आपके माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचाने की प्रार्थना करते हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय दलगंजन सिंह के निधन के सम्बन्ध में संवेदना के जो भाव नेता सदन ने व्यक्त किये हैं । मैं व मेरा दल अपने को उससे सम्बद्ध करता है । मान्यवर, दलगंजन सिंह मेरे दल से सम्बन्धित थे और पहली बार इस माननीय सदन के सदस्य चुनकर आये थे ।

इससे पूर्व वह उरई म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रहे । मान्यवर, वह जनता के लिये समर्पित थे । उन्होंने एल.एल.बी. पास किया था । वकालत भी वह करते थे । काफी अच्छे वकील वह थे । मुझे उस समय का एक किस्सा याद आ रहा है, जो मुझे एक साहब ने बताया था। जब उरई म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे, तो वहां के अधिकारियों ने एक दिन जनता की कालोनी का पानी का कनेक्शन नान-पेमेन्ट के आधार पर काट दिया । मान्यवर, वह चेयरमैन, बनियान पहने ही सड़क पर आ गये थे। उन्होंने आफिशियल कालोनी का कनेक्शन कटवा दिया क्योंकि डिपार्टमेन्ट का पेमेंट भी काफी डिले से होता था । लास्ट में यह फैसला हुआ कि पहले जनता का पानी का कनेक्शन जोड़ा गया। तब आफिशियल कालोनी का कनेक्शन जोड़ा गया मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कम्पैरीजन करने की कोशिश की । लेकिन उन्होंने महसूस किया कि पानी जनता की अत्यन्त आवश्यक वस्तु है उसका रुक जाना बहुत कष्टदायक होता है । उन्होंने पानी अविलम्ब जनता को सुलभ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करा दिया । सदन में उनकी कार्य प्रणाली को देखने का हमको मौका मिला । चाहे बुन्देलखण्ड का कोई प्रश्न रहा हो चाहे वह सूखे से सम्बन्धित रहा हो, चाहे वहां के नियोजन से सम्बन्धित रहा हो उस पर उन्होंने इस सदन में चर्चा की । मान्यवर, वह हमारे उत्तर प्रदेश युवा लोकदल के अध्यक्ष भी थे । मान्यवर, उनके निधन से निश्चित रूप से जालौन जनपद ने ही नहीं हमारे दल ने भी एक बहुत बड़ा कर्मठ नेता एवं निष्ठावान, समाजसेवी राजनीतिज्ञ को खोया है । मैं अनुभव करता हूं जब तक हमारा सदन रहेगा, वर्तमान समय में हमारा दल उनकी पूर्ति नहीं कर पायगा ।

मान्यवर, वह गरीब परिवार से आये थे । उन्होंने अपने पीछे एक विधवा को छोड़ा है वह निःसंतान थे । कठिन परिस्थितियों के आने के बावजूद भी उन्होंने अपने ईमान को, अपने कर्तव्य को, अपने चरित्र को बहुत ऊंचे ढंग से प्रदर्शित किया । मान्यवर, उनके निधन से हमारे दल को बड़ा आघात पहुंचा । उनके प्रति मैं और मेरा दल भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है । आपसे निवेदन है कि शोक संवेदना के यह शब्द आप उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने, जो स्वर्गीय दलगंजन सिंह जी के प्रति जो उद्गार व्यक्त किये हैं, उसमें अपने और अपने दल को पूरी तरह सम्बद्ध करता हूं—

फूल तो दो दिन बहारे जां फिजा दिखला गये,
हसरत उन गुलों पे है, जो बिन खिले मुरझा गये ।

माननीय दलगंजन सिंह लगभग 45 साल की उम्र में चले गये । इस उम्र में तो आदमी इस काबिल होता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और सामने आ सके और हालात का मुकाबला कर सके । स्वर्गीय दलगंजन सिंह जी ने कम उम्र से ही हालात का मुकाबला करना शुरू कर दिया था ।

उन्होंने हर तरह का दुख बर्दाश्त किया और हर मुश्किल का मुकाबला किया। मैं 30 साल के अरसे से श्री दलगंजन सिंह के साथ रहा, उन्हें एम0 एल0 ए0 की हैसियत से देखा । वे हर तरह के हालात का पूरी तरह से मुकाबला करते थे । उन्होंने किसी गलत बात के साथ समझौता नहीं किया । उन्होंने जहां भी गलत बात देखी, जो भी चीज गलत देखी, उसको ठीक करते रहे । उन्होंने हमेशा जनता की सेवा करना चाहा । वे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे। उनके निधन से इस सदन की बहुत क्षति हुयी है। श्री दलगंजन सिंह बहुत अरसे तक याद आते रहेंगे । जिस बहादुरी के साथ वे सदन में बोला करते थे, जैसे निडर होकर बात करते थे, मैं समझता हूं कि बहुत अरसे तक उनकी जगह की पूर्ति नहीं हो सकेगी । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके परिवार को हमारी संवेदनायें भेजने का कष्ट करें । मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी स्वर्गीय श्री दलगंजन सिंह के सम्बन्ध में नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता लोकतांत्रिक समाजवादी दल ने अपने विचार प्रकट किये । मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री दलगंजन सिंह के रूप में हमारे बीच से एक बहादुर सामाजिक कार्यकर्ता, सेवा समर्पित व्यक्ति हमेशा के लिये चला गया । मान्यवर, मैं उनके जनपद में गया था, मैंने स्वयं देखा कि उनके जनपद में ही नहीं, पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र को उनके निधन से बहुत क्षति हुयी है। उनके निधन से हमारे प्रदेश के यूथ कार्यक्रम को काफी धक्का लगा है, उन्होंने लोकदल की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में कार्य को आगे बढ़ाया था। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी और अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरी सम्वेदना उनके परिवार को पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं अपनी ओर से तथा जनता पार्टी की ओर से स्वर्गीय श्री दलगंजन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने उनके सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन् स्वर्गीय दलगंजन सिंह ने चूंकि डा0 राम मनोहर लोहिया से राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की थी, इसी वजह से उनके विचार हर वक्त उनके दिमाग में जमा रहते थे, चाहे वह सदन के बाहर हों या सदन के अन्दर । उनके कार्य न हम भूल सकेंगे, न आप भूल सकेंगे और न नेता सदन भूल सकेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमारी सम्वेदना उनके परिवार को भेजने का कष्ट करें ।

श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय दलगंजन सिंह के निधन के सम्बन्ध में मा0 नेता सदन, मा0 नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। थोड़े से कार्यकाल में इस सदन में श्री दलगंजन सिंह के साथ रहकर के यह अनुभव हुआ कि जनता की समस्याओं के प्रति उनमें तड़प थी और उसके लिये वह इस सदन के अन्दर तथा बाहर हमेशा संघर्ष करते रहे । उनके निधन से इस सदन में एक रिक्तता पैदा हुई है तथा इस सदन को भी क्षति हुयी है। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने बताया कि वे अपने पीछे एक विधवा को छोड़ गये हैं, वे इस सदन में एक गरीब परिवार से आये थे, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय श्री दलगंजन सिंह की आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे और मेरे दल के ये विचार उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, मैं भी स्वर्गीय श्री दलगंजन सिंह जी के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें पार्टी का नाम छपा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपका नाम कहां छपा है, इस समय मैं आपको आज्ञा देता हूं किन्तु भविष्य में इसका ध्यान रखना ।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, यदि आपकी इजाजत न हो तो मैं बैठ जाऊंगा । मान्यवर, जब इस प्रकार की संकटकालीन अवस्था हो, एक समाजसेवी तथा निष्ठावान कार्यकर्ता के निधन से, निश्चय ही समाज को एक भारी क्षति हुयी है । स्वर्गीय श्री दलगंजन सिंह जी समाजवादी विचार धारा के पक्के कार्यकर्ता थे । मुझे भी उनके साथ बैठने का मौका मिला है, वे हमेशा साहसी विचारधारा रखते थे और गरीबों की समस्याओं को निपटाने हेतु हमेशा लड़ते थे । इस प्रकार मान्यवर, जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनके साथ मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे ये उद्गार उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

जैसा कि माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेताओं ने अपने शोकोद्गार स्वर्गीय श्री दलगंजन सिंह जी के लिये व्यक्त किये हैं, मैं भी अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं ।

जहां तक स्वर्गीय श्री दलगंजन सिंह जी का सम्बन्ध है, उनके बारे में इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, कि वे बुन्देलखण्ड की समस्याओं को लेकर के, या जो उनके विचार में आता था कि यह काम गलत हो रहा है, उसके खिलाफ वह लड़ते थे, किन्तु उनकी अचानक मृत्यु हो गयी । अगर, हम उनके राजनैतिक जीवन को देखें तो वे समाजवादी विचारधारा के थे और अब तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। जिन कार्यों को उन्होंने किया है, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता और सदन उनको हमेशा याद रखेगा । एक ऐसा आदमी जो प्रगतिशील विचारधारा का हो, जो गरीबों की भलाई करने के लिये हमेशा तत्पर रहता हो, जो समस्याओं को निपटाने के लिये तत्पर रहता हो, ऐसे व्यक्ति के निधन पर निश्चय ही दुख होता है । माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आप सभी लोगों की भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । सभी सदस्य दो मिनट के लिये मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए) ।

भूतपूर्व सदस्य श्री जंग बहादुर विष्ट, श्री शुगन चन्द्र, श्री जगत नारायण श्रीवास्तव, श्री इन्द्र लाल, श्री आदिराम सिंघल, श्री गोविन्द नारायण तिवारी, श्री घासी राम जाटव, श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवरि एवं भूतपूर्व मंत्री श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय तथा लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हुकुम सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह दुख का विषय है कि हमारे सदन के कई माननीय सदस्यों का निधन इस बीच हुआ । स्वर्गीय श्री जंग बहादुर विष्ट जी का निधन 12 मार्च,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपति मिश्र]

1983 को 83 वर्ष की आयु में हो गया । यह आजादी के पहले भी एम0 एल0 सी0 होकर सदस्य रह चुके थे यहां के । इसके पश्चात् 1957 में अल्पावधि के लिये यह विधान सभा के सदस्य बने, तत्पश्चात् 1957 से 1967 तक कांग्रेस के टिकट से लोक सभा के सदस्य रहे ।

श्री शुगन चन्द्र जी का 8 अप्रैल, 1983 को 73 वर्ष की आयु में देहान्त हो गया । यह 1952 में इस सम्मानित सदन के सदस्य हुए और 1957 तक यहां के सदस्य रहे । 1958 में विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए । स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में इन्होंने कई बार भाग लिया यह निरन्तर जनता की सेवा के कार्यों में संलग्न रहे ।

श्री जगत नारायण श्रीवास्तव जी का 30 अप्रैल, 1983 को 73 वर्ष की आयु में बाराबंकी में निधन हो गया। आप 1952 से 1957 तक इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे । स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

श्री इन्द्र लाल जी का 29 अप्रैल, 1983 को 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया । आप पहली बार 1967 में हल्द्वानी क्षेत्र से इस सम्मानित सदन के सदस्य चुने गये थे । स्व0 श्री इन्द्र लाल जी राजनीतिक कार्यकर्ता और जनता के हितों के लिये लड़ने वाले एक बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, बराबर लड़ाई में संलग्न रहे ।

श्री आदिराम सिंघल जी का 16 मई, 1983 को 85 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया । यह आगरा के रहने वाले थे । 1957 में प्रथम बार आगरा सिटी से इस सम्मानित सदन में सदस्य हुए थे और 1962 तक रहे । यह 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल गये थे, बार-बार आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेते रहे और निरन्तर समाज-सेवी कार्यों में संलग्न रहे ।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी का 16 जून, 1983 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया । यह जालौन के निवासी थे । यह दो बार विधान सभा में सदस्य होकर आये । प्रथम बार 1957 में समाजवादी दल के सदस्य के रूप में और 1967 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आये । यह निरन्तर जन सेवा में संलग्न रहे और उसमें कार्य करते रहे ।

माननीय श्री घासी राम जाटव जी का 13 जुलाई, 1983 को 70 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया है । आप इटावा में जन्मे थे । यह 1952 में प्रथम बार इस सम्मानित सदन में आये और ईमानदारी, सच्चरित्रता और समाज सेवा के बूते पर तीन बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए ।

श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवरी जी का 16 जुलाई, 1983 को लगभग 85 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया । यह 1937 में प्रथम बार विजयी होकर सदन में आयी थीं और 1945 तक सदस्य रहीं । गांधी विचारधारा से प्रेरित होकर इन्होंने लखनऊ महिला संघ और अवध महिला क्लब के माध्यम से बराबर स्त्रियों की समस्याओं के संबंध में विशेष कार्य किये ।

माननीय मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी का 26 जून, 1983 को लगभग 85 वर्ष की आयु में देहान्त हुआ। यह प्रतापगढ़ जनपद के निवासी थे। यह गांधीवादी विचार-धारा के थे । इन्होंने अनेकों शिक्षण संस्थाओं को चलाया और एक आदर्श नेता के रूप में काफी दिनों तक उभरे रहे ।

माननीय हुकुम सिंह जी, भू0 पू0 लोक सभा अध्यक्ष, का 27 मई, 1983 को 88 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। 30 अगस्त, 1895 को पंजाब में जन्मे। श्री सिंह पहली बार 1952 में लोक सभा के सदस्य हुए और उसके बाद कई बार लोक सभा के सदस्य चुने गये और सम्मानित लोक सभा के अध्यक्ष एवं 1967 में राजस्थान के राज्यपाल पद पर नियुक्त हुए।

मान्यवर, इन अपने सभी सहयोगी साथियों के प्रति, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, जिन्होंने देश के राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता के रूप में भाग लिया और हमारे देश की समस्याओं को हल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके प्रति हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

यह ऐसे लोग थे, जिन्होंने देश की और जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी और अपने लिये कम सोचकर देश और जनता के लिये सोचा। ये अनुकरणीय लोग हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी ये भावनायें उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस माननीय सदन के 8 भूतपूर्व सदस्यों–स्वर्गीय श्री जंग बहादुर सिंह विष्ट, श्री शुगन चन्द, श्री जगत नारायण श्रीवास्तव, श्री इन्द्र लाल, श्री आदिराम सिंघल, श्री गोविन्द नारायण तिवारी, श्री घासी राम जाटव, श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवरि के सम्बन्ध में तथा भूतपूर्व मन्त्रि परिषद के सदस्य स्वर्गीय श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय एवं लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री हुकुम सिंह जी के निधन के सम्बन्ध में नेता, सदन ने जो संवेदना के भाव व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल भी अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

श्री बिष्ट की प्रारम्भिक शिक्षा विदेश में हुई थी। वैसे राजनीति में, स्वतंत्रता के आंदोलन से विष्ट साहब का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उस समय वे अंग्रेजों की मदद में थे और उसी के बदले में उनको राय साहब की उपाधि भी मिली और एम0एल0सी0 भी रहे। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के टिकट पर 1957 में मा0 सदन के सदस्य चुनकर आये। विष्ट साहब एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे अल्मोड़ा क्षेत्र के, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके निधन से निश्चित रूप से अल्मोड़ा जनपद को हानि हुई है।

श्री शुगन चन्द जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक योद्धा थे। उन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने आपको अनेकों बार जेल भेजा। जब भी "असहयोग आन्दोलन" हुआ या "भारत छोड़ो" आन्दोलन हुआ, उसमें सभी में वे जेल गये। वे सन् 30, 32, 40 और 42 में जेल गये। यही नहीं, जब देश आजाद हो गया और इस देश में अपनी ही सरकार थी तो सन् 75 में जब देश की सरकार अपने ही देश में आपात स्थिति के रूप में एक काला कानून लायी, तो इन्होंने उसका प्रतिवाद किया और डी0 आई0 आर0

[श्री राजेन्द्र सिंह]

में वे निरुद्ध रहे । भूदान, श्रमदान और ग्रामोद्योग के कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। उनके निधन से देश ने निश्चित रूप से एक महान स्वतंत्रता संग्राम योद्धा, एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा एक समाजसेवी खोया है ।

श्री जगत नारायण श्रीवास्तव का भी स्वतंत्रता आंदोलन से सम्बन्ध रहा था । यह वह पीढ़ी है, जो धीरे-धीरे हमारे बीच से उठती चली जा रही है । यह भी "भारत छोड़ो" आन्दोलन के तहत जेल गये थे । उनके निधन से हमने एक समाजसेवी और कर्मठ राजनीतिज्ञ खोया है ।

स्वर्गीय श्री इन्द्र लाल जी अनुसूचित जाति के थे । इन्हें राजनीति विरासत में अपने पिता से मिली थी । इनके पिता स्व0 श्री खुशी राम जी भी इस माननीय सदन के सदस्य रहे। श्रीमन्, यह सन् 1967, 69 और 74 में इस माननीय सदन में सदस्य के रूप में चुनकर आए और तीन बार एक ही जनपद से सदस्य के रूप में चुनकर आना इस बात का द्योतक है कि वह जनता के कितने निकट थे और जनता की उनके प्रति क्या भावना थी। इनके निधन से एक अनुसूचित जाति के कर्मठ राजनीतिक और समाजसेवी को इस प्रदेश ने खोया ।

श्री आदि राम सिंघल सन् 1957 में इस माननीय सदन में सदस्य के रूप में चुनकर आए, उनका जन्म एक सम्पन्न परिवार में हुआ था, लेकिन शुरू से ही वे कृषि एवं पशुपालन में विशेष रुचि रखते थे और इसी वजह से शायद उन्होंने एग्रीकल्चर कालेज, पूना से बी0 एस-सी0 पास किया। तथा शिक्षण संस्थाओं से भी उनका निकट सम्बन्ध रहा । 1922 में आगरे में उन्होंने एक सिंघल कृषि फार्म भी खोला । इनके निधन से कृषि एवं पशुपालन से संबंध रखने वाले समूचे प्रदेश को दुख हुआ है।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी 1957 में इस माननीय सदन के सदस्य तथा सन् 1967 में कांग्रेस दल से चुनकर आए । व्यवसाय तो उनका वकालत का था, लेकिन इसके साथ-साथ वह समाजसेवी, गरीबों के प्रति हमदर्द रहे इनके निधन से भी प्रदेश की जनता ने सच्चा राजनीतिक खोया है इनके द्वारा अपने क्षेत्र में की गयी सेवाएं भुलाई नहीं जा सकती हैं ।

श्री घासी राम जाटव जनपद इटावा से तीन बार इस माननीय सदन के सदस्य चुनकर आए। इनके निधन से भी हमने सच्चा समाज सेवी और गरीबों के हमदर्द को खोया है।

श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवरि यह माननीय सदन के अंदर स्वतंत्रता से पूर्व दो बार सदस्या के रूप में रही, इन्हें सदैव खद्दर एवं देशी चीजों से लगाव रहा और पूर्णरूप से गांधी विचारधारा की थी, उनका कहना था कि 'खद्दर नाम संरक्षण कानून, 1934' जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा पारित हुआ था, को प्रांत में लागू किया जाए तथा वे लखनऊ महिला संघ एवं अवध महिला क्लब की अध्यक्ष थीं तथा बलवंत एग्रीकल्चर कालेज के खुलवाने में भी आपका बड़ा योगदान था । वे एक उच्च आदर्श वाली महिला थी साथ ही कुशल समाज सेवी, राजनीतिक एवं कर्मठ नेता भी जिन्हें हमने खोया ।

श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, गुप्ता जी के मुख्यमंत्रित्व काल में राजस्व मंत्री रहे, वैसे वह उस समय इस माननीय सदन के सदस्य न रहकर विधान परिषद् के सदस्य रहे । श्रीमन्, मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी का संबंध स्वतंत्रता संग्राम से था । साथ ही शिक्षा के भी वे प्रेमी थे । उन्होंने 22 शिक्षा संस्थायें चलायी थीं और सुचारु रूप से उनसे

संबंध रखा । आज वे शिक्षण संस्थाएं इस प्रदेश की मानी हुई शिक्षा संस्थाओं में से हैं । वे स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित रहे तो कई बार उनका जेल जाना स्वाभाविक ही था । लेकिन उन्होंने जेल यातनाओं को सहते हुए कभी देश प्रेम से अलगाव करने की कोशिश नहीं की । इनके निधन से हमने कुशल राजनीतिज्ञ, अच्छा समाज सेवी और शिक्षण संस्थाओं के प्रेमी को खोया है ।

मान्यवर, स्वर्गीय हुकम सिंह जी, हमारे देश की लोक सभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे । मुझे पढ़ने का मौका मिला अखबारों के माध्यम से संसद के अन्दर उन्हें भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी तो सदन के सभी नेताओं ने उनकी निष्पक्षता की, उनके निष्पक्ष निर्णय की, विवेकपूर्ण निर्णय की भूरि-भूरि प्रशंसा की । श्रीमन्, मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला लेकिन उनका संबंध अकाली आन्दोलनों से भी रहा । शिरोमणि गुरुद्वारा के वे अध्यक्ष भी रहे । संविधान सभा के सदस्य भी थे । बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ और कुशल विधिवेता वे थे । उनके निधन से हमारे देश ने एक कुशल निष्पक्ष और चरित्रवान और निष्ठावान समाजसेवी और राजनीतिज्ञ को खोया है । इन शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय हुकुम सिंह जी, भू0 पू0 लोक सभाध्यक्ष के निधन पर अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ [illegible] धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इन सभी स्वर्गीय सदस्यों के परिवार तक हमारी सम्वेदनायें और भावनायें आप पहुंचवाने की कृपा करें ।

श्री फखरे आलम–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुख की बात है कि हमारे सारे साथी, वे लोग जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिये बड़े-बड़े काम किये और जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी वे आज हमारे बीच में नहीं रहे और हमसे अलग होते चले जा रहे हैं । श्री जंग बहादुर विष्ट, श्री शुगन चन्द, श्री जगत नारायण श्रीवास्तव, श्री इन्द्र लाल, श्री आदि राम सिंघल, श्री गोविन्द नारायण तिवारी, श्री घासी राम जाटव, श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवरि, श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय तथा श्री हुकुम सिंह, ये सारे लोग थे जिनके उठ जाने से देश को बहुत नुकसान हुआ है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी ।

मैं अपने को और अपने दल को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं कि जो हालात का इजहार माननीय नेता सदन ने और माननीय नेता विरोधी दल ने किया है उससे हमारे दलों की पूरी हमदर्दी है और भावनाओं को आप स्वर्गीय सदस्यों के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह आज बहुत ही दुखद प्रसंग है कि एक साथ इतनी सारी संख्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

में हमारे स्वर्गीय नेता गण जिनमें से अधिकांश ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, हमारे बीच से चले गये । मान्यवर, मैं अपने को और अपने दल को माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा नेता लोकतांत्रिक समाजवादी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं. उससे सम्बद्ध करता हूं । श्री जंग बहादुर विष्ट, श्री शुगन चन्द्र, श्री जगत नारायण श्रीवास्तव, श्री इन्द्र लाल, श्री आदिराम सिंघल, श्री गोविन्द नारायण तिवारी, श्री घासी राम जाटव, श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवरि, श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय तथा श्री हुकुम सिंह जो कि लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, के संबंध में जो विचार प्रकट किया है, उनसे मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं । माननीय मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी एक प्रदेश स्तर के नेता थे । उनका राजनैतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान रहा है वह सदैव स्मरण किया जायेगा । मा0 हुकुम सिंह जी, लोक सभा के अध्यक्ष थे । उनके निर्णय संसदीय इतिहास में मार्ग दर्शक के रूप में सदैव याद रहेंगे और उनको इज्जत और सम्मान मिलता रहेगा । वे राजनैतिक क्षेत्र में आगे थे और उनका क्षेत्र पंजाब था । उनके निधन से बड़ा दुःख है । ऐसे नेतृत्व की हमें आज जरूरत है, परन्तु वह चलते-जा रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी संवेदनायें तथा मेरे दल की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेताओं ने सभी स्वर्गीय माननीय सदस्यों के संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । माननीय हुकुम सिंह जी जो लोक सभा के अध्यक्ष रहे हैं उनके विषय में जो विचार प्रकट किए गए हैं उनसे भी मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी और हमारे दल की संवेदनायें उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री भीखा लाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के जो माननीय सदस्य आज हमारे बीच नहीं रहे जिनका उल्लेख माननीय नेता सदन ने किया और लोक सभा के अध्यक्ष मा0 हुकुम सिंह के निधन पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । इन लोगों के न रहने से समाज को भारी क्षति पहुंची है । मा0 मुनीश्वर दत्त जी का नाम जब आता है तो मेरे मस्तिष्क में वह घटना जो कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक घटना है, का स्मरण आ जाता है। 1957 के चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्य मंत्री सम्पूर्णानन्द जी थे । उसके दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ । अध्यक्ष का चुनाव स्वर्गीय चन्द्र भानु गुप्त जी और सम्पूर्णानन्द जी की ओर से स्वर्गीय मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी लड़ रहे थे । सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि अगर मुनीश्वर दत्त उपाध्याय विजयी नहीं होते हैं तो मैं समझूंगा कि कांग्रेस पार्टी में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है और मैं मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। संयोग से मुनीश्वर दत्त जी अध्यक्ष का चुनाव हार गये और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके परिणामस्वरूप सम्पूर्णानन्द जी ने मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। यह एक नैतिकता का उदाहरण है जो हमारे कांग्रेस के नवयुवकों को अपनाना होगा और उन्हें पुरानी परम्पराओं को याद करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की सम्वेदनायें उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री सूबेदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से आप से निवेदन करता हूं कि हमारी सम्वेदनायें उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह विष्ट, श्री शुगन चन्द, श्री जगत नारायण श्रीवास्तव, श्री इन्द्र लाल, श्री आदि राम सिंघल, श्री गोविन्द नारायण तिवारी, श्री घासी राम जाटव, श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवरि, श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय तथा श्री हुकुम सिंह के निधन के बारे में जो विचार और भाव प्रकट किये हैं, मैं भी अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। यों तो इनके बारे में पूरा विवरण माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने इस आदरणीय सदन के सम्मुख रख दिया है लेकिन जहां तक माननीय जंग बहादुर सिंह विष्ट का सम्बन्ध है वे सन् 1957 से 1967 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वे इस प्रदेश में सन् 1930 से लेकर 1937 तक एम0 एल0 सी0 भी रह चुके हैं। वे जिला बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्हें अंग्रेजी हुकूमत में राय बहादुर की पदवी भी प्राप्त हुई थी। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। वे अल्मोड़ा जिले के एक प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यक्ति थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक राजनीतिक और जनप्रिय नेता को खो दिया है।

जहां तक श्री शुगन चन्द्र जी का सम्बन्ध है वे मेरे साथ यहां इस प्रदेश की विधान सभा में 1952 में सदस्य थे और सन् 57 तक यहां पर सदस्य रहे। वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सन् 1930, 1932, 1940 और 1942 में जेल भी गये। वे एक सादी प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी एक ही विचारधारा थी कि इस प्रदेश में खादी का किस प्रकार से उत्थान हो? भूमिदान का कार्य किस तरह से हो? वे ग्रामोद्योग पर पूरा विश्वास रखते थे। हमने सहारनपुर जनपद के एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी तथा एक उच्च कोटि के समाजसेवी को खो दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष–]

श्री जगत नारायण श्रीवास्तव की मृत्यु 73 वर्ष की अवस्था में ही हो गई । वे इस प्रदेश की विधान सभा में सन् 1952 से लेकर 1957 तक सदस्य रहे। उन्होंने विभिन्न स्वाधीनता आन्दोलनों में भाग लिया। उसी दौरान सन् 1941 में उन्हें तीन मास का कारावास हुआ। वे बाराबंकी की जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे। विधायक होने के पूर्व श्री श्रीवास्तव जिला परिषद् के सदस्य भी चुने गये थे। श्री श्रीवास्तव के देहावसान से हमारे बीच में एक इस तरह का जनप्रिय समाजसेवी उठ गया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता।

जहां तक श्री इन्द्रलाल जी का सम्बन्ध है, वे खुशी राम जी के पुत्र थे। श्री खुशी राम जी, जहां तक मुझे याद है, वे एक दुबले-पतले व्यक्ति थे। सन् 1952 से लेकर आगे बहुत दिनों तक वे इस विधान सभा के सदस्य रहे। उनके पुत्र श्री इन्द्रलाल जी सन् 1967, 1969 और सन् 1974 में इस विधान सभा के सदस्य रहे। अपने जिले में उन्होंने बहुत से कार्य किये । हरिजन सेल के बारे में भी उन्होंने कार्य किया । मुझे अच्छी तरह याद है कि वे किस तरह से पहाड़ों की समस्याओं को लेकर लड़ते थे और किस तरह से कार्य करते थे। जो पुराने सदस्य हैं, वे उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। श्री इन्द्रलाल जी के निधन से प्रदेश ने एक बहुत अच्छा समाजसेवी खो दिया है।

श्री आदि राम सिंघल की 85 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। वे सन् 57 से लेकर सन् 62 तक इस सदन के सदस्य रहे। उन्होंने आगरा जिले में तथा अन्य जिलों में भी बहुत चुपचाप तरीके से कार्य किया। जिसको भुलाया नहीं जा सकता। खासतौर से वे बीमारों अपाहिजों, वृद्धों व अनाथों की सहायता किया करते थे। जहां तक उनके निधन का प्रश्न है हमने एक उच्च कोटि के समाजसेवी को खो दिया है।

स्व0 गोविन्द नारायण तिवारी एक अच्छे वकील थे। 1957 से 1962 तक वे प्रजा समाजवादी दल के टिकट पर इस सदन में सदस्य होकर आये थे । इसके अलावा 1967 में वे पुनः एम0एल0ए0 बने । मुझे अच्छी तरह से याद है कि बुन्देलखंड के सम्बन्ध में जब आपस में लड़ाई हुआ करती थी और पार्टीबाजी हुआ करती थी उसमें उनका एक ग्रुप हुआ करता था लेकिन दूसरी तरफ आपस में बड़ा प्यार रहता था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रदेश ने एक उच्चकोटि के समाज-सेवी को खो दिया है।

स्व0 घासीराम जाटव जी 1952, 1957, 1967 और 1969 में इस सदन के सदस्य रहे और हरिजनों के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत कार्य किया। वे चुपचाप कार्य करते थे। वे ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन समाज की समस्याओं का उन्हें बड़ा ज्ञान था और उसके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही वे उत्तर प्रदेश के दलित वर्ग के खास व्यक्तियों में से थे जिसका कार्य दलितों के उत्थान के लिए हुआ करता था। ऐसे उच्चकोटि के समाजसेवी के न रहने से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है।

भूतपूर्व सदस्य श्री जंग बहादुर विष्ट, श्री शुगन चन्द्र, श्री जगत नारायण श्रीवास्तव, श्री इन्द्र लाल, श्री आदि राम सिंघल, श्री गोविन्द तिवारी, श्री घासी राम जाटव, श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवरि, एवं भूतपूर्व मंत्री श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय तथा लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हुकुम सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्रीमती राजमाता पार्वती कुंवरि 1937 से 1945 तक कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विजयी होकर इस सदन में आयी थीं। जहां तक उनके जीवन का सम्बन्ध है वे लखनऊ महिला संघ एवं अवध महिला क्लब की अध्यक्षा थी नारी निकेतन लखनऊ तथा उ0 प्र0 नर्सेज एण्ड मिडवाइफ कौंसिल की सदस्या रहते हुए उन्होंने बहुत कार्य किया।

स्व0 मुनीश्वर दत्त उपाध्याय को कौन नहीं जानता। उनके पीछे एक वकील होने का बहुत लम्बा इतिहास रहा है। वे बहुत खरे सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे। एक बार वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस पार्टी में जिसके बारे में माननीय भीखालाल जी ने जिक्र किया वे सिद्धान्तवादी थे और इस प्रदेश के इतिहास में वह बात हमेशा लिखी जायेगी। वे सिद्धान्त को लेकर लड़ जाते थे जिससे बहुत बड़ा इन्कलाब आया। जहां तक उपाध्याय जी का सम्बन्ध है जो पुराने लोग हैं वे इस बात को जानते हैं कि उपाध्याय जी न केवल अपने जिले तक संबद्ध रहे बल्कि प्रदेश के विभिन्न पदों पर रह कर उन्होंने कार्य किया। वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे। जहां इस प्रदेश के 5 या 6 व्यक्ति उसमें हुआ करते थे उनमें से उपाध्याय जी एक थे। उनके निधन से हमने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ, समाज-सेवी एवं शिक्षाशास्त्री खो दिया है।

स्व0 हुकम सिंह जी लोक सभा के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। लोक सभा में बैठक कर उनके विचारों और उनकी रूलिंग्स को हमने देखा है। वे बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पीछे एक इतिहास रहा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। विभिन्न नेताओं के सम्बन्ध में जो भाव यहां पर प्रकट किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं अपनी तरफ से तथा सदन में जो प्रस्ताव आया है और जो भावनायें हैं उन सभी को शोक संतप्त परिवारों तक भेज दूंगा। अब हम सब दो मिनट मौन रह कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष–

नियम 51, 52, 56 और नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई थीं उनको आज नहीं लिया जा रहा है, कल वही मा0 सदस्य जिसके लिये सूचना देंगे, उस पर विचार होगा।

अब हम उठते हैं और कल प्रातः 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
1 सितम्बर, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

1–नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा कई वर्षों पूर्व रुपये 15/- मासिक किराये पर भू-खण्ड एक वर्ष के लिए लीज पर दिये गये थे। स्थल पर बाजार भाव बढ़ जाने तथा जनता को सुविधाएं देने हेतु समस्त दुकानदारों की सहमति से किराये में सवा 33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी। सिकमी किरायेदारों को रखने अथवा नोटीफाइड एरिया एक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन करने के कारण निरस्त किये गये आवंटन के स्थान पर नये आवंटियों से नये अनुबन्ध के अनुसार किराया लिया जा रहा है।

2–आवंटन की विधिक प्रक्रिया अपना कर ही आवंटन निरस्त किये जाते हैं और गुणा-गुण के आधार पर अधिकांश आवंटन कब्जेदारों को ही दिये गये हैं।

3–नोटीफाइड एरिया कमेटी ने संकल्प पारित किया कि यदि आवंटी का संबंधी दूकान कर रहा है तो उसे सिकमी किरायेदार नहीं माना जायेगा। अन्य किरायेदारों को सिकमी मानकर आवंटन निरस्त किया जायेगा।

4–रेलवे कालोनी के आने जाने के मार्ग पर कोई आवंटन नहीं किया गया है।

5–किसी भी नागरिक अथवा किसी दूकानदार की ओर से, नोटीफाइड एरिया कमेटी किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

6–मासिक किराया समय से न जमा करने पर 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क नियमानुसार समिति द्वारा पारित संकल्प के अनुसार लिया जाता है।

7–लंगड़ा फाटक से तेजीखेड़ा जाने वाले मार्ग पर हुए आवंटनों को रेलवे द्वारा उठाई गई आपत्ति पर जिलाधिकारी लखनऊ के आदेशों के अनुसार निरस्त कर दिया गया। निरस्तीकरण के पश्चात् जमा धनराशि को वापस करने की सूचना दैनिक समाचार पत्र "स्वतंत्र भारत" में विज्ञापित की गयी और अब तक लगभग 82 व्यक्तियों को जमा धनराशि वापस की जा चुकी है।

नत्थी "ख"

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

1–श्री वृजेन्द्र पाल सिंह ने दिनांक 22-4-83 को अपने सशस्त्र साथियों के साथ सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, मुरादाबाद के कार्यालय में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कार्यालय की फाइल से सूची फाड़कर जेब में रख लिया और सरकारी कार्य में बाधा डाला। उपर्युक्त घटना के संबंध में उनके विरुद्ध थाना सिविल लाइन मुरादाबाद में अपराध संख्या 225/83 के अन्तर्गत धारा 395/353 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया।

2–दिनांक 20-5-83 को श्री वृजेन्द्र पाल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ, जो हथियारों से सज्जित थे, ब्लाक प्रमुख के चुनाव के सम्बन्ध में एक ग्राम प्रधान श्री काढ़े सिंह का अपहरण किया जिसके संबंध में अपराध संख्या 170/83 अन्तर्गत धारा 147/148/149/349 भा0 द0 वि0 थाना बहजोई पर पंजीकृत किया गया।

3–दिनांक 16-7-83 को रात्रि दस बजे कस्बा बहजोई में श्री वृजेन्द्र पाल सिंह और उनके सहयोगी दस बजे रात में थाना बहजोई पर हमलावर हुए और थाने के कर्मचारियों को गालियां दी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और थाने के अभिलेख, जो मेज पर रखे थे, उन्हें फाड़कर फेंक दिया और गालियां देते रहे। इस घटना के संबंध में थाना बहजोई में वृजेन्द्र पाल सिंह व उनके साथियों के विरुद्ध अपराध संख्या 248/83 अन्तर्गत धारा 147/148/149/353/307/342/504/506 तथा 188 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ। यह कहा जाता है कि थाने के पास आम जनता में तनाव पैदा हुआ और श्री वृजेन्द्र पाल सिंह के उस अभद्र कार्यवाही को देखकर आतंक, भय, तनाव एवं रोष व्याप्त हुआ और लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–162 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

1 अप्रैल, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक जनपद गोरखपुर के लेवी सीमेन्ट लाइसेंसियों, लघु उद्योगों एवं स्थानीय निकायों को आवंटित लेवी सीमेन्ट एवं उपरोक्त अवधि में उक्त आवंटन के विरुद्ध लेवी सीमेन्ट उठाने का विवरण:

(मात्रा मी0 टनों में)

क्र सं0	नाम लेवी सीमेंट लाइसेंसी व पता	आवंटन	आवंटन के विरुद्ध उठान की मात्रा
1–	मै0 महानारायण पांडे, जगरनाथपुर, गोरखपुर	327	327
2–	मै0 संतोष कुमार गुप्ता, धर्मशाला, गोरखपुर	500	491
3–	मै0 अशोक ट्रेडर्स, गोरखनाथ, गोरखपुर	135	135
4–	मै0 हृदय नारायन गुप्ता, साहबागंज, गोरखपुर	304	332·5
5–	मै0 नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी बेतियाहाता, गोरखपुर	322	321
6–	मै0 हरीलाल एंड ब्रदर्स, मोहद्दीपुर, गोरखपुर	300	212·5
7–	मै0 सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्क रोड, गोरखपुर	334	287·5
8–	मै0 जमीर अहमद, तुर्कमानपुर, गोरखपुर	198	96
9–	मै0 ओम प्रकाश एंड ब्रदर्स, नियामतचक, गोरखपुर	225	212·5
10–	मै0 कृष्ण मुरारी जैसवाल, दिलेजाकपुर, गोरखपुर	286	269·5
11–	मै0 रमेश चन्द्र प्रेम चन्द्र, धर्मशाला, गोरखपुर	247	247
12–	मै0 प्रकाश जनरल वर्क्स, सहजनवां, गोरखपुर	109	47·5
13–	मै0 सुरेश चन्द्र जैसवाल, स्किटौर, गोरखपुर	84	72
14–	मै0 शाही ब्रदर्स, महावीर छपरा, गोरखपुर	48	24
15–	मै0 राम सेवक प्रसाद जैसवाल, एक्ला बाजार, गोरखपुर	73	48
16–	मै0 काशी लाल बिहारी लाल, पिपराइच, गोरखपुर	133	84
17–	मै0 ओम प्रकाश कैलाश नाथ, पिपराइच, गोरखपुर	12·5	12·5
18–	मै0 संयुक्त समिति पंचायत उद्योग, सहजनवां, गोरखपुर	48	36
19–	मै0 दुर्गा प्रसाद श्री भागवत, सहजनवां, गोरखपुर	86	61
20–	मै0 जैसवाल आइरन स्टोर्स, मोहरीपुर, गोरखपुर	97	97

क्र सं0	नाम लेवी सीमेंट लाइसेंसी व पता	आवंटन	आवंटन के विरुद्ध उठान की मात्रा
21–मै0	लाल जी प्रसाद राम जी प्रसाद, भटहट, गोरखपुर	60	48
22–मै0	राम सुभग प्र0 हरे राम सिंह, भगौरा, गोरखपुर	72	36
23–मै0	रमेश चन्द प्रेम चन्द, सहजनवां, गोरखपुर	24	24
24–मै0	कृष्ण मुरारी जैसवाल, कुसमी बाजार, गोरखपुर	123	74
25–मै0	बजरंग लाल मदन लाल, चौरीचौरा, गोरखपुर	60	60
26–मै0	महावीर प्रसाद बनवारी लाल, चौरीचौरा, गोरखपुर	150	150
27–मै0	राधे श्याम खेतान, चौरीचौरा, गोरखपुर	37·5	37·5
28–मै0	रामकेश सिंह अखिलेश प्रताप सिंह, भगवरा, गोरखपुर	12	—
29–मै0	सीताराम श्याम सुन्दर, बृजमनगंज, गोरखपुर	243·5	149
30–मै0	हिन्दुस्तान आयरन ट्रेडर्स, आनन्दनगर, गोरखपुर	343	321
31–मै0	शंकर प्रसाद विजय कुमार, बरगदवा, गोरखपुर	110·5	97
32–मै0	विश्वनाथ प्रसाद, नौतनवां, गोरखपुर	85	61
33–मै0	हिन्द आयरन स्टोर्स, कम्पियरगंज, गोरखपुर	98	48
34–मै0	कुन्दन लाल जैसवाल, महराजगंज, गोरखपुर	425·5	208
35–मै0	मनोज कुमार सुनील कुमार, ठठीबारी, गोरखपुर	183·5	123
36–मै0	संतोष कुमार ओम प्रकाश, धुधली, गोरखपुर	50	--
37–मै0	हिमाचल सेवा निगम, खुशहालनगर, गोरखपुर	37·5	24
38–मै0	रमाशंकर एंड कम्पनी, निचलौल, गोरखपुर	85·5	24·5
39–मै0	उदय नारायन शम्भू नाथ, कौडीराम, गोरखपुर	170·5	108
40–मै0	राम नरेश राय सुरेन्द्र राय, कहता, गोरखपुर	72	72
41–मै0	भारत सीमेंट स्टोर्स, बडहलगंज, गोरखपुर	72	72
42–मै0	आदर्श लौह उद्योग, खेजनी, गोरखपुर	74	74
43–मै0	जैसवाल ब्रदर्स, उरुवा बाजार, गोरखपुर	60	61
44–मै0	विपिन कुमार पांडे, मलाव, गोरखपुर	85	60·5
45–मै0	गुरु प्रसाद जैसवाल, गोला बाजार, गोरखपुर	37	25·5
46–मै0	गौरी शंकर अनिल कुमार, देवकली, गोरखपुर	61	61
47–मै0	अनन्त लाल योगेन्द्र प्रसाद, देवरा, गोरखपुर	60	60
48–मै0	गया प्रसाद बिहारी लाल, गोला, गोरखपुर	36	36
49–मै0	अशोक कुमार उम वैश्य, गोला, गोरखपुर	86·5	74
50–मै0	न्यू आयरन स्टोर्स, बड़हलगंज, गोरखपुर	87	62
51–मै0	सूर्य प्रसाद, गोला बाजार, गोरखपुर	12·5	--
52–मै0	सेवा संस्थान, मैभरा बडहलगंज, गोरखपुर	12·5	--

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–168 का उत्तर पीछे पृष्ठ 90 पर।)

सूची

क्र0सं0 नाम कर्मचारी	पद	माह बकाये वेतन के माहों की संख्या
1—श्री शिव प्रकाश श्रीवास्तव	सचिव	3 माह
2—श्री त्रिभुवन वर्मा	ओवरसियर	3 माह
3—श्री तेज बहादूर सिंह	जल लिपिक	3 माह
4—श्री श्रीनाथ	टाइपिस्ट	3 माह
5—श्री लल्लन प्रसाद	स्टोर कीपर	3 माह
6—श्री अमरदेव सिंह	पम्प आपरेटर	3 माह
7—श्री ओम प्रकाश राय	सहा0 पम्प आपरेटर	3 माह
8—श्री राधेश्याम	जलकल चपरासी	3 माह
9—अब्दुल कैश खान	कार्यालय चपरासी	3 माह
10—श्री चन्द्रपाल	अमीन	3 माह
11—श्री बसन्त	चौकीदार	3 माह
12—श्री छेदी राम	चपरासी	3 माह
13—श्री हरिद्वार	मु0 पैरवीकार	3 माह
14—श्री रजीउल हसन	अमीन	3 माह
15—श्री शिवकुमार सिंह	अमीन	3 माह
16—श्री राम भरोसा	चपरासी	3 माह
17—श्री कमलाकान्त दुबे	अमीन	प्रशासक महोदय के आदेशानुसार वेतन माह जून, 82 से रोका गया है, विभागीय कार्यवाही चल रही है।
18—श्री मुन्ना यादव	अमीन	माह नवम्बर, 82 से निलम्बित हैं।
19—श्री हीरा लाल	जमादार	3 माह
20—श्री श्रीराम	जमादार	3 माह
21—श्री बालेश्वर	मेहतर	3 माह
22—श्री रामबाबू	मेहतर	3 माह
23—श्री मोहन	मेहतर	3 माह
24—श्रीमती सोमरिया	मेहतर	3 माह
25—श्री कलमी	मेहतर	3 माह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0 नाम कर्मचारी	पद	माह बकाये वेतन के माहों की संख्या
26—श्रीमती भगगनिया	मेहतर	3 माह
27—श्रीमती बरसतिया	मेहतर	3 माह
28—श्री राजेश कुमार	मेहतर	3 माह
29—श्री शिव चन्द	चपरासी/जमादार	3 माह
30—श्रीमती बादामी	मेहतर	3 माह
31—श्रीमती फूलपत्ता	मेहतर	3 माह
32—श्रीमती रूकमीना	मेहतर	3 माह
33—श्री बसन्त	खुराकभैंसा	3 माह
34—श्री राम अवध यादव	जमादार	3 माह
35—श्री राजू	मेहतर	3 माह
36—श्री रामजन्म	लाइनमैन	3 माह
37—श्री चन्द्रिका	सीढ़ी ढोनेवाला	3 माह
38—श्री वीरेन्द्र कुमार	तहबाजारी मुहर्रिर	3 माह
39—श्री रवीन्द्र	मिस्त्री	3 माह
40—श्री खिचड़	मेहतर	3 माह
41—श्री शैलेन्द्र	मेहतर	3 माह
42—श्री रमाशंकर	मेहतर	2 माह
43—श्री छेदीराम	मेहतर	2 माह
44—श्री मदन	मेहतर	2 माह
45—श्री प्रेम चन्द्र	मेहतर	2 माह
46—श्री मन्नन	मेहतर	2 माह
47—श्रीमती जबाबी	मेहतर	2 माह
48—श्रीमती लखपतिया	मेहतर	2 माह
49—श्रीमती रमदशिया	मेहतर	2 माह
50—श्रीमती शारदा देवी	मेहतर	2 माह
51—श्रीमती चन्द्रावती	मेहतर	2 माह
52—श्रीमती खैरुन निशां	मेहतर	2 माह
53—श्री हीरा लाल	मेहतर	2 माह
54—श्री कुलदीप	मेहतर	2 माह
55—श्री रामबूझ मिश्र	माली	2 माह
56—श्री वीरेन्द्र सिंह	बेलदार	2 माह
57—श्री गामा	मेहतर	2 माह
58—श्री इसराइल	बेलदार	2 माह
59—श्री संजय कुमार	मेहतर	2 माह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–195 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . पर।)

साधन सहकारी समितियों में विक्रेता पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया :–

विक्रेता पद पर चयन निम्न प्रक्रियानुसार इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जाता है। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:–

1–जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामांकित अति0 जिलाधिकारी "अध्यक्ष"
2–जिला सहायक निबन्धक "संयोजक"
3–सचिव, केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार "सदस्य"
4–सचिव, जिला सहकारी बैंक "सदस्य"

संयोजक द्वारा विक्रेता पद हेतु आवेदन पत्र सेवायोजन कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त किये जाते हैं और इसके साथ ही सभी सहकारी संस्थाओं तथा खण्ड विकास अधिकारियों आदि को भी सूचित करके सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं निर्धारित तिथि तक सीधे भी प्राप्त किए जाते हैं। दोनों स्रोतों से प्राप्त अभ्यर्थियों के नाम की सूची एक रजिस्टर में दर्ज की जाती है जिसमें उनकी अर्हताओं एवं अनुभव आदि का विवरण अंकित किया जाता है। तदुपरान्त परीक्षण करके ऐसे अभ्यर्थियों के नाम निकाल दिये जाते हैं जो निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं। निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थियों की सूची संयोजक द्वारा चयन समिति को प्रेषित की जाती है फिर अध्यक्ष के परामर्श से साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की जाती है जिसकी सूचना अभ्यर्थियों का डाक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत दी जाती है। चयन में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार पद आरक्षित किए जाते हैं। समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थिओं की सूची श्रेष्ठता क्रम में समिति के अध्यक्ष एवं संयोजक के संयुक्त हस्ताक्षरों से जिलाधिकारी, जिला सहायक निबन्धक, जिला सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के कार्यालयों पर प्रदर्शित की जाती है। उपरोक्त विधि से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित समिति द्वारा विक्रेता के पद पर की जाती है।

पी0एस0यू0पी0–एल0 178 विधान सभा (320)–1982–8131